खण्ड-158, अंक-5
सोमवार, 18 आश्विन, शक संवत् 1877
(10 अक्टूबर, 1955 ई0)

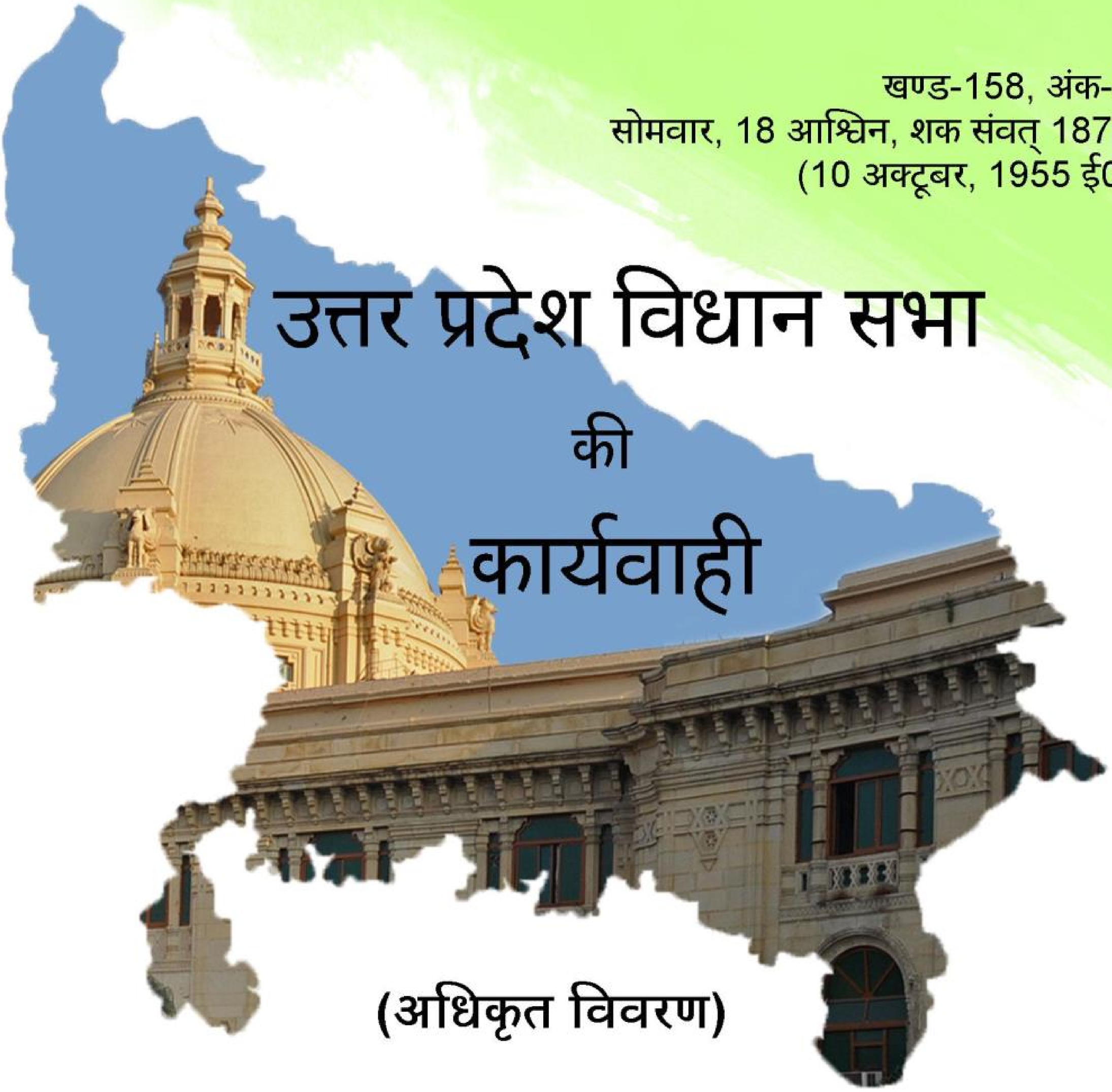

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 158 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १० अक्तूबर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री सुल्तान आलम खां की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३०८)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमांशकर, श्री
उमांशकर तिवारी, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उलफ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पान्डे, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पान्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पान्डेय, श्री
धनुषधारी पान्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री

महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महोलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नवी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पान्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखोराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १० अक्तूबर, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में आत्महत्यायें

**१--श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लखनऊ नगर में १९५४ और १९५५ में कितने व्यक्तियों ने आत्महत्या की है ?

पुलिस उपमंत्री (जगन प्रसाद रावत)--सन् १९५४ में २५ व्यक्तियों ने और सन् १९५५ में ३० सितम्बर तक १० व्यक्तियों ने आत्महत्या की ।

**२ –श्री रामेश्वर लाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि लखनऊ नगर में १९५४ में कितनी हत्यायें हुई हैं।

श्री जगन प्रसाद रावत—१९।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इन हत्याओं के संबंध में क्या उन्हें जानकारी है कि यह आत्महत्यायें केवल इसलिये हुईं कि उन लोगों को रोजी रोटी की कमी थी और इसलिये उन्होंने आत्महत्या कर ली ?

श्री जगन प्रसाद रावत—ऐसी तो कोई सूचना मेरे पास नहीं है। जो हत्याओं का कारण हमें मालूम हुआ है उनमें कुछ बीमारी के कारण, कुछ असफल प्रेम के कारण और इसी तरह की आत्म हत्यायें हैं।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो हत्यायें इस नगर में की गईं, क्या यह सही है कि वे हत्यायें धन के लालच में की गईं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—कुछ हत्यायें धन के लालच में भी की गईं।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो हत्यायें धन के लालच में की गईं, उनकी संख्या कितनी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—प्रत्येक हत्या की अलग अलग तफसील इस समय मेरे पास नहीं है। अगर किसी खास हत्या के बारे में आप पूछेंगे तो मैं उसका पूरा विवरण आपको देने की कोशिश करूंगा।

लखनऊ में मोटर दुर्घटनायें

**३—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त एवं सितम्बर सन् १९५५ में लखनऊ नगरपालिका की सीमा के अन्दर कितनी मोटर दुर्घटनायें हुई हैं तथा कितने व्यक्ति घायल हुए एवं मरे हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—२५ मोटर दुर्घटनायें हुईं जिनमें २७ व्यक्ति घायल हुये और २ मरे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि यह जो मोटर दुर्घटनायें हुईं हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मोटर चलाने वालों और जो साधारण जनता सड़क पर चलती है उनकी गलती के कारण से ही दुर्घटनायें हुई हैं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इन मोटर दुर्घटनाओं का विशेष कारण जनता को रूल्स आफ रोड की अज्ञानता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मैंने यही कहा था कि पिछले सवाल के जबाब में।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दो व्यक्ति मरे उनके संबंध में मोटर ड्राइवर के बारे में क्या किया गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह कौन सी दुर्घटना में मरे हैं उसकी तफसील मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी जो जांच हो रही है उसके बाद अगर मोटर ड्राइवर कसूरवार पाया जायगा तो उसको सजा हो जायगी।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये बीज की तकावी

**४—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बाढ़ क्षेत्र के गांवों को रबी की बीज तकावी तत्काल देने की व्यवस्था कर रही है ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी हां ।

श्री राम सुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में किसानों को रबी की बीज तकावी नहीं दी जाती ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जहां जहां बीज की जरूरत है वहां वहाँ बीज की तकावी दी जाती है ।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह तकावी और बीज किस हिसाब से दिये जाते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अभी बतलाया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आर्डर्स हैं कि जहां जितनी तकावी की जरूरत हो वह दी जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय माल मंत्री को इस बात की जानकारी है कि अभी तक बाढपीड़ित क्षेत्रों में बीज और तकावी की व्यवस्था नहीं की जा सका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी बात नहीं है । आर्डर्स निकल गये हैं और तकावी दी जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को यह मालूम है कि अब तक जिलों में वह रकम जो तकावी के रूप में है बंटनी प्रारम्भ नहीं हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अभी तक उन क्षेत्रों में बीज पहुंचा नहीं है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—बीज की तकावी देने के लिये दो तीन बार यहां से आदेश जारी हो चुके हैं। यहां तक कि पहला आदेश २५ अगस्त को जारी किया गया था और खास तौर से जिलाधीलों के यह जहननशीन कराया गया कि बीज की तकावी बहुत जल्द तकसीम की जाय । तो बीज नहीं दिया जा सकता है, तकावी दी जा सकती है । अगर कोई ऐसी जगह है जहां तकावी नहीं दी जा सकी है उसको अगर माननीय सदस्य नोटिस में लायेंगे तो जरूर कोशिश की जायगी कि वहां तकावी मिले ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बीज की तकावी बांटने के लिये जिलाधीशों को अन्तिम तारीख कौन निर्धारित की गयी है ?

श्री चरणसिंह—दरख्वास्तें आने के लिये तो आमतौर पर सारे सूबे के लिये आदेश जून के महीने में जारी हो चुके थे कि फलां तारीख तक फलां किस्म की तकावी की दरख्वास्तें जिलाधीशों के पास आ जानी चाहिये ताकि वे उन पर विचार कर सकें । लेकिन तकावी तकसीम होने की कोई तारीख मुकर्रर नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि बाढ़ क्षेत्र के गांवों की सूची में पश्चिमी जिलों के गांव भी शामिल हैं ?

श्री चरणसिंह—अभी तक तो नहीं थे पर अब शायद शामिल करना पड़े यह अफसोस की बात है ।

तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[स्थगित किये गये।]

सरकारी बागों के लिए ट्रेनिंग पाने वाले माली

*४—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसकी ओर से कितने स्थानों पर सरकारी बागों के लिये मालियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, और प्रत्येक स्थान पर कितने माली ट्रेनिंग पा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—सरकार की ओर से मालियों को तीन स्थानों अर्थात लखनऊ, आगरा तथा सहारनपुर में ट्रेनिंग दी जा रही है। लखनऊ और आगरा में १०-१० हेड चौधरी और २०-२० माली ट्रेनिंग पा रहे हैं और सहारनपुर में २५ चौधरी ट्रेनिंग पा रहे हैं।

*५—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन ट्रेनिंग पाने वाले मालियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये इन्हें प्रदेश के सरकारी बागों को दिखलाया जाता है ? अगर हां, तो क्या इस साल भी यह काम होगा ?

श्री हुकुम सिंह—इन ट्रेनिंग पाने वालों के अधिक से अधिक व्यावहारिक प्रशिक्षण की चेष्टा की जाती है। अपने क्षेत्र के बागों को भी उन्हें दिखलाया जाता है परन्तु दूसरे क्षेत्रों के बागों में उन्हें रुपये की कमी के कारण अधिक स्थानों पर नहीं ले जाया जाता है। इस साल भी इन्हें अपने क्षेत्रों के बागों को दिखाया जायेगा।

*६—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन ट्रेनिंग पाने वाले मालियों को क्या भत्ता मिलता है ?

श्री हुकुम सिंह—इन ट्रेनिंग पाने वालों में हेड चौधरी को २५ रु० और मालियों को २० रु० प्रति मास स्कालरशिप सरकार देती है। शिक्षार्थी जब बागों को देखने जाते हैं तो कुल खर्चा (खाने, ठहरने और सफर का) सरकार देती है।

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में मीनाशयों के ठेके

*७—श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत कितने ऐसे मीनाशय हैं जिन पर १३५९ फसली की खतौनी में मछली मारने वालों का नाम एवं मालगुजारी दर्ज है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—खतौनी में तालाबों का सिर्फ नम्बर और रकबा लिखा होता है। जो आमदनी शिकारमाही से जमींदार को होती थी उसकी रकम और देने वाले का नाम और उसकी नौअइयत खतौनी की जिमन १३ में दर्ज होती थी। तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में कुल ८ ऐसे मीनाशयों का पता लगा है जिनसे शिकारमाही की आमदनी जमींदार को होती थी और वह खतौनी की जिमन १३ में दर्ज थी।

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि ऐसे तालाबों का ठेका उपर्युक्त नामों के अतिरिक्त दूसरों को दिया गया है ? यदि हां, तो वह कौन मीनाशय हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। ऐसे तालाबों में मछली का शिकार करने का ठेका कहीं कहीं ऐसे व्यक्तियों को भी दिया गया है जिनके नाम १३५९ फसली की खतौनी की जिमन १३ में दर्ज नहीं थे। परन्तु मीनाशयों की मछली का शिकार ही उनकी जीविका का एक सहारा था। इन मीनाशयों के नाम पिउरा, मुहम्मदाबाद, सिपह, लामी, ताल रतोई, लौवासठ, ललनौर, ताल नरजा और पकारी हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि गांवसमाज मैनुअल में इस तरह की व्यवस्था है कि १३५९ फसली में जिसका नाम दर्ज हो और मालगुजारी लिखी हो उन्हीं को मीनाशयों का ठेका दिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—असल में इसके लिये यह है कि सब के नाम दर्ज नहीं थे जिमन १३ में, कुछ लोगों के नाम लिखे हुये थे । इसलिये मीनाशयों के मामले में ग्राम समाज को यह अधिकार है कि वह दे सकती है लेकिन उनको जो उससे जीविकोपार्जन करते थे, उन्हीं को उन्होंने दिया है ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जो ८ मीनाशयों का ठेका दिया गया है उनमें से लौआसाथ, पकड़ी और सिवाह मीनाशय ऐसे हैं कि जो पेशेवर मल्लाह के नाम हैं और खतौनी में नाम है और मालगुजारी में भी नाम हैं, उनको भी ठेका नहीं दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिनके नाम १३५९ में दर्ज थे उनको भी दिया गया है और लोगों को भी दिया गया है ।

मुख्य मंत्री का बाढ़पीड़ित क्षेत्रों का दौरा

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री ने किन-किन बाढ़पीड़ित जिलों का निरीक्षण किया तथा उनकी इस विषय पर रिपोर्ट क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उन्होंने वायुयान से इलाहाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, बाराबंकी, बस्ती, फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़ और गोरखपुर के कई भागों को देखा। उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री जी के दौरे के बाद जो जिलों को सहायता प्रदान की गयी है, वह किस आधार पर की गई है ?

श्री चरणसिंह—जितना जिस जिले में नुकसान हुआ है, उसके आधार पर, जितना हम मोटा सा अन्दाजा, जो रिपोर्ट आई उसकी बुनियाद पर लगा सके, दी गई है ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री जी के अतिरिक्त किन-किन मंत्रियों ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बहुत से मंत्रियों ने दौरा किया। सिंचाई मंत्री जी ने किया, सप्लाई विभाग के मंत्री ने किया और भी कई मंत्रीगण गये।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री जी ने आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील का दौरा किया या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह ब्योरा मेरे पास नहीं है।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में धान की पौध का वितरण

*१०—श्री उमा शंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर के यह बतायेगी कि इस वर्ष सरकार ने किन-किन जिलों को बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों को धान का पौधा दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस वर्ष केवल फैजाबाद जिले को एक ट्रक धान का पौधा दिया गया। अन्य ७ और जिलों से भी पूछा गया था परन्तु उन्होंने लेना स्वीकार नहीं किया।

*११—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि इन दिये गये पौधों को सरकार ने किसानों को मुफ्त दिया है या क़ीमत लेकर ? यदि क़ीमत लेकर दिया, तो किस हिसाब से ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह पौधे मुफ्त दिये गये हैं। उन्नाव जिले के कृषकों ने यह पौधे भेंट स्वरूप दिये थे।

श्री उमा शंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे बतलाने की कि वे कौन से ७ जिले हैं जिन्होंने लेना स्वीकार नहीं किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बाक़ी बाढ़-ग्रस्त जिले हैं जैसे रायबरेली, प्रतापगढ़ और इधर के जिले जिन्होंने नहीं लिया।

श्री उमा शंकर—क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकेंगे कि ऐसे कई पूर्वी जिले हैं जो बाढ़पीड़ित हैं जहां धान के खेत बगैर बीज के परती पड़े हुये हैं ?

श्री चरणसिंह—हो सकता है यह बात सही हो। लेकिन जिलाधीशों ने सिवाय फैजाबाद के किसी ने गवर्नमेंट से इस सिलसिले में इमदाद नहीं ली।

श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार बतलायेगी कि वह धान का पौधा देती है या धान का बीज देती है ?

श्री चरणसिंह—पौधा नहीं, पौध देती है। सरकार कहां से देती है, सरकार ने कोशिश की दूसरे जिलों से लाने की। सरकार के पास कोई पौधशाला नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो धान की पौध दी गयी है वह मुफ्त दी गयी है या कर्जे के रूप में ?

श्री चरणसिंह—जैसा बतलाया गया, मुफ्त दी गयी है। हरदोई वगैरह से जो दी गई उसमें गवर्नमेंट ने खर्चा बर्दाश्त किया और उन्नाव के किसानों को यह श्रेय हासिल है कि उन्होंने मुफ्त दी।

रायबरेली जिले के वर्षापीड़ितों को सहायता

*१२—श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी तक रायबरेली जिले के वर्षा से क्षतिग्रस्त भाग को विभिन्न प्रकार की सरकार द्वारा कुल कितनी सहायता दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—रायबरेली के वर्षा से क्षतिग्रस्त भाग को निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की सहायता दी गई :—

	रु०
१—अहेतुक सहायता (अनुदान)	२५,०००
२—मकानों को फिर से बनवाने के लिये दी गई सहायता (अनुदान)	३५,०००
३—भूसा खरीदने के लिये दी गई सहायता (अनुदान)	१०,०००
४—ऐक्ट १२ के अधीन दी गई तकावी जिसमें विपत्तिकालीन तकावी और मकान बनवाने के लिये दी गई तकावी शामिल है (बिना ब्याज की) ..	४,८९,०००
५—गैर काश्तकारों को मकानों को फिर से बनवाने के लिये दिये गये ऋण (बिना ब्याज)	३०,०००
कुल योग ..	५,८९,०००

इसके अतिरिक्त मालगुजारी को छोड़ कर सभी राज्य करों की वसूली स्थगित कर दी गई। स्कूलों में पढ़ने वाले ग़रीब विद्यार्थियों की ५ माह की फीस माफ कर दी गई तथा सस्ते अन्न और खाद्य पदार्थों की दुकानें भी खोली गयीं। अन्य आवश्यक सहायतायें भी प्रदान की गईं।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह सहायता दी गयी है वह किस तारीख तक का यह स्टेटमेंट है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अब तारीख तो नहीं है लेकिन मेरा खयाल है कि अब तक जो सहायता दी गई है उसका यह स्टेटमेंट है।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में जो क्षति हुई है, उसको देखते हुये जो सहायता दी गई है, वह बहुत कम है, यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में और सहायता देने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—क्षति को देखते हुये और अपने बटुए को देखते हुये जो इमदाद दी जा चुकी है, वह हमारी राय में आज काफी है। इसके बाद अगर कोई असाधारण बात हुई तो विचार किया जायगा।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दी गई सहायता रायबरेली के किस हिस्से को ज्यादा दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जहां-जहां बाढ़ से क्षति हुई है वहां-वहां दी गई है।

इटावा, तहसील डुमरियागंज में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार

*१३—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या कृषि मंत्री इटावा स्थान उत्तर राप्ती, तहसील डुमरियागंज में पशु-चिकित्सा का कोई प्रबन्ध करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह—इटावा में एक पशु चिकित्सालय की स्थापना करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*१४-१६—श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—[स्थगित किये गये।]

*१७-१८—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—[स्थगित किये गये।]

पंचायत राज तथा माल विभाग में ग्रामस्तर पर कार्य करने वालों का विचाराधीन एकीकरण

*१९—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार का विचार है कि पंचायत राज विभाग को माल विभाग में विलीन कर दिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। इन दोनों विभागों के ग्रामस्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के एकीकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

रोडवेज बसों पर विधायकों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का सुझाव

*२०—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज की बसों पर विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों को आने-जाने की निःशुल्क सुविधा देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई योजना अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*२१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो कब से उक्त योजना अमल में लायी जायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्रश्न नहीं उठता।

नोट—तारांकित प्रश्न १३ श्री शिवनारायण ने तथा १९ श्री रामचन्द्र विकल ने पूछा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार निकट भविष्य में किसी ऐसी योजना पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी तो कोई ऐसा विचार नहीं है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि संसद के सदस्यों को इस प्रकार के रेलवे पास मिले हुये हैं ?

श्री चरणसिंह—ऐसा सुना है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ एम० एल० एज० ने लिख कर ऐसी सुविधा देने की प्रार्थना की है ?

श्री चरणसिंह—लिखा हुआ कोई ऐसा सुझाव मुझको या मेरे सहयोगी को मिला नहीं है, लेकिन खारजन ऐसा मालूम हुआ है कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा है।

लखनऊ रोडवेज वर्कशाप में डीजेल आयल की कमी मिलना

*२२—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या लखनऊ रोडवेज के वर्कशाप से ११,००० गैलन मोबिल आयल चोरी चले जाने की सूचना सरकार को मिली है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लखनऊ रोडवेज वर्कशाप से कोई मोबिल आयल चोरी जाने की सूचना नहीं मिली है बल्कि ९,६६६ गैलन डीजल आयल की कमी (shortage) अवश्य पाई गई है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सिलसिले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिन लोगों के कारण कोई नेगलीजेंस हुआ है उनको जो आवश्यक दंड होगा दिया जायगा। लेकिन बर्मा शेल कम्पनी को लिखा गया है और उनके कारण जो शार्टेज हुई है उसको उन्होंने देने का वादा कर लिया है। वह उनसे मिल जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह चोरी किस रोज पकड़ी गयी ?

श्री चरणसिंह—यह चोरी थी ही नहीं। तीन कारण थे जिनकी वजह से ९ हजार ६ सौ गैलन डीजेल आयल की कमी पाई गई। एक तो यह कि पाइप में कुछ खराबी थी और उसके लिये बर्मा शेल कम्पनी जिम्मेदार थी न कि गवर्नमेंट के राज्यकर्मचारी। तो पांच हजार ६ सौ गैलन बर्मा शेल कम्पनी ने देने का वादा किया है जो उनकी गलती के कारण कमी हुई। अब रहा, ४ हजार गैलन। उसमें से ३६४ गैलन ऐसा है जो नार्मल शार्टेज होती है। अब सवाल ३ हजार ६ सौ गैलन का है जो डीजेल आयल अपनी गाड़ियों में लेने के लिये आये उनको ज्यादा दिया गया और वह इस बात से साबित होता है कि जितने माइलेज फी गैलन हमारी गाड़ियां लेती थीं उससे कुछ ज्यादा उन्होंने लिया और इससे मालूम होता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा लिया। इसके बारे में तहकीकात जारी है।

रोडवेज कर्मचारियों को आकस्मिक क्षतिपूर्ति देने की कथित योजना

*२३—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों को आकस्मिक क्षतिपूर्ति हेतु सहायता देने की कोई नई योजना बनाई है ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त योजना का विवरण सदन की मेज पर रक्खेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं बनायी गयी है।

नोट—तारांकित प्रश्न २२–२४ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

कुमायूं रोडवेज के हड़तालियों को पुनः काम मिलना

*२४—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुमाऊं रोडवेज के कितने हड़ताली मजदूरों को अब तक दुबारा काम में रख लिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—३४ हड़ताली मजदूरों को अब तक दुबारा काम में रख लिया गया है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—इस हड़ताल के सिलसिले में कितने आदमियों को काम से अलग किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—१२९ आदमियों ने हड़ताल की थी। उनमें से ४७ तो फौरन् माफी मांग कर वापस आ गये। बाक़ी ३४ आदमी बाद में रख लिये गये।

*२५-२६—श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये।]

*२७—श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—[स्थगित किया गया।]

बदायूं बेसिक सीड स्टोर्स पर किसानों से सी० ४६ के बजाय पी० बी० ५९१ किस्म के गेहूं की मांग

*२८—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या जिला बदायूं में बेसिक सीड स्टोर्स पर उन कृषकों से भी जिनको अन्य प्रकार का गेहूं बीज के लिये दिया गया था पी० बी० ५९१ किस्म का बीज वापसी में मांगा गया ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां। केवल गुन्नौर उन्नत बीज भंडार में कुछ कृषकों से गेहूं सी० ४६ के बदले में पी०बी० ५९१ किस्म का बीज कृषि निरीक्षक, गुन्नौर ने गलती से मांगा था।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने किसानों से महकमे ने गलती से सी० ४६ के बजाय पी०बी० ५९१ किस्म के गेहूं के बीज की मांग की है ?

श्री हुकुमसिंह—ठीक प्रकार से बताना मुश्किल है लेकिन एक से ज्यादा किसानों से मांगा गया था।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या यह सही है कि गुन्नौर के उन सभी काश्तकारों से, जिनको अन्य प्रकार का बीज दिया गया था, उनसे भी पी०बी० ५९१ प्रकार का बीज मांगा गया था ?

श्री हुकुमसिंह—मैंने खुद तसलीम किया कि गलती से कुछ लोगों से मांगा गया था।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि जो गलती से बीज मांगा गया वह गलती रही या उसको दुरुस्त कर दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह—उनको सजा दी गयी।

श्री रामचरण लाल गंगवार (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिला बदायूं के दातागंज बीज गोदाम पर ५९१ नम्बर का गेहूं मांगा गया था और उनको दूसरा बीज दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह--इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री शिवराज सिंह यादव--क्या सरकार को ज्ञात है कि पंजाब ५९१ के दामों में बाजार से २ रु० प्रति मन के लगभग का अन्तर है ?

श्री हुकुमसिंह--मेरे पास ऐसी कोई इत्तिला नहीं है।

बस्ती जिले में मेहदावल बीज गोदाम का तोड़ा जाना

*२९--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेहदावल (बस्ती) के बीज गोदाम से कितना बीज सन् ५४-५५ में दोनों फसलों में दिया गया था ?

श्री हुकुम सिंह--मेहदावल बीज गोदाम से सन् १९५४-५५ में दोनों फसलों (खरीफ और रबी) में दिये गये बीजों का विवरण नीचे दिया जाता है :--

	मन	सेर
धान	३१४	२२
गेहूं	२२९	३०
चना	६४	१७
मटर	४७	१०

*३०--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् ३६ से चालू बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में स्थित मेहदावल (बस्ती) का बीज गोदाम क्यों तोड़ दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह--यह बीज गोदाम खलीलाबाद केन यूनियन के हेड क्वार्टर से जो इसे चलाती है, १६ मील की दूरी पर स्थित था। यही नहीं बल्कि इस यूनियन के क्षेत्र की सीमा से भी ४ मील बाहर था। खलीलाबाद और मेहदावल के बीच एक नदी पड़ती है जिसके ऊपर कोई पुल न होने से बरसात में आना-जाना कठिन हो जाता था। इन्हीं कारणों से यूनियन उस पर पूर्णरूप से देख-भाल नहीं कर पाती थी। फल यह हुआ कि बकाया वसूली की रकम भरसक प्रयत्न करने पर भी १७,७८७ रु० तक पहुंच गयी। सरकार का कुर्क अमीन भी जो विशेषकर वसूलयाबी के लिये नियुक्त किया गया, ३,००० रु० से अधिक न वसूल कर पाया। गोदाम की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन गिरती गयी और वह घाटे में चलने लगा। स्टाक बढ़ाने के सभी प्रयत्न विफल होते रहे क्योंकि उचित वसूलयाबी हो नहीं पाती थी। इन्हीं कारणों से यूनियन के बोर्ड आफ डाइरेक्टरों ने इस गोदाम को मेहदावल से मीरगंज, जो समिति की सीमा के अन्तर्गत है और जहां आने-जाने तथा गोदाम की इमारत की भी सुविधायें प्राप्त हैं, ले जाने का निश्चय किया। ऐसा निश्चय गत मास जून में हुआ।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि जो बकाया बढ़ गया था वह कर्मचारियों की ढिलाई के कारण हुआ ?

श्री हुकुमसिंह--नहीं।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि इन्हीं तमाम दिक्कतों के होते हुये भी जब बखेड़ा में सरकारी बीजगोदाम चल रहा है तो मेहदावल का बीजगोदाम क्यों नहीं चला ?

श्री हुकुमसिंह--वहां के लोग ज्यादा नादिहन्द थे।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या सरकार को मालूम है कि मेहदावल से मीरगंज का फासला ३० मील है ?

श्री हुकुमसिंह—नहीं मालूम ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार उस नदी पर कोई पुल बनवाने का विचार रखती है जिससे कोई भविष्य में हानि न हो जिससे हानि होती है ?

श्री हुकुमसिंह—भविष्य में देखा जायगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार कृपा करके उस फासले को मालूम करने की कोशिश करेगी जो मंत्री जी को मालूम नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह—जरूरत नहीं है ।

सहारनपुर जिले में रोडवेज सर्विस

*३१—श्री महमूद अली खां (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि जिला सहारनपुर में कितनी-कितनी रोडवेज की गाड़ियां किस किस लाइन पर चल रही हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला सहारनपुर में रोडवेज की गाड़ियां निम्नलिखित मार्गों पर चल रही हैं । उनकी संख्या हर मार्ग के सामने दर्ज है ।

मार्ग	गाड़ियों की संख्या
१—सहारनपुर–हरिद्वार	६
२—सहारनपुर–देहरादून	११
३—सहारनपुर–मंसूरी	२
४—रुड़की–देहरादून	२
५—रुड़की–मेरठ	१
६—रुड़की–पुरकाजी–मुजफ्फरनगर	६
७—हरिद्वार–दिल्ली	८
८—देहरादून–दिल्ली	८

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार सहारनपुर जिले में और लाइनों पर रोडवेज की गाड़ियां चलाने का विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—२४ लाइनें और सारे सूबे में सरकार लेने का विचार रखती है जो गजट में प्रकाशित हो चुकी हैं । यह इस समय ठीक याद नहीं है कि उनमें कोई लाइन सहारनपुर जिले की भी शामिल है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सच है कि रुड़की से मुजफ्फरनगर तक रोडवेज की लाइन सुरक्षित है किन्तु रुड़की से लंडौरा तक प्राइवेट बस चलती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, चल रही हैं लेकिन उनको नैशनेलाइज कर रहे हैं ।

*३२–३४—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—[स्थगित किये गये ।]

*३५–३६—श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—[स्थगित किये गये ।]

खीरी जिले में कोलोनाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

*३७—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिल खीरी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि खीरी जिले में कालोनाइजेशन योजना (Colonisation Scheme) के अन्तर्गत कितना धन स्वीकार किया गया था ?

श्री हुकुमसिंह—६९,६२,००० रुपया दो वर्ष के लिये खीरी जिले में कालोनाइजेशन योजना के अन्तर्गत स्वीकार किया गया था।

*३८—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कालोनाइजेशन योजना के अन्तर्गत कितनी भूमि प्राप्त की गयी तथा उसमें कितनी भूमि मजरुआ कर ली गयी है ?

श्री हुकुमसिंह—१०,००० एकड़ भूमि प्राप्त करने का विचार है और ३६० एकड़ भूमि मजरुआ कर ली गयी है।

श्री जगन्नाथप्रसाद—इस सरकारी धन में से कितना रुपया किस-किस मद पर खर्च किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह—अभी सब खर्चा नहीं हुआ है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—यह जो जमीन वहां ली जा रही है उसमें किस प्रकार के लोगों को बसाया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह—भूमिहीन मजदूर और पढ़े लिखे अनएम्प्लायड।

श्री जगन्नाथप्रसाद—अभी तक कितने आदमियों को बसाया जा चुका है ?

श्री हुकुमसिंह—अभी तो शुरुआत की जा रही है, जमीन अक्वायर की जा रही है।

उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में तकावी का बितरण

*३९—श्री देवदत्त मिश्र—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव में बांटी गयी कुल तकावी में पुरवा तहसील में कितनी तकावी दी गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस वर्ष ३१ अगस्त तक पुरवा तहसील में ११,५६० रु० तकावी दी गयी।

श्री देवदत्त मिश्र—जिले को कुल कितनी तकावी दी गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—३२,४१० रुपये।

श्री देवदत्त मिश्र—पुरवा तहसील में दी गयी तकावी कौन-कौन लोगों को दी गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत है।

मिर्जापुर जिले के भुइली परगने में बाढ़, ओला तथा सूखा-पीड़ित किसानों से कृषि-आय-कर की उगाही

*४०—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—क्या यह सही है कि चुनार तहसील (मिर्जापुर) के भुइली परगने के बाढ़-पीड़ित, ओला-पीड़ित और सूखा-पीड़ित किसानों से भी कृषिआय-कर लिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। इसका कारण यह है कि बाढ़, ओला और सूखा से जो हानि होती है उसकी कृषि-आय कर निर्धारित करते समय नियमानुसार कटौती कर दी जाती है।

श्री राजकुमार शर्मा—उनके नियम के अनुसार कृषि-आय-कर में बाढ़ग्रस्त और सुखाग्रस्त लोगों के लिये कितने धन की छूट दी गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या यह सही है कि अभी भी बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त कृषकों से वही कृषि-आय-कर लिया जा रहा है जो पहले लिया जाता था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कृषि-आय-कर लेते समय इस बात को देख लिया जाता है कि उनका कितना नुकसान हुआ है। ४,२०० रुपये से ऊपर की आमदनी पर ही कृषि-आय-कर लिया जाता है।

गोरखपुर के दौरे पर श्री राज्यपाल की विधायकों से भेंट

*४१—श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)—क्या यह सत्य है कि राज्यपाल महोदय के गत ३१ अगस्त व १ सितम्बर को गोरखपुर जाने पर जिले के सब एल० एल० ए०, एम०एल०सी० और एम०पी० को अपने बाढ़ की परिस्थिति से उन्हें अवगत कराने का अवसर जिला अधिकारियों ने नहीं दिया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारणाय सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश ने किन-किन एम०एल०एज० को इत्तला दी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिन लोगों ने उनसे मिलना चाहा था उनको इत्तला दी गयी थी।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या यह सही है कि जब इस प्रकार के अधिकारी किसी जिले में जायं तो उस जिले के सब एम०एल० एज० और एम०एल० सीज० को इत्तला देना आवश्यक है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय राज्यपाल वैसे अधिकारी नहीं हैं। उनसे मिलना उनकी इच्छा के अनुसार होता है। उनका यहां जो प्रोग्राम था वह बाढ़ग्रस्त लोगों से ही बातचीत करने का था।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि नान आफिशियल्स में एम०एल०एज० और एम०पीज० नहीं आते हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो मिलना चाहते थे राज्यपाल महोदय से मिल सकते थे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी उन एम० एल० एज० के नाम बताने की कृपा करेंगे कि जिन्होंने मिलने की इच्छा प्रकट की और जिनको सूचना दी गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिन्होंने मिलने की इच्छा प्रकट की थी उनमें श्री अक्षयवर सिंह एम० एल०ए० और एक कांग्रेस के सज्जन श्री भगवती प्रसाद दुबे थे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार को यह विदित है कि जब राज्यपाल महोदय दौरे पर गये थे तो देवरिया जिले के हर एम० एल० ए० को, जो उनसे मिलना भी नहीं चाहता था, इत्तला दी गयी थी कि तुम आकर मिल सकते हो ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि क्या दो ही एम०एल०एज० ने माननीय राज्यपाल से मिलने की इच्छा प्रकट की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसका जवाब दिया जा चुका है उन्हीं लोगों ने उसकी इच्छा प्रकट की थी।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अन्य जिलों में जब माननीय राज्यपाल गये तो सब एम०एल०एज०को निमंत्रित किया गया था कि वे अपने क्षेत्र और अपनी बात कहने के लिये आयें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो मालूम नहीं है कि किसी खास जिले में क्या हुआ लेकिन इस जिले में माननीय राज्यपाल ने यह कहा था कि वे बाढ़ग्रस्त लोगों से ही मिलेंगे।

श्री शिवनारायण—क्या यह सही है कि जिन बाढ़पीड़ित क्षेत्रों को राज्यपाल महोदय ने देखा उस कांस्टीट्युएंसी के लोगों को वहां के कलेक्टर ने उनसे मिलने के लिये नहीं बुलवाया ?

श्री चरणसिंह—माननीय राज्यपाल ने १०–१२ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था। अब किस-किस जिले में किस-किस से मिले यह तो पता नहीं, लेकिन यह जरूर है कि मुख्तलिफ जिलों के जिलाधीशों ने अपने-अपने जिलों में अलग-अलग कायदा बरता होगा। गोरखपुर में यह हुआ कि वहां के जिलाधीश ने राज्यपाल महोदय के प्राइवेट सेक्रेटरी से दरियाफ्त कर लिया कि क्या वे लेजिस्लेटर्स को बुलायें तो उन्होंने कह दिया कि सब को तकलीफ क्यों देते हैं। जो मिलना चाहें मिल लें। इसमें कोई सेंजीटिव होने की जरूरत नहीं है। अब भी कोई मिलने की दरख्वास्त करें तो वे मिल सकते हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह को छोड़ कर जिले के और तमाम एम०एल०ए० को मिलने की सूचना दी गयी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी तो कोई इत्तला नहीं है।

*४२—**श्री रामसुन्दर राम** (जिला बस्ती)—[स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले में कथित भुखमरी

*४३—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या माल मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गोरखपुर जिले के निम्नलिखित व्यक्तियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति में किसी प्रकार भी खाद्य पदार्थ न मिलने के कारण भूख से मृत्यु हो गयी है :—

(१) गांव कनइल, तहसील बांसगांव के श्री शिवदत्त हरिजन की स्त्री, लड़का तथा लड़की जिनका नाम क्रमशः मक्तूली द्वारिका तथा बदकी था;

(२) मंगली गांव कनइल,

(३) चौरी चौरा रेलवे स्टेशन के मुसाफिरखाने में २२ अगस्त, १९५५ को एक अज्ञात व्यक्ति ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, यह सही नहीं है।

*४४—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या श्री शिवदत्त हरिजन ने जिलाधीश, गोरखपुर को इस भुखमरी से मृत्यु के बारे में कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—श्री शिवदत्त ने एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, गोरखपुर को दिया था जिसमें कहा था कि उनकी स्त्री तथा दो बच्चों की मृत्यु जहरीली आम की गुठलियों से बनायी हुयी चपाती खाने से हुयी थी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अगर यह सही नहीं है तो सही क्या है, क्या माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह बात सही है कि इस जिले में लोग गुठली को शौक से भी खाते हैं, इसको जोड़ कर रखते हैं और वे लोग अचार की शक्ल में भी गुठली को खाते हैं। जो यह गुठली खायी गयी थी जिसकी वजह से मृत्यु हुयी, हो सकता है कि जहरीली गुठली रही हो, वह कहीं पर असुरक्षित रूप में रखी हो और उसको किसी सांप आदि ने छू दिया हो जिसके जहर की वजह से उनकी मृत्यु हो गयी हो। क्योंकि दरख्वास्त में कहा गया है कि मृत्यु एक दो घंटे में ही हुयी। यह कोई स्टारवेशन या भूख से उनकी मृत्यु नहीं हुयी। क्योंकि इसके दो तीन रोज पहले ही उसी गांव में गल्ला दो तीन बार बांटा जा चुका था और इस परिवार को भी गल्ला दिया गया था।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार को पता है कि शौक से लोग गुठली नहीं खाते हैं बल्कि जब उनके पास कोई अन्न नहीं रहता है तभी वे गुठली खाते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, अन्न होता है तो भी गुठली खाते हैं, क्योंकि इनके पास अन्न भी मौजूद था उस वक्त। जहां पर गुठली खाने का शौक होता है, एक रिवाज होता है तो वे किसी दूसरे अन्न के रहते हुये भी शौक से गुठली खाते हैं।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी को इस घटना से पहले किसी और भी घटना का पता है जिसमें शौक से गुठली खायी गयी हो और उससे किसी की मृत्यु हुयी हो ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो एक्सीडेंट था कि वह जहरीली गुठली थी जिसमें किसी तरह से जहर मिला हुआ था। अब इस एक्सिडेंट के लिये क्या किया जाय, वरना गुठली खाने वाला हर एक मर जाता है। ऐसी बात नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस क्षेत्र के केवल हरिजन ही गुठली खाते हैं या सब लोग खाते हैं ?

श्री चरणसिंह—जी, और लोग भी खाते हैं। यह जो गुठली से मरा उसके भूख से मरने की बात यों हुयी कि उसी गांव के सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी के जरिये वह दरख्वास्त दी गयी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिवदत्त हरिजन परिवार को किन-किन तारीखों में कितना-कितना गल्ला किस-किस अधिकारी के द्वारा दिया गया ?

श्री चरणसिंह—१८ अगस्त को दिया गया। और तहसीलदार जब तहकीकात करने के लिये घर पर पहुंचा तो उस समय उनके घर पर गल्ला मौजूद था ?

कोआपरेटिव केन डेवलपमेंट विभाग के आडीटर्स को नया वेतन-क्रम

*४५—**श्री तेजप्रताप सिंह**—क्या यह सत्य है कि कोआपरेटिव केन डेवपलपमेंट विभाग के आडिटर्स को कई साल पहिले से बिना किसी परीक्षा लिये नये वेतन-क्रम में शामिल किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह—हां।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बिना परीक्षा लिये इन आडटिर्स को नया वेतन-क्रम दिया क्यों गया ?

श्री हुकुमसिंह—वह पहले से पास थे।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कोआपरेटिव के अन्य आडिटर्स को नया वेतन-क्रम क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह—कोआपरेटिव से इस से क्या सम्बन्ध है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनका पहला वेतन-क्रम क्या था और अब क्या है ?

श्री हुकुमसिंह—पहले था ७५-५-१२० और अब है १२०-२५०।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे कि केन कोआपरेटिव और कोआपरेटिव विभाग के आडिटर्स में क्या भेद है ?

श्री हुकुमसिंह—नोटिस चाहिये, इसकी अभी जानकारी नहीं है।

मिर्जापुर जिले की राबर्टसगंज तहसील में सूखा-पीड़ितों को छट देने की मांग

*४६—श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर के तहसील राबर्टसगंज में सन् १९५५ ई० की रबी फसल मारी जाने अथवा सूखा के कारण न बोई जाने से वे उचित छूट देने पर विचार कर रहे है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मिर्जापुर जिले की तहसील राबर्टसगंज में रबी १३६२ की फसल को सूखा से ऐसी कोई क्षति या हानि नहीं पहुंची कि जिस के कारण छट देने की आवश्यकता पड़ती ?

*४७—श्री रामस्वरूप—क्या जिले से निश्चित समय के अन्दर फसल की हानि सम्बन्धी सूचना सरकार को भेजी गयी ? यदि हां, तो कब और नहीं तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामस्वरूप—क्या मंत्री जी को पता है कि राबर्टसगंज तहसील के (मिर्जापुर) बड़हर परगने का कोई छूट का नकशा बनाया और उस पर वहां के जिला अधिकारियों ने कोई विचार नहीं किया ?

श्री चरणसिंह—ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन नकशे वहां के बने होंगे और वहां की हानि उतनी न आयी होगी जितनी नियमानुसार होनी चाहिये और इसी कारण से छूट न दी गयी होगी ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या वहां के स्थानीय एम०एल०ए० ने भी वहां का दौरा करके कोई रिपोर्ट जिलाधीश को दी थी ?

श्री चरणसिंह—ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन बात सही होगी जब माननीय मित्र ऐसा कहते हैं लेकिन उससे यह साबित नहीं होता कि रिपोर्ट की सिफारिशें नियम के अन्दर आ जाती हैं ।

श्री शिवनारायण—क्या यह सही है कि राबर्टसगंज तहसील के नाम के नाते उसे भूला हुआ है क्या भविष्य में उस तहसील का नाम बदलने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—अभी तो नाम बदलने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहें तो उनका नाम उस में जोड़ दिया जाय ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न के बाद फिर से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—कोई तहकीकात या जांच कराना इस वक्त व्यर्थ होगा क्योंकि अब फसल मौजूद नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

सिधौली, जिला सीतापुर में बस स्टेशन निर्माण योजना

१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिधौली, जिला सीतापुर में रोडवेज बस स्टेशन कब तक बन जायेगा ?

श्री चरणसिंह—सिधौली में रोडवेज का बस स्टेशन बनाने के लिये भूमि प्राप्त कर ली गयी है । इमारत बनाने के लिये दूसरी पंच-वर्षीय योजना में समुचित व्यवस्था की जा रही है । आशा है कि अगले वित्तीय वर्ष में बस स्टेशन बनाना कार्यान्वित किया जायगा ।

उत्तर प्रदेशीय गन्ना आयुक्त कार्यालय के लिपिकों का वेतन-क्रम

२—श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या उत्तर प्रदेशीय गन्ना आयुक्त (केन-कमिश्नर) का कार्यालय अन्य विभागीय अध्यक्षों के कार्यालयों के स्तर का है? यदि नहीं तो क्यों? यदि है, तो उस कार्यालय के लिपिकों के वेतन-क्रम अन्य विभागीय अध्यक्षों के कार्यालयों से भिन्न क्यों है?

श्री हुकुम सिंह (अ) हां,

(ब) प्रश्न नहीं उठता,

(स) क्योंकि वेतन निर्धारण सरकार ने यू०पी० पे कमेटी रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के आधार पर किया है।

गन्ने के रेंज एकाउन्टेन्टों की तैनाती

३—श्री सीताराम शुक्ल—क्या गन्ना आयुक्त ने कतिपय रेंज एकाउन्टेंटों को उनके निवास वाले जिलों में अथवा ऐसे क्षेत्रों में जिसमें उनका निवास का जिला भी सम्मिलित है तैनात किया है?

श्री हुकुमसिंह—हां।

गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में बाढ़-पीड़ितों के लिये नावें

४—श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि महाराजगंज तहसील (गोरखपुर) में बाढ़ से सहायता के लिये सरकार द्वारा कितनी नावें भेजी गयीं और कितनी नावें वहां के निवासियों ने कितना नकद रुपया जमा करके सरकार से लीं?

श्री चरणसिंह—इस साल की बाढ़ में तहसील महाराजगंज में ३३ नावों से बाढ़-पीड़ितों की सहायता का काम लिया गया। इन में से २७ नावें किराये पर ली गयी थीं, ४ नावें सरकारी थीं और शेष २ नावें (subsidy basis) पर गांव सभा द्वारा खरीदी गयी थीं जिसके लिये गांव सभाओं ने ८०० रु० और शेष ८०० रु० सरकार ने दिया था।

५—श्री रामनारायण त्रिपाठी—[स्थगित किया गया।]

लेखपालों की ट्रेनिंग में जौनपुर जिले के व्यक्ति

६—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले से कुल कितने व्यक्ति प्रत्येक तहसील से लेखपालों की ट्रेनिंग के लिये भेजे गये थे?

श्री चरणसिंह—जौनपुर जिले से कुल १४३ व्यक्ति लेखपालों की ट्रेनिंग के लिये भेजे गये थे, जिनकी तहसीलवार संख्यायें निम्नलिखित हैं:—

जौनपुर	२१
मड़ियाहूं	३८
मछली शहर	१२
शाहगंज	२३
केराकत	४९
योग ..	१४३

७—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त ट्रेनिंग कितने दिनों की हुयी?

श्री चरणसिंह—यह ट्रेनिंग डेढ़ मास की १६-११-५४ से ३१-१२-५४ तक हुयी।

चर्क सीमेंट फैक्टरी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अधिष्ठाता—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामेश्वर लाल जी का आया है। उसका ताल्लुक चुर्क सीमेंट फैक्टरी से है, लेकिन देखने से यह मालूम होता है कि इसमें न कोई डेफिनिटनेस है, न कोई अर्जेन्सी है जिससे कि यह इजाजत मिल सके कि इस मोअज्जिज हाउस का हम कुछ टाइम खर्च कर सकें और इस पर गौर करें। इसलिये मैं इसे एडमिट नहीं करता।

बाढ़ तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना पर विवाद का कार्यक्रम

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि जब यह सदन उठ रहा था तो यह कहा गया था कि १० को बाढ़ पर वादविवाद होगा और आज के कार्यक्रम में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर वादविवाद नहीं है। इसका क्या कारण है? इसे मैं जानना चाहता हूं।

***वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**—मुझे तो यह याद नहीं है और यकीन यह है कि यह नहीं कहा गया कि १० तारीख को वादविवाद होगा, बल्कि यह कहा गया कि अब जब १० तारीख से असेम्बली बैठेगी उसमें किसी दिन होगा और उसके मुताल्लिक मैं अर्ज करता हूं कि १३ ता० को वह बहस होगी। मगरबी जिलों में भी फ्लड आया है जो पहले नहीं आया था और कुछ मेम्बर उसके मुताल्लिक भी कह रहे थे तो मैं यह बतलाता हूं कि १३ ता० को यहां उसके ऊपर बहस होगी, इसके अलावा आपकी इजाजत से इतना और बतलाता हूं कि महीने की १९, २० और २१ इन तीन तारीखों में उस प्लान पर बहस होगी, जो हमारा इस वक्त चल रहा है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे इस सम्बन्ध में यह मालूम करना है कि १३ तारीख को बहस होगी इस तारीख की जरूरत क्यों समझी गयी, क्या १३ के पहले नहीं हो सकती थी जो १३ ता० को ही करना मुनासिब समझा गया?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कारण यह है कि दो दिन और मिलेंगे ११ और १२ और इन दो दिनों के दर्मियान मेम्बर साहबान को और ज्यादा मालूमात हो जायगी और १३ तारीख को बहस करना बहुत अच्छा होगा, हाउस के लिये बहुत उम्दा बात होगी।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ को कार्यसूची में न रखने पर आपत्ति

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, आज एजेंडा पर देखने से ऐसा मालूम होता है कि जो केन रूल्स डिसकस किये जा रहे थे वे एजेंडा पर नहीं हैं, क्योंकि जिस रोज उठे थे उन पर बहस समाप्त नहीं हुयी थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि किस कारण से उनको एजेंडा पर नहीं रक्खा गया?

अधिष्ठाता—मुझे मालूम हुआ कि यह बात पहले से तै की जा चुकी है कि वे रूल्स ११ को रक्खे जायंगे। इसलिये जो आज का एजेंडा है उसी के मुताबिक हम चलेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५ एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

श्रीमन्, नागर क्षेत्र में जमींदारी-विनाश और नयी भूमि-व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से एक विधेयक, जनवरी, १९५० में इस असेम्बली में पेश किया गया था। इसके बाद वह एक प्रवर समिति के सुपुर्द हुआ। प्रवर समिति की रिपोर्ट इस हाउस में आई। फिर गालिबन गवर्नमेंट के इनीशिएटिव पर, उनकी इच्छा पर, वह विधेयक दोबारा उसी प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया। इसके बाद जैसा कि माननीय मित्रों को मालूम है कि वह बिल वापस ले लिया गया और दूसरा विधेयक पेश किया गया। अब यह दूसरा विधेयक जो कुछ दिन पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था उसके सिलसिले में मेरा यह प्रस्ताव है कि यह दोनों सदनों की एक मुश्तरका प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्रीमन्, मैं आप की इजाजत से इस विधेयक के क्या उसूल हैं और पहले विधेयक को क्यों वापस लिया गया, इस बारे में कुछ माननीय मित्रों की सहूलियत के लिये अर्ज कर देना मुनासिब समझता हूं। पहला विधेयक जो जनवरी, १९५० में यहां इंट्रोड्यूस किया गया था उसका मंशा यह था कि नागर क्षेत्र के अन्दर, म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज की हदूद के अन्दर, जो जमीन जेरेकाश्त है, जहां कृषि हो रही है उसका हक मिल्कियत गवर्नमेंट हस्तगत कर ले। उसमें जो प्रोप्राइटरी राइट्स हैं उनको गवर्नमेंट अक्वायर कर ले सिवाय ऐसी जमीन के हक मिल्कियत को छोड़ कर जिसमें काश्तकारान गैरदखीलकारान खेती करते हों। जो जमीन गैर-मजरुआ है या तो खाली पड़ी हुई या जिस पर मकानात आदि बन गये, उनके हस्तगत करने का कोई सवाल उस बिल में नहीं था न इसमें ही है। साथ ही यह भी था कि हक मिल्कियत तो गवर्नमेंट हस्तगत कर लेगी लेकिन जो काश्तकारान उस मजरुआ भूमि में काश्त कर रहे हैं उनके अधिकार और जिम्मेदारियों में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। जो जैसा काश्तकार पहले था वह वैसा ही रहेगा और वहां यू० पी० टिनेंसी ऐक्ट पहले की भांति यानी यथापूर्व लागू रहेगा। मतलब कहने का यह हुआ कि काश्तकारान की जो नवइयत पहले थी, जो जिम्मेदारियां और अख्तियारात पहले थे, जमींदारी के खात्मे से पहले, वही जारी रहेंगे। यह उस बिल का मोटा-सा मंशा था। उसमें यह भी था कि जो मुआविजा जमींदारों को दिया जाय वह पक्की निकासी या मुनाफे के १२ गुने से लेकर २५ गुने तक दिया जाय। जैसी जहां जमीन की कीमत हो उसके हिसाब से। तो जनाबवाला, जैसा अर्ज कर चुका हूं यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द हुआ। अब गवर्नमेंट यह दूसरा विधेयक लायी। जो पहला विधेयक था, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया उससे काश्तकारान की जिन्दगी पर कोई असर पड़ता ही नहीं था, या बहुत थोड़ा पड़ता था। जमींदार की जगह गवर्नमेंट ले लेती थी। तो इस पर दो एतराजात आमतौर पर किये जा सकते थे। एक तो यही कि किसानों की जिन्दगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनके लिये कोई अन्तर नहीं हुआ और भूमि-व्यवस्था नयी जो कि देहात में लागू की जा चुकी है वह शहर में क्यों न लागू की जाय। दूसरा एतराज यह था कि जो अनकल्टीवेटेड एरियाज हैं, जो गैरमजरुआ भूमि है, जो कि देहात में गवर्नमेंट ने हासिल कर के पंचायतों को इंतजाम के खातिर सुपुर्द कर दी, ऐसा शहरी इलाके में क्यों नहीं किया जाता? तो, श्रीमन्, जैसा मैंने अर्ज किया, गवर्नमेंट ने उस बिल को विचार करने के बाद वापस ले लिया और यह दूसरा बिल अब पेश किया।

---

*१९ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

इस बिल में काश्तकारान के कब्जे में—हां, एक बात में और आप की इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि जो जमीन, सीर और खुदकाश्त, जमींदारों के बाग के नीचे थी पुराने विधेयक के अनुसार वह जमीन उसी प्रकार से सीर और खुदकाश्त की हैसियत से जमींदारों के कब्जे में रही आती थी । केवल जो जमीन काश्तकारान के कब्जे में थी, नान-आकुपेंसी टेनेंट को छोड़ कर, उनका हक़-मिलकियत सरकार अक्वायर कर रही थी । अब जो नया बिल पेश किया गया है वह शहरी हदूद के अन्दर, जितना जेरकाश्त रक़बा है, उस सब के प्रोप्राइटरी राइट्स या मध्यवर्तियों के हकूक़, इंटरमिजियरीज के अख्तियारात को, गवर्नमेंट अक्वायर कर रही है, जिसमें जमींदारों की सीर और खुदकाश्त और बागात खड़े हैं उसको भी और जिसमें गैरदखीलकार काश्तकार हैं उस को भी । साथ ही यह कि, पहले, जैसा मैंने अर्ज किया, यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट लागू रहा आया, लेकिन अब इस बिल के मातहत जो लैंड रिफार्म्स की आखिरी शक्ल अब सारे देहात में है, वही व्यवस्था यहां भी लागू की जा रही है, अर्थात् जो जमींदारों की सीर और खुदकाश्त के अन्दर जमीन है उसके वह भूमिधर हो जायंगे, बागात के अन्दर जो जमीन है उस के वह भूमिधर हो जायंगे, जैसे कि हमारे गांव में है, और जिस काश्तकार को हक इन्तकाल हासिल है वह भूमिधर हो जायगा---हमने जमींदारी अबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में यही उसूल रखा है कि जिस किसान को भी हक-इन्तकाल हासिल है, ख्वाह वह जमीन का मालिक था या काश्तकार था, वह भूमिधर हो जायगा । जमींदार को अपनी सीर और खुदकाश्त और बाग़ पर हक़-इन्तकाल हासिल था, इसलिये आटोमैटिकली बिना कुछ पैसा दिये वह भूमिधर हो गया ।

इसी तरह से फिक्स्ड रेट टेनेंट्स, काश्तकारान शरह-मुअइयन, जिनका लगान मुकर्रर था, कभी घट-बढ़ नहीं सकता था, लेकिन हक़-इन्तकाल उनको हासिल था, (बनारस डिवीजन में हजारों ऐसे काश्तकार हैं) इसी तरह से दवामी पट्टेदार या इस्तमरारी पट्टेदार, जोकि हेरेडिटरी टेनेंट्स थे और जिन्होंने हक़-इन्तकाल हासिल कर लिया था, ऐसे सब लोग सारे देहात में भूमिधर बनते हैं, तो शहरी इलाके में भी भूमिधर बन जायंगे और जो बाक़ी किसान हैं वह सब सीरदार हो जायंगे । यहां अधिवासी काश्तकार को बनाने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि हमने देहात में भी कोई अधिवासी नहीं छोड़ा है । जितने थे वह सब सीरदार बन चुके हैं । यहां शहरी इलाके में भी वह सब सीरदार हो जायंगे । तो इस तरह भूमिधर और सीरदार हुए और जो असमर्थ भूमिधर हैं या असमर्थ सीरदार हैं और उनकी जमीन गैरदखीलकार काश्तकार या शिकमी काश्तकार के पास है वह देहात की भांति असामी हो जायंगे । साथ ही, श्रीमन्, अगर सीरदार दसगुना रुपया दाखिल कर देगा तो शहर के इलाके के अन्दर भी वह भूमिधर हो जायगा । मतलतब मेरे कहने का यह है कि अगर इस विधेयक ने अधिनियम का रूप अख्तियार कर लिया तो भूमि व्यवस्था जैसी कि सूबे के एक कोने से दूसरे कोने तक हमारे मैदानी इलाके के कानून में आज रायज है, जहां तक भूमि-व्यवस्था का संबंध है, ठीक उसी तरह शहरी इलाके में भी लागू हो जायगी । हो सकता है कि कुछ लोगों ने मकान बनाने के लिये जमीन पट्टे पर ली हो, तो उसके लिये बहुत सोचने विचारने के बाद इस विधेयक में यह प्राविजन रखा गया है कि पहली जुलाई, १९५५ से पहले अगर किसी व्यक्ति ने मकान बनाने की गरज से कोई पट्टे पर जमीन ली है—पहले कब ली है उसकी कोई मियाद इस विधेयक के अन्दर नहीं है, आखिरी तारीख हमने रखी है और उस जमीन में कोई सब-टेनेन्ट या टेनेन्ट आबाद कर दिया गया हो यानी काश्तकारी के लिये दे दी गयी हो तो ऐसी जमीन में, जो मकान बनाने की गरज से पट्टे पर हासिल की गई थी कोई अख्तियार उस काश्तकार को हासिल नहीं होगा । वह मुस्तौजिब बेदखली होगा । ऐसा काश्तकार या शिकमी उस जमीन के मालिक या पट्टेदार की दरख्वास्त पर या तहरीक पर लायबिल टु इजेक्टमेंट होगा । तो जो दो एतराज थे कि भूमि व्यवस्था लागू नहीं की गई और यह इम्तियाज शहरी इलाके में और देहाती इलाके में किया जा रहा था तो इनका जवाब पूर्णतया इस विधेयक के अंदर है । लेकिन वह जो दूसरी बात थी कि गैर-मजरुआ जमीन क्यों नहीं एक्वायर की जा रही है, उसके सिलसिले में, श्रीमन्, जैसा कि पहले बिल में था वैसा ही ठीक इसके अन्दर है । वह हम एक्वायर करने का इरादा नहीं रखते ।

[श्री चरणसिंह]

उसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि कौन सी जमीन गैर-मजरुआ है जिसमें कि आबादी हो गयी है या नहीं हो गई है, और कौन सी जमीन मजरुआ है, इस मजरुआ और गैर-मजरुआ की तमीज करने के लिये, उस को अलाहिदा करने के लिये, बड़े भारी सर्वे की जरूरत होगी और वह सर्वे हमारे महकमा माल के राज कर्मचारी नहीं कर सकते, हरगिज नहीं कर सकते। वह इसलिये कि जब शहराई इलाके में सर्वे होता है तब भी बड़ी मुश्किल पेश आती है। जो हमारे माननीय मित्र यहां मौजूद हैं और जिनको वकालत करने की खुशकिस्मती हासिल हुई है, वह यह जानते हैं कि जमीन की पैमाइश में कितनी कठिनाई पेश होती है, और उस कठिनाई के कारण कितनी मुकदमेबाजी होती है। जब शहराई इलाके में यह हाल है तो जहां तक शहरी इलाके का ताल्लुक है वहां तो सर्वे की कार्यवाही बहुत माइन्यूट, बहुत डिटेल्ड और बहुत एक्सपर्ट लेविल की होनी चाहिये और वह जैसा कि मैंने अर्ज किया हमारे लिये नामुमकिन है। उसके लिये लाखों रुपये चाहिये और गवर्नमेंट आफ इंडिया के सर्वे डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करनी पड़ेगी क्योंकि वही शहराई इलाके में इतना माइन्यूट सर्वे कर सकता है। अगर्चे हमने उनसे मालूम नहीं किया लेकिन हमारा अनुमान यह है कि हमको जितने राज्य कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट आफ इंडिया भी हमको दे नहीं सकती है और साथ ही उसमें बहुत लम्बी मुद्दत लगेगी। अब इस सिलसिले में सवाल यह हो सकता है कि क्यों साहब, इस सर्वे की क्या जरूरत है। कारण साफ़ है, हमारे लैंड रेकार्डस शहरी इलाके में बहुत सी जगह तो अगर मैं यह कहूं कि हैं ही नहीं तो कोई मुबालिग़ा नहीं होगा और जहां पर हैं वे बहुत नाकिस हैं। श्रीमन्, कुछ माननीय दोस्तों को यह शिकायत होगी, और मैं नहीं कहता कि वह बेजा शिकायत है, कि इतनी देर इस विधेयक के पेश करने में क्यों लगी। तो इसका सब से बड़ा कारण यह है कि हमने आंकड़े इकट्ठा करने की जो कोशिश की उसमें देर लगी और हमारे जिलाधीशों को आंकड़े भेजने में जो देर लगी उसका कारण यह है कि उनके पास रिलाएबिल लैंड रेकार्डस नहीं हैं। इतना समय लगने के बावजूद और इतनी कोशिश करने के बावजूद अब भी केवल २२ जिलों के आंकड़े हमको मिल सके हैं, कुल सूबे के अब भी नहीं मिल पाये हैं।

फिर तीसरा सवाल इस सिलसिले में यह होता है कि माना लैंड रेकार्ड डिफ़ेक्टिव है, सर्वे करना पड़ेगा वह नहीं करा सकते, अगर्चे लफ्ज "माना" श्रीमन् मुझको उम्मीद है कि माननीय गेंदासिंह जी की जबान से तो शायद ही मुझको सुनने को मिले लेकिन और बहुत से मेरे दोस्त बैठे हैं वे शायद मेरी इस कठिनाईयों को मान जायं, लेकिन तीसरा सवाल यह होता है कि डिफ़ेक्टिव क्यों है। तो इसका कारण यह है कि सन् १९३२ में यह सवाल उठा कि शहरी इलाके में सेटिलमेन्ट्स न किये जायं। यह बात सारे सेटिलमेंट आफ़िसर्स को मालूम हो गई और सारे कर्मचारियों को मालूम हो गई और करीब-करीब यह तय सा था कि शहरी इलाके के अन्दर सेटिलमेंट्स नहीं हुआ करेंगे। ९ साल तक उस पर बहस होती रही, सन् ३२ से ४१ तक और अन्त में उस पर कुछ तय नहीं हुआ। लेकिन इस बहस और नोटा-नोटी का यह असर जरूर हुआ कि शहरी इलाके में लैंड रेकार्डस नेगलेक्ट हो गये। इतने बड़े गांव मौजूद हैं और मकान बना दिये जाते हैं खेतों के अन्दर तो वहां भी लैंड रिकार्ड्स रिलायबिल नहीं हैं, कहीं पटवारी उसको खेत लिख रहा है, कहीं बन्जर लिख देता है अगर उसमें काबिलियत हुई, मकान तो बहुत कम जगह लिखते हैं। और फिर मकान की पैमाइश। अगर १ बीघा ६ बिस्वा का खेत है तो मकान कितने मुरब्बा गज के अन्दर है कहीं लिखा ही नहीं जाता है। फिर शहर जहां इस बीच में मकान धड़ा-धड़ बने हैं तो इस सब का नतीजा यह हुआ कि लैंड रेकार्ड्स नाकाबिल एतबार और बाज-बाज जगह नहीं के बराबर। बहुत कोशिश के बावजूद भी हमको ऐसे स्टैटिस्टिक्स हासिल नहीं हो सके जिनकी बिना पर सदन के सामने मैं कोई बयान दे सकता। एक मजबूरी तो गवर्नमेंट की यह है। दूसरी यह कि गैर-मजरूआ भूमि की वकअत जो देहाती इलाके में है उससे कई गुनी वकअत शहरी इलाके में है। बल्कि देहाती इलाके में जो भूमि जेर-काश्त है वह ज्यादा कीमती है उससे जो बंजर या कल्लर पड़ी हुई है, उसके दाम

कौड़ी के बराबर हैं। शहर में ठीक इसके उल्टा है, शहर में अगर कोई जमीन खाली पड़ी हुई है तो उसके मालिक की नजर में कहीं ज्यादा कीमत है उसकी बनिस्बत उस जमीन के जो काश्तकार के कब्जे में है। अब ऐसी सूरत में इस जमीन को लेना हमने मुनासिब नहीं समझा। इसके मुआवजे वगैरा का जो सवाल उठा था, मुआवजे का जहां तक ताल्लुक है—यों हम कुछ भी आरबीट्रेरी वैल्यू मुकर्रर कर दें तो यह बात दूसरी है। इस जमीन की कीमत गजों में नापी जाती है और प्रायः हर जिले में एक कस्बे से दूसरे कस्बे में वाइडली डिफर करती है। हर जिले से दूसरे जिले में बहुत अन्तर है और जिन जिलों में म्युनिसिपैलिटीज और नोटिफाइड एरियाज हैं, उनमें भी बहुत अन्तर है। उसकी कीमत जरायती भूमि से बहुत ज्यादा है और कई गुनी है। देहाती इलाके में उसकी कीमत नहीं के बराबर है, ऐसे ही मुजफ्फरनगर जिले में और ऐसे ही देवरिया जिले में। तो यह भी एक कंसीडरेशन गवर्नमेंट के सामने था जिसकी वजह से अनकल्टीवेटेड एरियाज को एक्वायर करने का इरादा इस बिल के जरिये नहीं है। लेकिन प्राइमरी कंसीडरेशन सर्वे करने का या पैमाइश करने का नामुनासिब है।

अगर सदन यह तय करे कि इस प्रकार की जमीन को भी एक्वायर किया जाय तो मेरे एडवाइजर्स बतलाते हैं कि इसके लिये हमें लाखों रुपया देने के लिये तैयार होना चाहिये और १०/१५ साल के लिये जमींदारी एबोलिशन का ख्याल छोड़ देना चाहिये, क्योंकि सर्वे का काम आसान नहीं है इसलिये इरादा रखते हुये भी बहालत मजबूरी अनकल्टीवेटेड एरियाज को इस बिल में छोड़ा जा रहा है और कम्पेंसेशन का जहां तक संबंध है वह १२ गुने से २५ गुना रखा है, लेकिन इस बिल के ऊपर जो सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई थी उसने इस खयाल से इसको छोड़ा कि हम तय नहीं कर सकते हैं कि कहां १२ गुना, कहां १४ गुना और कहां २५ गुना, क्योंकि जो आंकड़े इकट्ठा किये गये थे, उनसे यह जाहिर होता था और जिनके बारे में हमने सोचा था कि यहां कीमत ज्यादा होगी तो ऐसे बहुत से कस्बे थे जहां उससे भी ज्यादा कीमत थी। बड़े शहरों में भूमि की कीमत कम और छोटे कस्बों में ज्यादा वैरी करती थी। इन आंकड़ों से कोई उसूल हम नहीं निकाल सकते थे। हमने जमींदारी एबोलिशन लैंड रिफार्म ऐक्ट में एक उसूल रखा है कि छोटे मालगुजार को रिहैबिलिटेशन ग्रांट को मिला कर ज्यादा पैसा मिल जाय। उससे बड़े मालगुजारों को कुछ कम, उनसे बड़ों को और कम और उनसे भी बड़ों को और कम। लेकिन इस प्रकार का कोई स्केल और इस प्रकार का कोई गज शहर की जमीन के मुआवजे के सिलसिले में कायम नहीं किया जा सकता था। वह इसलिये कि लगान के अन्दर बहुत बड़ा फर्क है। बड़े शहर में कम और छोटे शहर में ज्यादा। मुझे ठीक प्रकार से याद नहीं है लेकिन ५२–५३ की जो बड़ी फाइल है उस में आंकड़े मौजूद हैं। जैसे कि देहरादून और बाराबंकी में कानपुर के मुकाबले में रेन्ट आये हैं, हर आदमी यह उम्मीद करता है कि कानपुर में ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर जमीन पर ज्यादा प्रेशर है। तो इस प्रकार से जहां वैरिएशन्स हों वहां इस प्रकार से, एक सूत्र में पिरोये नहीं जा सकते हैं और इस प्रकार का सिद्धान्त नहीं निकाला जा सकता है। सिलेक्ट कमेटी ने इस मजबूरी को देख कर अपनी यह रिपोर्ट दी कि १६ गुना मुआवजे का एक ही रेट सब जगह के लिये कर दिया जाय यानी पक्की निकासी का १६ गुना मुआवजा रखा जाय और उन्होंने नेट एसेट का १६ गुना मुआवजा देने का प्रोपोजल रखा। मैं श्रीमन्, जानता हूं कि अनकल्टीवेटेड एरिया के सिलसिले में मुझे माननीय मित्रों से बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। मैं बड़ी खुशी से उसको सुनूंगा। अगर कोई सुझाव काबिले अमल किसी भी मित्र ने दिया तो मैं यह वायदा करता हूं कि मैं उस मित्र के साथ चलने की कोशिश करूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना यह प्रस्ताव सदन की गौर के लिये पेश करता हूं।

अधिष्ठाता—इस बिल के सिलसिले में एक अमेंडमेंट आया है जो श्री राजनारायण साहब ने दिया है। वह अपने संशोधन में यह चाहते हैं कि इसके आखिर में यह और जोड़ दिया जाय कि "जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन के अन्दर प्रस्तुत करे"। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को कोई एतराज है?

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, मुझे बहुत बड़ा एतराज है और वह इसलिये है कि अभी तो यह मंजूर हो कर कौंसिल के पास जायगा और कौंसिल भी इस प्रस्ताव को मंजूर करेगी। तब फिर यहां आयेगा। फिर यहां पर मेम्बरों की लिस्ट बनायी जायगी तब कमेटी बनेगी। फिर १५ दिन के बाद गालिबन यह कमेटी बैठेगी। और साथ ही अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके १५ दिन के अन्दर यह हाउस बैठने वाला है या नहीं। और फिर अगर सेलेक्ट कमेटी बैठ जाय इस पर गौर करने के लिये, तो वह इसको १५ दिन के अन्दर देख ले और विचार करले और फिर रिपोर्ट दे दे यह मुश्किल है। मैं यह उचित नहीं समझता कि कमेटी के इस प्रकार से हाथ बांधे जायं कि वह १५ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश कर दे। इसलिये यह मुझे मंजूर नहीं है।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)—यह मेरा निवेदन है कि जहां तक इसका वैधानिक प्रश्न है हमने तो आज ही इसको एजेंडा पर बहस के लिये देखा है। पहले तो हम यह जानते थे कि बाढ़ के विषय पर बहस होगी और उसी की तैयारी करके हम लोग यहां पर आये थे कि बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद होगा। लेकिन आज सरकार उसके लिये तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि शायद उस पर १३ तारीख को बहस होगी, जब वह ठीक समझे करे, लेकिन यह जो प्रवर समिति में ले जाने का प्रस्ताव है, उसमें हमारा यह संशोधन है। जिस तरह से आज तक प्रवर समिति में जाने के प्रस्ताव आये हैं और उन पर संशोधन पेश होते रहे हैं उसी के बिलकुल अनुकूल यह संशोधन है। ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी और सिलेक्ट कमेटी दोनों के लिये इस सदन में टाइम मुकर्रर हुआ है और नियमावली के अनुसार टाइम मुकर्रर किया गया है। अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसमें १५ दिन का समय क्यों रखना चाहता हूं। वह इसलिये रखना चाहता हूं कि इसमें सरकार चाहे तो १५ दिन को बढ़ा कर हम एक महीना कर सकते हैं मगर इसको अनलिमिटेड नहीं छोड़ना चाहते। यह सदन जानता है कि इस नागर क्षेत्र जमींदारी विधेयक को ४ बरस हो गये, समितियां बैठीं, यह विधेयक उनमें आया, गया। आज ४ वर्ष का समय समाप्त होने के बाद सिलेक्ट कमेटी या ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी में जाने के लिये हम उसको अनियंत्रित नहीं छोड़ना चाहते। मैं समझता हूं कि यह इस हाउस की परम्परा के भी विरुद्ध है। यदि सरकार की यह मंशा हो, उसने यह निश्चय कर लिया हो कि इसी में सालों व्यतीत कर दिये जायं और यह खटाई में पड़ जाय तो दूसरी बात है वरना कोई कारण नहीं होना चाहिये कि सरकार इसका विरोध करे। हम संशोधन में पुनः संशोधन करने के लिये तैयार हैं।

सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि सदन का कार्यकाल समाप्त हो जायगा, १५ दिन के बाद वह नहीं बैठेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि सदन के उठ जाने पर कमेटी न बैठ सकती हो। एक कठिनाई और बताना चाहता हूं कि जरा इस विधेयक को देखा जाय तो इस विधेयक में जो उद्देश्य और कारण लिखे हुये हैं. . . .

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। अधिष्ठाता महोदय, आपने यह नहीं कहा कि उनको भाषण देने के लिये अलाउ किया जाता है, और जो संशोधन उन्होंने दिया है वह दो दिन पहले भी नहीं दिया। अगर इस प्रकार की बहस होती रही तो जो आधा दिन का समय है वह भी समाप्त हो जायगा।

अधिष्ठाता—मैंने आपसे (श्रीराजनारायण से) कहा था कि आप मुख्तसरन कहें।

श्री राजनारायण—अधिष्ठाता महोदय, मैं थोड़े में ही कह रहा हूं। आधे दिन का प्रोग्राम न जाने कहां से मौर्य जी ले आये। वे बराबर ऐसी ही बातें सरकार को मदद देने के लिये निकाला करते हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि १ जुलाई, ५५ के पूर्व जितने पट्टे हों, जिनमें अगर खेती होती हो तो उनको बेदखल किया जा सकता है, यह एक अहम सवाल है, इसलिये अब हम एक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिनट की देरी नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं कि नागर क्षेत्र की जमींदारी भी समाप्त हो जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को लिया जाय और उस पर बहस हो।

अधिष्ठाता—जो संशोधन श्री राजनारायण जी ने हमारे दफ्तर में भेजा है, उस पर बोलते हुये संशोधन से ज्यादा उन्होंने अपनी राय जाहिर कर दी। आमतौर पर जो सिलेक्ट कमेटी या ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी बैठती है उससे यह तवक्को की जाती है कि दो माह के अन्दर वह अपनी रिपोर्ट हाउस के सामने पेश कर दे। जैसा कि प्रोग्राम बताया गया है उसके मुताबिक यह हाउस २० तारीख तक बैठेगा और फिर २१ या नवम्बर की किसी तारीख से फिर बैठेगा। जाहिर है कि अगर इस अमेंडमेंट के मातहत १५ दिन का मौका दे भी दिया जाय तो भी वह मकसद पूरा नहीं होता जो माननीय राजनारायण जी का है।

इसके अलावा वैसे भी कानून की रू से यह किसी सूरत से सही नहीं है क्योंकि ऐन वक्त पर दिया गया है। रही यह बात कि राजनारायण जी ने यह फरमाया कि उन्हें मालूम था कि आज यह बिल लिया जायगा। सुबह ही यह सवाल उठाया गया था। उस वक्त यह बतलाया गया था कि यह चीज तय हो चुकी थी। इसके लिये यह उनकी अपनी जिम्मेदारी है, कार्यालय की नहीं। ऐसी हालत में उनका यह अमेंडमेंट जरूरी नहीं है और मैं इसको पेश करने की इजाजत नहीं देता।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने यह प्रस्ताव रखा है कि यह विधेयक ज्वाइंट-सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय तो उन्होंने इसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला कि क्यों यह ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। उन्होंने सिर्फ इस बात पर प्रकाश डाला है कि यह बिल इस तरह से बना। तो जब कोई आदमी किसी बिल को सिलेक्ट कमेटी या किसी कमेटी को रेफर करने की बात करता है तो माननीय मंत्री जी कहा करते हैं कि आप कारण बताइये कि इसे क्यों सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर वे क्यों चाहते हैं कि इस बिल को ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय।

अधिष्ठाता—इस वक्त सवाल जवाब का वक्त नहीं है। जिस वक्त आपको तकरीर करने का मौका मिलेगा उस वक्त आप यह सवाल पूछ सकते हैं और मुझे यकीन है कि जब माननीय मंत्री जी डिबेट वाइंड अप करेंगे तो इसका भी जवाब जरूर देंगे।

श्री राजनारायण—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। मैं जानना चाहता हूं कि जब सिलेक्ट कमेटी का कोई प्रस्ताव पेश हो तब उस पर अमेंडमेंट आ सकता है या सिलेक्ट कमेटी का नाम एजेंडे पर आ गया हो, तब उस पर अमेंडमेंट आ सकता है?

अधिष्ठाता—एजेंडे पर तो सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव आया है, उसके नाम बाद में दिये जायेंगे।

श्री राजनारायण—नियमावली में है कि जब प्रस्ताव पेश हो तब आ सकता है। इसी को मैं आपके जरिये जानना चाहता हूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है, मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा विधेयक माननीय मंत्री जी न पेश किये होते तो अच्छा होता। उन्होंने स्वयं वक्तव्य देते हुये इस बात को स्वीकार किया है कि जो विधेयक उन्होंने पहले रखा था उसी का कुछ यह सुधरा हुआ रूप है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे इस पर फिर गौर करें। मेरी राय में यह सुधरा हुआ रूप नहीं है....

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—समझ का फेर है।

*श्री गेंदासिंह—माननीय राजा साहब समझते हैं कि यह सुधरा हुआ रूप है और मैं समझता हूं कि माननीय राजा साहब जो हमारे मित्र हैं वे इस विधेयक का स्वागत भी करेंगे। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि जो खेत जोतने वाले आदमी हैं या जिनके कब्जे में किसी तरह से जमीन शहर में पहले से है वे आदमी इस विधेयक का स्वागत नहीं करेंगे। विधेयक के उद्देश्य में बहुत स्पष्ट लिखा गया है और माननीय राजस्व मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट हमसे कहा कि इस विधेयक के द्वारा ऐसी जमीनें जो अब तक गैरमजरुआ रही हैं या अब तक हैं, उनको एक्वायर करके उनकी जमींदारी नाश करने का कोई इरादा नहीं है। बहुत स्पष्ट बात है कि शहर की इन जमीनों को आप छोड़ देते हैं तो फिर कौन सी जमीन बाकी रह जाती है जिसकी जमींदारी नाश करने की बड़ी भारी जरूरत है। यह जरूर वे कहते हैं कि जो जमीन मध्यवर्तियों के पास बागदार की शकल में है, सीर की शकल में है, खुदकाश्त की शकल में है, वहां से जमीनों की जमींदारी एबालिश हो जायगी जो जमीन दूसरे मध्यवर्तियों द्वारा दी हुयी दूसरे किसानों के कब्जे में है। और वे भिन्न-भिन्न प्रकार के किसानों की शक्ल में हैं और मैं समझता हूं कि उनका नाम कागज में दर्ज है, तो जितने भी हैं वे भिन्न-भिन्न प्रकार के किसानों के रूप में माने जायेंगे। तो उन किसानों की जमीन जो है उस पर से जमींदारी एबालिशन हो जायगी। जो जमीन कृषि भूमि के अन्दर आ सकती है ऐसी जमीनों से जमींदारी एबालिशन होगी लेकिन बाकी जमीनों से जमींदारी नहीं एबालिश होगी। हमारे राजस्व मंत्री जी ने ऐसा कहा है कि हमारे शहरों के लैन्ड रिकार्ड्स रिलायबिल नहीं हैं, विश्वास करने योग्य नहीं हैं। यह भी उन्होंने कहा कि उसमें मामूली गलतियां नहीं हैं बल्कि जो गांव के कागजात हैं लेखपालों द्वारा तैयार किये हुये, उनसे कहीं ज्यादा गलतियां इन शहरों के कागजात में हैं। हमारे सामने इस समय कोई ऐसी जानकारी नहीं है, कोई ऐसे आंकड़े नहीं हैं कि जिन से हम बता सकें कि शहरों की कितनी जमीन जोत में है और कितनी जमीन ऐसी है जो जोत के नीचे नहीं है, और गैरमजरुआ की शकल में है और जो किसी की मिलकियत है। एक तो परेशानी यह है और दूसरी परेशानी यह है कि जो कागजात गलत हैं, और गैर मामूली तरीके पर गलत हैं और अगर इस समय सरकार हमें कोई आंकड़े बतला भी दे, जो कि २२ जिलों के आंकड़े आये हैं तो उन पर हम किस तरह से विश्वास करें, और वह कागजात जो गैरमजरुआ और मजरुआ जमीन बताते हैं उसको हम किस तरह से सही मानें, यह सवाल और दिक्कत हमारे सामने है।

माननीय सदन के साथ यह बड़ा अन्याय है कि सरकार अपनी इतनी बड़ी मशीनरी को रखते हुये भी जो माल विभाग की है, और जिस के लिये कि माननीय मंत्री जी को मैं भी जानता हूं कि वह अपने काम में कितने दक्ष हैं, और उनके जैसे आदमी की मातहती में रेवेन्यू विभाग रहे और वह शहरों के कागज ठीक न बता सकें तो इस तरह का बिल सदन के सामने पास करने के लिये रखना और कहना कि हम केवल जोत के नीचे वाली जमीन का जमींदारी अबालिशन करेंगे और जो गैरमजरुआ है उस पर से जमींदारी अबालिशन न करेंगे तो इस तरह की चीज पर फैसला करने में हमें जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा उनको, श्रीमन्, आप स्वयं इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। हम अनुमान करते हैं लेकिन मैं इस अनुमान के लिये माननीय राजस्व मंत्री जी से माफी चाहूंगा कि वह हमारे इस अनुमान पर नाराज न हों। हम अनुमान करते हैं कि जिन कारणों से पिछले ४–५ वर्षों से शहरों की जमींदारी अबालिश न हो सकी और जिन कारणों से यह बिल दो–दो बार सेलेक्ट कमेटी के सामने गया और फिर वापस हुआ और इतने दिन तक लटका रहा उन्हीं कारणों से इस वक्त भी हमारा अनुमान है कि यह गैरमजरुआ और मजरुआ दो हिस्सों में यहां की शहरी जमींदारी अबालिश की जा रही है। मैं दावा कर सकता हूं और मंत्री जी इस का उत्तर देंगे कि शहरों में बहुत भारी क्षेत्र में ऐसी जमीनें पड़ी हुयी हैं जो कागज में तो गैरमजरुआ लिखी हुयी हैं, लेकिन वह जोत में हैं। मंत्री जी ने कहा कि सन् ३२ में इसकी चर्चा हुयी थी और सरकार ने फैसला किया था कि शहरों में बन्दोबस्त की कार्यवाही न होगी। और यह फैसला सन् ४१ तक कायम रहा, जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

३२-४१ के बीच के जमाने में जब अफसरान ने यह समझा कि इस से तो और भी लापरवाही बरती जा रही है, यह स्वाभाविक भी है और इसी कारण से गांवों के कागजात में जो गलतियां होती हैं उन से भी ज्यादा गलती वहां हुयी होंगी। इस तथ्य को मंत्री जी ने भी माना है कि गांवों के मुकाबिले में शहरों के कागजात में ज्यादा गलती है तो जब हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि शहरों में सब से बड़ी समस्या गैरमजरुआ जमीन को, वह किन के कब्जे में है वह उनके कब्जे में लिखवाने की है। राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि इसमें लाखों रुपया खर्च होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से लिखा पढ़ी करनी होगी। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का तो लाखों रुपया खर्च न हो, लेकिन जमींदारी एबालिशन हो जाय और जैसा इस विधेयक में है कि पहले गवर्नमेंट नोटीफाई करे उसके बाद डिमार्केशन कमिश्नर जमीन को दो हिस्सों में डिमार्केट करे। एक हिस्से में गैरमजरुआ जमीन जिसको वह मानता है, और वह फिर उस मध्यवर्ती की मिल्कियत हो जायगी और जो जोत के नीचे जमीन है वह उस वक्त डिमार्केट कर देगा। इसके बाद तब वहां से जमींदारी एबालिश होगी।

पहली बात तो मैं यह जानना चाहूंगा कि वह इस डिमार्केशन को किस आधार पर करेगा। कागज के आधार पर करेगा या जादू पर करेगा। अगर कागज के आधार पर करेगा तो बहुत स्पष्ट है, दलील देने की जरूरत नहीं है कि वह गलत डिमार्केशन होगा और इसलिये गलत होगा, क्योंकि कागज गलत होगा और अगर गलत कागज पर डिमार्केशन हो गया तो जो दूसरे हिस्से में गैर मजरुआ जमीन है जिस पर उसका किसान दस बीस पचीस वर्षों से काबिज है, तरकारी बोता है, छोटी-छोटी फसलें बोता है और अपना गुजारा करता है, उस पर मध्यवर्ती कहेगा कि यह जमीन हमारी है और फिर एक बड़ी भारी मुसीबत, बलवे हो सकते हैं, कतल भी हो सकते हैं और मुकदमेबाजी बढ़ेगी, अदालतों पर, हाईकोर्ट पर बोझ बढ़ेगा और लाखों रुपया किसानों का भी खर्च होगा। तो क्या वह रुपया जो किसानों का खर्च होगा वह सरकार का नहीं है। मैं समझता हूं कि किसानों का पैसा वह है जो सरकार का खर्च होता है। तो हमको देखना यह है कि इस जमींदारी को एबालिश करने से मतलब क्या है और जिसके लाभ के लिये हम यह करना चाहते हैं उसको लाभ होता है या नहीं। क्या शहर का जमींदार वैसा ही है जैसे देहात का जमींदार जो किसानों से अपने जमींदार होने के नाते उससे बेगार लेते थे यहां भी लेता है। क्या इस तरह की प्रथा बेगार की शहरों में जारी है। मैं समझता हूं कि हमारे शहरों के जमींदारों में और देहातों के जमींदारों में अन्तर है, और शहरों में कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि लोगों पर नाजायज दबाव डाल-कर काम लेने की प्रथा बहुत कम है। और ऐसी हालत में जब ३७४ दफा फौजदारी की हमारे सामने मौजूद है कि कोई जमींदार इस प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकता। फिर जब इतनी जनजागृति हो और जब हमारे सभी भाई इसके लिये तुले हुये हों कि बेगार की प्रथा नहीं रहेगी, और सरकार भी इस इरादे की हो कि इस तरह से काम करने वालों के साथ सख्ती के साथ बरतेगी तो यह प्रश्न शहरों में नहीं है। शहरों में सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का है तो उसके लैन्ड रिकर्ड्स क्या हैं, दुरुस्त हैं या नहीं, किसका कब्जा है, सही कागज में इन्दराज है या नहीं, यह बड़ा भारी सवाल है। यदि दुरुस्त नहीं है तो इस जमींदारी एबालिशन का कोई मतलब नहीं है, हां, उनके संतोष के लिये यह बात हो सकती है। क्योंकि लोग उनसे कहा करते थे और हम भी कहा करते थे, हमें शिकायत थी कि जमींदारी एबालिशन क्यों नहीं होती है क्यों हम देहातों और शहरों में इतना अन्तर किये हुये हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसी सड़ी हुयी पुरानी प्रथा जो देहातों और शहरों के फर्क की है वह बराबर जारी रहे, लेकिन आज भी इस विधेयक के द्वारा वही अन्तर बना रहे तो फिर इससे कोई लाभ नहीं है।

माननीय राजस्व मंत्री जी इस पर विचार करने को तैयार हैं कि कोई अमली तरीका बताओ जिससे इस गैरमजरुआ जमीन से भी जमींदारी एबालिश की जाय। उसके लिये क्या हो? मैं समझता हूं कि अमली तरीका सबसे पहले इरादे का है। हम पहले यह सोच लें कि हमको पहले गैर मजरुआ जमीनों पर से जमींदारों का हक खत्म करना है। लेकिन गैर मजरुआ जमीनों के सम्बन्ध में दो परेशानियां राजस्व मंत्री बतलाते हैं। एक तो मुआविजा देना पड़ेगा और दूसरे कागजात दुरुस्त कराने होंगे। मैं कागजात दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी सरकार पर बिलकुल १६ आने

[श्री गेंदासिंह]

डालूंगा और सरकार अगर जिम्मेदारी नहीं लेती तो फिर अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करती। लाखों रुपये खर्च हों तो करना चाहिये। खर्च न करने से क्या उलझनें पैदा होंगी उस पर मैंने थोड़ा सा निवेदन किया। उन उलझनों के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री जवाब देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि गैरमजरुआ जमीनों की कीमत शहरों में ज्यादा है और जितनी ज्यादा कीमत होगी, और जितनी ज्यादा गलतियां कागजात के इन्दराज में होंगी उतने ही ज्यादा बलवे होंगे।

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि अभी तक जमींदार जो था वह सारी जमीनों का मालिक था। लेकिन जो जोतता था वह यह समझता था कि मैं मालिक हूं, क्योंकि मौके पर उसका कब्जा था लेकिन जमींदारी एबालिश हो जाने के बाद वह एसर्ट करेगा कि हम इस जमीन के मालिक हैं, और जिसका कागज में नाम है वह कहेगा कि नहीं तुम इसके मालिक नहीं हो, हम मालिक हैं। तो गांव में जो बात हुयी है वह बात वहां भी हो सकती है। अगर खुद जमीन पर कब्जा नहीं हो सकता होगा तो दूसरे लोगों को खड़ा करके फर्जी पट्टे दे देगा और फर्जी पट्टे देने में उस जमींदार को कुछ पैसे मिल सकते हैं। तो ऐसा हो सकता कि कोई जोतता हो और कोई आदमी हो जो ताकत रखता हो, और गुन्डों के जरिये कब्जा कर सकता हो, और नजराना देकर जमीन ले सकता हो तो क्या जमींदार इस प्रलोभन के चक्कर में नहीं पड़ सकता कि हमें थोड़े से पैसे मिल सकते हैं, सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि कागज में मेरा नाम हो। तो इस तरह से हम इसका बेजा फायदा उठा सकते हैं कि हम किसी को एक पट्टा दे दें। ये उलझनें हमें ध्यान में रखनी चाहियें। फिर जब वे यह कहते हैं कि गैरमजरुआ जमीन की कीमत मजरुआ जमीन से शहरों में ज्यादा है तो जो कीमती चीज है उसके लिये जमींदारी एबालिश करनी चाहिये। शहरों की जमींदारी जिस वक्त छिनने भी नहीं जा रही थी, जमींदारी एबालिशन बिल सिलेक्ट कमेटी के सामने था जो कुछ जमींदारों ने बेदखली के मुकदमे दायर किये कुछ कस्बों में, हालांकि यहां से रुकावट थी और यह साफ कह दिया गया कि उनको बेदखल न किया जाय, लेकिन कुछ जिलों में ऐसा होशियार अमला रेवेन्यू डिपार्टमेंट का था कि प्रोसीडिंग्स तो बड़ी देर तक हुयी, लेकिन बेदखली का हुक्म जारी कर दिया गया। मुमकिन है हमारा जिला ही इसका शिकार हुआ हो, और दूसरी जगहों पर ऐसा न हुआ हो लेकिन मेरे जिले में कुछ हाकिमों ने बेदखलियां कीं। लेकिन जब काश्तकार वहां से यहां आये तो यह हुआ कि बेदखली नहीं की जा सकती, हुकुम जब उन्होंने पढ़ा तो समझा कि बेदखली नहीं करनी चाहिये, लेकिन वे तो बेदखल कर चुके थे...

श्री चरणसिंह—अपील नहीं की ?

श्री गेंदासिंह—अपील की, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। लेकिन जो कानून मौजूद हैं कि बेदखली नहीं होनी चाहिये फिर भी बेदखली हुयी...

श्री चरणसिंह—गलती कोई करे नहीं ?

श्री गेंदासिंह—गलती करने की जिम्मेदारी हमारी तो है नहीं, यह जिम्मेदारी तो राजस्व मंत्री जी की है। और उनकी जानकारी में आये तो फिर ऐसे लोगों से जो इस तरह के लोग हों, ऐसे होशियार हाकिम लोग हों, जरा उनकी खबर भी तो लेनी चाहिये ताकि दूसरे लोग जरा चौकन्ने हो जायं। इस तरह से हमारे गजट को मत पढ़ा करो, ठीक ढंग से पढ़ा करो, गजट में जो हुक्म अहकाम निकलते हैं उनको ठीक ढंग से तामील किया करो। बाई दि वे मैंने इसको कह दिया। इसलिये मैं कह रहा हूं कि जब इतनी सफ़ाई के साथ इतनी गलती हो सकती है तो कागज की गलती जो इस कदर है, उस गलती में यह जो सारे शहर हैं, उनके उन किसानों और जमींदारों की जिन्दगी खतरे में पड़ जायगी। और जो तजुर्बा हम लोगों का है उस पर जरा गौर करना चाहिये। ऐसे पट्टे तो हमारे राजस्व मंत्री जायज

करार दे रहे, हैं जो पट्टे इस जमींदारी एबालिशन की खबर होने के बाद भी कर दिये गये, उन पट्टों को नाजायज करार जरूर दे रहे हैं जो मकान बनाने के लिये पट्टा किसी ने लिया हो और उसको जोतना शुरू कर दिया हो। अब मैं पूछना चाहूंगा कि इसको कैसे साबित किया जाय कि मकान बनाने के लिये लिया था, लिया तो जरूर था लेकिन वह जोत रहा है क्योंकि कागज इतना गलत होगा कि हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो क्या कसौटी होगी, अदालतों के फैसला करने के लिये? जबानी शहादत। हम चाहते हैं कि जबानी शहादत पर फैसले हों। लेकिन हम चाहते हैं कि जबानी शहादत पर सेटिलमेंट हो जायं। सेटिलमेंट में जबानी शहादत की बड़ी वकत होती है, क्योंकि उसमें और बातों के देखने के अलावा जबानी शहादत की ज्यादा वकत की जाती है। सरसरी तौर पर उनके नाम लिख दिये जाते हैं। फिर नम्बरी मुकदमा होता है। उसमें भी जबानी शहादत की बड़ी वक़त की जाती है। लेकिन इस तरह के मुकदमें जिसमें पट्टों को जायज करार देना हो, उन पट्टों में कौन सी कसौटी होगी जिस पर हम समझें कि मकान बनाने के लिये लिया, लेकिन इसने जमीन को जोत लिया। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी खामी इस विधेयक की यह है। हम जानते हैं कि शायद हमारे राजस्व मंत्री जी अब हमको यह जरूरत बतायेंगे कि उन २२ जिलों में कितनी जमींन गैर-मजरुआ है और कितनी जमीन जोत के नीचे हैं। इससे एक अन्दाजा साधारण तौर पर किया जा सकता है कि कितनी जगह पर हम जमींदारी एबालिशन करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि गैरमजरुआ जमीन का ज्यादा मुआविजा देना पड़ेगा। गांवों में गैरमजरुआ जमींन का मुआवजा कम देना पड़ा। लेकिन शहरों में गैरमजरुआ जमीन पर ही उनका खयाल है ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा। मैं उनसे यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वह इस खयाल को छोड़ दें। गैरमजरुआ जमीन पर मध्यवर्ती ने कोई श्रम नहीं किया है जिस पर वह ऐसा समझते हैं कि उसको ज्यादा देना पड़ेगा मुआविजा। जमीन पड़ी है, और मुमकिन है कि वहां के सब लोगों के खर्चे पर उस जमीन से सार्वजनिक कार्य होता हो, लोग वहां पर खड़े होते हों, लोगों के बैठने उठने की जगह हो, बाजे बजने की जगह हो, किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य से उस जमींन का उपयोग होता हो। पूरी-पूरी मिल्कियत उस आदमी की होती है, मैं नहीं जानता कि इसके बाद क्या फैसला होगा जहां पर हम सार्वजनिक तौर पर इन जमींनों का उपयोग करते थे। इस विधेयक में उसकी कोई गुंजायश नहीं है। जिस तरह से हमारे जमींदारी एबालिशन कानून में था उसमें यह स्पष्ट था कि जहां पर खलिहान हो, चरा-गाह हो, या गांव का निकास हो अगर वह जमींन बन्दोबस्त की गयी हो तो गांव समाज को अख्तियार था कि उस जमींन को वापस ले ले। मैंने जहां तक देखा है इस विधेयक में, कुछ जगह पर चरागाह के बारे में जरूर कहा गया है कि अगर चरागाह का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको वापस लिया जा सकता है, लेकिन शहर और चरागाह? मैं तो कहता हूं कि उस विधेयक के बनाने वालों ने बहुत ही होशियारी से इस शब्द को रखा है। शहर में चरागाह के लिये जो गैरमजरुआ जमीन हो उसे बन्दोबस्त करने का अधिकार नहीं होगा और अगर किया होगा तो वहां की लोकल अथारिटी उसे वापस ले ले। लेकिन मैं कहता हूं कि और भी ऐसी चीजें हैं शहर में, जैसे खेलने का स्थान है, उसको कागज में तो लिखा नहीं है कि यह खेलने का स्थान है, यह मवेशी खड़ा करने का स्थान है, या लोगों के खड़ा होने का स्थान है। अगर काश्त में नहीं है तो जबानी शहादत पर सारी चीज डिपेंड करेगी। कम से कम विधेयक में ऐसी गुंजायश होनी चाहिये थी कि अगर ऐसी जमीन हो तो उसको बन्दोबस्त का अधिकार नहीं है और अगर कर रखा है इस जमाने में, जिस जमाने में कि जमींदारी एबा-लिशन की चर्चा थी, तो वह वापस हो जायगा। यह बात नहीं है और यह विधेयक की बड़ी भारी खामी है। हमको मालूम है, इसकी बड़ी अच्छी जानकारी है कि शहर में लोगों ने बड़ी तेजी के साथ, जब से सुना है कि जमींदारी एबालिश हो जायगी, सार्वजनिक जमीन पर क़ब्जा किया, कुछ घर बनाने शुरू किये, जिसके बिना किसी तरह से वहां के बाशिन्दों का काम नहीं चल सकता, उनके उठने-बैठने की जगह छीन ली गयी और आज इस डर से कि कानून में कोई गुंजायश नहीं है, या तो वह दीवानी में जायं, जहां न जाने कौन-कौन से कानून में

[श्री गेंदासिंह]

बड़े-बड़े मुकदमें हो सकते हैं और उनमें वह तबाह हो सकते हैं। इसलिये दिक्कत यह होती है कि सार्वजनिक चीज के लिये जो जमीन होती है, कोई आदमी आज हजार दो हजार रुपया खर्च करने के लिये तैयार नहीं है और चन्दे से इस तरह के मुकदमे की पैरवी होती है वह साझे का धन है– सभी को मालूम है कि जिस तरह से उसका काम चलता है। तो एक आदमी जो उस पर कब्जा करना चाहता है, या जो बन्दोबस्त करना चाहता है उनका अपवित्र गठ-बन्धन हो जाता है। पहला समझता है कि हमको कुछ मिल रहा है और दूसरा आदमी समझता है कि हमारी मिलकियत हो रही है, दोनों मुस्तेदी के साथ पैरवी करते हैं और रुपया खर्च करते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक तौर पर उसका उपयोग करते हैं, वे उसकी इस प्रकार से पैरवी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से सार्वजनिक दुरुपयोग बड़े पैमाने पर होता है। यह स्पष्ट बात है और इसके लिये इस विधेयक में कोई गुंजाइश नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, कम्पेन्सेशन की बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं तो उस उसूल का हूं कि कम्पेंसेशन कतई न दिया जाय, क्योंकि जमीन कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी की पैदा की हुई चीज हो। जमीन सारे देश में जो बसने वाले हैं, उनके लिए अन्न देने, उत्पत्ति का साधन है और इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। राजा साहब हमारी बात सुन कर बहुत नाराज हो रहे हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह—नाराज कतई नहीं हो रहा हूं।

श्री गेंदासिंह—लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर एक चीज वह कर दें तो मैं इसको सोचने के लिये तैयार हो जाऊंगा, कि सन् १८७२ या इसके पहले की आबादी जो है उस आबादी से वह आबादी आगे न बढ़ने दें, तो इस बात पर गौर किया जा सकता है कि जमीन के बटवारे का या बिना मुआविजे जमीन को ले लेने का सवाल न पैदा हो।

राजा वीरेन्द्रशाह—पूर्वी हिस्से में ज्यादा बढ़ी है।

श्री गेंदासिंह—लेकिन पश्चिमी हिस्सा भी चूकता नहीं है। अगर इतना फ़र्टाइल नहीं है तो मेरा कसूर नहीं है। इस बात पर मुझे कोई एतराज नहीं हो सकता, लेकिन जब उनके अख्तियार में यह बात नहीं है और औलाद पैदा हो सकती है तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि वह अपना नाम १०९ में लिखवाने के लिये पैदा न हो या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर जो उस दिन बहस हुई थी तो उसमें लिखा है दफा १०९ में कि वह आदमी समझा जायगा कि जिसके पास कोई जीवनयापन का साधन न हो। तो आखिर जीवनयापन का साधन जो है, जीविका जो है वह लाये कहां से? जीविका पर अधिक मैं कहना नहीं चाहता हूं। यहां हमारे देश में ८०, ८२ फीसदी आदमी खेती पर जीवित रहते हैं और इसलिये यहां जीविका का सब से बड़ा साधन खेती होगा।

इस सम्बन्ध में एक बार कभी गांधी जी ने कहा था कि यह फिजिकली इम्पासिबिल है कि हम उस जमीन की कीमत देकर जमीन को एक्वायर करें, सरकार अपने हाथ में ले। यह बिल्कुल फिजिकली इम्पासिबिल है। और जब तक हम इस सिद्धांत को लिये रहेंगे तब तक हम मुल्क की गरीबी और बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते। तो हम तो यह सोचते हैं कि बिला मुआविजा दिये हुए हम उन जमींदारों को एक खास सतह पर रख सकते हैं। उनकी आर्थिक अवस्था इतनी नहीं गिर सकती है जितनी कि आर्थिक अवस्था और देश के लोगों की गिरी हुई है। तो क्या जरूरत है उनको मुआवजा देने की? रिहैबिलिटेशन की जरूरत कभी-कभी पड़ सकती है, और इसलिये कहते हैं कि कभी-कभी अगर किसी आदमी की माली हालत ऐसी हो जाय कि जो हम होने देना नहीं चाहते हैं तो हम उनको रिहैबिलिटेट करने की जरूर सोचेंगे। तो मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पहले जो हमारे संविधान की

कठिनाई थी वह अब दूर हो गई है। उसमें अब "इक्विटेबिल" की बात नहीं है और उस तरह का सख्त कानून अब हमारे सामने नहीं है कि हम मुआवजे के बारे में ज्यादा कुछ फिक्रमंद हों। हमारे हाथ कुछ खुले हुये हैं। पिछली मर्तबा हमारे हाथ खुले हुए नहीं थे और इसलिये हमें इक्विटेबिल शब्द को भी देखना था कि कहीं ऐसा न हो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इक्विटेबिल शब्द की उलझन में हमारा जमींदारी उन्मूलन कानून खत्म हो जाय। लेकिन आज तो वह भी नहीं है और इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा उस खतरे से ऊपर उठने से ही काम चलेगा। उस खतरे से ऊपर उठा जाय और उस से ऊपर उठ कर, अगर आवश्यकता पड़े तो उनको शहरों की जमीनों में रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, इस बात पर इसमें विचार किया जा सकता है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के सुझावों पर १० बार विचार करने के लिये तैयार हूं लेकिन कंपेंसेशन की बात अगर वह न उठावें तो अच्छा है.....

श्री चरण सिंह—आप इसको रिहैबिलिटेशन समझ लें। मैंने अर्ज किया कि नफ्स कंपेंसेशन को आप रिहैबिलिटेशन पढ़ लें इस विधेयक में।

श्री गेंदा सिंह—पढ़ तो लें इसमें हम, लेकिन हमारे पढ़ने से काम नहीं चलता, हम तो असल में देना किसको चाहते हैं यह देखना चाहते हैं। इसमें तो आप उनको दे रहे हैं जिनके पास लाखों रुपया भरा पड़ा है, जिनके पास जमीन भी जरूरत से ज्यादा पड़ी है। हम देना चाहते हैं उनको कि जिनको बगैर दिये हुये उनकी माली हालत ऐसी बिगड़ जाय कि जो हम नहीं चाहते हैं। तो यह बड़ा भारी अन्तर है। इसमें जरा आप गौर कीजिये। हम रिहैबिलिटेट उनको करना चाहते हैं जिनको सचमुच में रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। आप रिहैबिलिटेट उनको करना चाहते हैं कि जो दूसरों को रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। उनके पास एसी ताकतें हैं कि जो दूसरों को रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, वह दूसरों को रिहैबिलिटेट करने को तैयार हैं। हम तो राजा साहब से कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं और देना चाहते हैं शिवनारायण जी को, क्योंकि राजासाहब के वजन में कुछ कभी हो जाय.....

अधिष्ठाता—आप इस समय बिल पर बोलें, राजा साहब और शिवनारायण जी की बात बाद में करियेगा।

श्री गेंदासिंह—तो जिनको रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है उनको रिहैबिलिटेट करने की तरफ मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं और उनका ध्यान उस खतरे से ऊपर उठाने की तरफ दिलाना चाहता हूं और हम उनको उस खतरे से ऊपर उठाना चाहते हैं कि ज्यादा देना पड़ेगा। अगर इनमें उनको कुछ दिक्कत हो तो हमारे सदन के माननीय सदस्य उनको सलाह दे सकते हैं बशर्ते कि वह कोई चाबुक चला कर उनसे राय न लें? हम बता सकते हैं और इस बात की राय दे सकते हैं कि कंपेंसेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अब कम्पेन्सेशन की बात भी जरा मैं उनसे निवेदन करूं। कम्पेन्सेशन वह कुछ लोगों को दे भी रहे हैं। उनको सोचना चाहिये कि कम्पेन्सेशन दे कर भी कितने जमींदारों का हम कुछ कर पाते हैं। यह बात जरूर है कि उनकी जमींदारी खत्म करते समय उनको यह लालच था कि कम्पेन्सेशन मिलेगा और उससे उनका कुछ काम चलेगा। लेकिन मैं आप से निवेदन करूंगा कि जो ५० रुपये के नीचे के कम्पेन्सेशन पाने वाले लोग हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है। हम समझते हैं कि इसकी निजी तौर पर जानकारी माननीय राजस्व मंत्री जी को नहीं है लेकिन अब कभी हम लोग उनके पास बैठते हैं तो हमारी निजी जानकारी से जब हम लाभ उठाना चाहते हैं तो उनके पास यह बात पहुंचती है और उससे वे दुखी भी हैं। वे कबूल नहीं करेंगे कि वे दुखी हैं लेकिन जब हमारी बात सुनते हैं तो वे दुःखी जरूर होते हैं।

हम उस दुःख को ज्यादा यहां नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक इस बिल से नहीं है, लेकिन इस बिल में उसका इलाज कुछ नहीं है। जिस दुःख में देहात के जमींदार

[श्री गेंदा सिंह]

फंसे हैं उसी में शहर के जमींदार भी फंसे हुये हैं। हमने पहले भी कहा था कि ५० रुपये या १०० रुपये से नीचे जिनका कम्पेन्सेशन है उनको लेने देने में बहुत काफ़ी रक़म देनी पड़ती है। हम कहते हैं कि जमींदारी खत्म की जाय। लकिन जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट हम उनको देना चाहते हैं उससे हम चाहते हैं कि सचमुच उनकी माली हालत सुधरे। जो देहात के जमींदार थे उनके पास आज सिवाय खेत और बाग के और कोई जायदाद तो रह नहीं गई है। मकान हैं जिन पर वे चूना तक नहीं पोत रहे हैं इसलिये कि वे इतने बड़े मकान हैं कि उनकी हैसियत नहीं है कि उनकी मरम्मत करा सकें। जो एक अरब और कुछ की रक़म हम उनको देना चाहते हैं अगर सचमुच यह रक़म हम उनको रिहैबिलिटेट करने में खर्च करते तो आज मुल्क की हालत कुछ दूसरी होती। अगली पंचवर्षीय योजना के लिये हम सवा सात अरब की योजना लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। उसने हमको टका सा जवाब दे दिया। वह सवा तीन अरब से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। अगर हम १ अरब ३७ लाख रुपया सिंचाई पर लगाते तो उस के अलावा जो हम लगाने जा रहे हैं तो न सिर्फ जमींदारों की हालत सुधरती बल्कि दूसरों की भी हालत सुधरती। अब यह हो सकता है कि माननीय राजस्व मंत्री यह कहें कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। मैं कहता हूं कि यही प्रैक्टिकल है। वे हमसे कहते हैं कि १६ गुना तक रिहैबिलिटेशन मान लें। अगर इस सारे रुपये को वह शहर की उन्नति में लगाने की सोच लें तो आगे चल कर जो आज के जमींदारों के बच्चे होंगे वे उनके ज्यादा दोस्त होंगे बनिस्बत आज के जमींदारों के। हमने पढ़ा है, मुमकिन है उस में कुछ ज्यादा बात कह दी गयी हो, लेकिन जब चीन में जमींदारी खत्म की गई तो जिसके पास ५०० एकड़ जमींन थी उसके पास कम रह गयी। पहले तो उन्हें बुरा लगा कि हम कम जमीन के मालिक रह गये लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ५०० एकड़ जमींन जब हमारे पास थी तो उस में बहुत थोड़ी पैदावार होती थी, लेकिन उसके निकल जाने के बाद उस थोड़ी जमींन में पैदावार बढ़ी। वह ज्यादती और सख्ती हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ी सी जमीन लें लेकिन उस में उपज अच्छी हो तो हमारी माली हालत सुधरेगी।

श्री चरण सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी से यह जानना चाहता हूं कि चीन से उनके पास चिट्ठियां आयी हैं वह चीनी भाषा में हैं या किस भाषा में हैं, मैं उनको पढ़ना चाहूंगा।

श्री गेंदा सिंह—सीधी चिट्ठी तो चीन से मेरे पास नहीं आयी हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम मैं सदन में लूंगा। न्यूज क्रोनिकल के सम्वाददाता वहां गये थे और वह कम्युनिस्ट नहीं थे। इसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका में मैंने पढ़ा था और ४२–४३ में यूनान प्रान्त उनके हाथ में था वहां पर भी यही था। श्री चेलापति राव जी की भी यही राय थी और मुझे आशा है कि माननीय राजस्व मंत्री जी उसको मानेंगे। मैं यह कहां कह रहा था कि वहां सब जमींदारों ने इसको पसन्द किया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की इस बात को, लेकिन जितना उनका गुस्सा था वह कम हुआ, इसलिये कि उन्होंने विवेक से काम लिया कि इतनी बड़ी जमींन से वह ज्यादा पैदा नहीं कर सकते थे लेकिन छोटी सी जमीन है वह ज्यादा मेहनत कर के ज्यादा पैदा कर सकेंगे और बच्चों के लिये साधन सम्पन्न कर सकेंगे। श्री शिवनारायण जी कुछ फरमा रहे थे इसलिये मैं बैठ गया था।

अधिष्ठाता—जब आप बाहर जायं तो बात कर लें, इस वक्त तो आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री गेंदा सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं कहता हूं कि कम्पेन्सेशन का शब्द हटा दिया जाय। रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट को उन्होंने स्वीकार भी किया और इस प्रकार से मंजूर किया जाय कि सचमुच में खेती के साधन सम्पन्न किये जायं और उतने ही क्षेत्र में उस रुपये को खर्च

करें, एक योजना के साथ, तो मैं समझता हूं कि जो गुस्सा जमींदारों में आयेगा, वह थोड़े दिनों बाद ठंडा हो जायगा। यह मैंने कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में निवेदन किया।

अब तरीके के सम्बन्ध में मैंने कहा कि यह जो तरीका है इस पर एक हजार मर्तबा गौर करने की बात है। मैं जो अभी तहसील में ३-४-५ दिन गया तो अब भी लोगों की राय है कि ५० रुपये की रकम के लिये तहसील में आने का लोगों का काम जारी है, उनको न आने दिया जाय। अधिष्ठाता महोदय, इसमें कोई तरीका नहीं रखा गया है। इसलिये मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि जो गलती एक बार हुई है वह अब नहीं होनी चाहिये। आखिर यह बिल सिलेक्ट कमेटी को जा रहा है तो मैं अपने ख्याल का इजहार करना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मित्र से जानना चाहता हूं कि इसकी कौन सी धारा में लिखा है कि ५० रुपये से कम का कम्पेन्सेशन होगा तो वह नगद दिया जायगा ताकि उसको मैं निकाल दूं। वह तो रूल्स में चीज आने वाली है, जब रूल्स बनें तब कहें।

प्राक्कलन समिति के उपनिर्वाचन के विषय में सूचना

अधिष्ठाता—माननीय गेंदा सिंह जी भाषण जारी रखेंगे जब हम फिर बैठेंगे। लेकिन उठने से पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूं। वह यह है कि प्राक्कलन समिति (एस्टीमेट कमेटी) में जो जगह भरने के लिये दस नामजदगियां आई थीं जिनकी सूचना सदन को २९, सितम्बर को मिल गयी थी, उन नामजदगियों की वापसी की तारीख आज शाम के तीन बजे तक थी। मगर अब मैंने एक दरख्वास्त पर तीन दिन के लिये यह मियाद और बढ़ा दी है। अब वह नामजदगियां १३ अक्तूबर के दिन के तीन बजे तक वापस हो सकती हैं।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुल्तान आलम खां की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र ज़मींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

***श्री गेंदा सिंह**—अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने मुझ से एक जवाब मांगा था और कहा था कि मैं यह उनको बतला दूं कि इस विधेयक में कहां-कहां कोई ऐसी बात है जिसमें प्रतिकर के भुगतान के लिये कोई गुंजायश इसमें है। तो मैं उनका ध्यान इस विधेयक की धारा २६ की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें वह देखेंगे कि इस विधेयक की धारा २६ में यह लिखा हुआ है कि —

"प्रतिकर निर्धारण तथा पाने के अधिकारी मध्यवर्ती को उसके भुगतान से सम्बन्धित सब कार्यवाही ऐसे प्रतिकर अधिकारी के सामने होंगे जिसके अधिक्षेत्र में अर्जित किया गया कृषि-क्षेत्र स्थित हो"। इसमें इस बात की गुजायश की गयी है कि भुगतान और निर्धारण प्रतिकर का कौन करेगा। तो इसमें गलतफहमी नहीं है। निर्धारण वह करेगा और भुगतान की सारी कार्यवाही उसी प्रतिकर अधिकारी के सामने होगी। तो इस प्रकार से अब नियम में भी गुंजायश नहीं रह जायगी जो कि नियम के अन्दर गुंजायश की जा सकती थी कि अन्तरिम प्रतिकर या रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट पाने वाले के घर किसी दूसरे तरीके से पहुंचाने की व्यवस्था की जा सकती। वह इस विधेयक के जरिये उल्टा होगा और इस विधेयक की मन्शा के खिलाफ होगा और नियम के जरिये से वैसा सरकार नहीं कर पायेगी। पहले इस बात की गुंजायश राजस्व मंत्री जी करना चाहते थे कि ५० रुपया या उससे कम पाने वाले जो हैं उनको तहसील तक जाने की नौबत न आवे। डाकखाने के जरिये से अगर सरकार भेजना पसन्द नहीं करती तो वह लेखपाल के जरिये से उनके घर पहुंचवाने की व्यवस्था कर सकती थी, लेकिन इस विधेयक की धारा २६ के पास होने के बाद ऐसी गुंजायश नहीं रह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

गयी है कि वह नियम में इस प्रकार की व्यवस्था करे कि प्रतिकर पाने वाले के या रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट पाने वाले के पास घर तक पैसा पहुंच सके। उनको आना पड़ेगा और तहसील तक जाना पड़ेगा।

श्री चरणसिंह--आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर, मेरा प्रस्ताव यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय अतः इस प्रस्ताव पर, उसके सिद्धान्तों पर बहस हो सकती है न कि इस पर कि यह ५० रुपये किस प्रकार दे दिये जायेंगे।

अधिष्ठाता--सिद्धान्त के ऊपर ही बहस हो तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गेंदासिंह--अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि उन्होंने यह पूछा था इसलिये मैंने उनसे उस धारा का हवाला दिया। उन्होंने पूछा था कि कौन सी धारा ऐसी है?

अधिष्ठाता--उनकी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप सिद्धान्तों पर ही बहस करें।

श्री गेंदासिंह--सिद्धान्तों पर बहस करते समय भी इतना तो अवश्य ही कह सकते हैं कि कौन सी धारा ऐसी है जो उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करती है, सिद्धान्तों को मजबूत करती है। कोई धारा ऐसी तो नहीं है जो उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन न करती हो? अगर कोई ऐसी धारा है तो उसको मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के सामने पेश कर देना चाहता हूं और वह मैं कर सकता हूं।

अधिष्ठाता--आप उसको रिफर कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सिद्धान्तों पर ही बातें करें, और बातों का मौका तो आपको बाद में भी मिल सकता है।

श्री गेंदासिंह--मैं वाकई कोई बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। यों तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। विधेयक की खामियां तो हमें बतानी ही चाहिये जिन पर सेलेक्ट कमेटी गौर कर सके और सिद्धान्तों की बातें कहते हुये कुछ ऐसी बातों के कहने की आवश्यकता होगी। उसमें एक मुख्य सिद्धान्त की बात यह है कि जो जमींदारी अबोलिशन ऐक्ट है उसमें ऐसा है कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन न होने पाये, उसमें ऐसी व्यवस्था की गयी है। लेकिन इस विधेयक के अनुसार एक खानदान अपने पास ज्यादा जमीन भी रख सकेगा यानी अरबन ऐरिया में वह इससे ज्यादा भी जमीन रख सकेगा। जिस धारा में ऐसी गुंजाइश है उसको मैं राजस्व मंत्री जी के सामने रख देना चाहता हूं। आप देखेंगे कि ठेकेदारों के संबंध में उन्होंने कुछ कानून बनाने की इसमें चेष्टा की है। धारा १३ में यह बात दी गयी है--

"यदि किसी क्षेत्र में कोई भूमि १ जुलाई, १९५५ को किसी व्यक्ति की निज जोत में ठेकेदार की हैसियत से रही हो और ठेका इस आशय से दिया गया हो कि वह व्यक्ति उस भूमि में स्वयं खेती करेगा तो किसी विधि, लेख्य या न्यायालय की आज्ञा में किसी बात के रहते हुए भी उसके विषय में यह समझा जायगा कि वह उस भूमि का ऐसा मौरूसी काश्तकार है, जिसे उस भूमि को अपने कब्जे में मौरूसी काश्तकार की हैसियत से रखने और, यदि पूर्वोक्त दिनांक के पश्चात वह बेदखल हो गया हो, तो उसकी उस हैसियत से फिर कब्जा पाने का अधिकार है और वह उस भूमि के लिये मौरूसी दर से लगान का देनदार होगा।"

यह जिसके कब्जे में रही हो उसके लिये है। लेकिन उसी के साथ-साथ धारा १४ की उपधारा (२) (क) में यह लिखा हुआ है कि--

"यदि वह भूमि ठेका दिये जाने के दिनांक पर ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त थी, तो धारा १७ के प्रयोजनों के लिये, निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक

पर, वह ठेका देने वाले की सीर या खुदकाश्त समझी जायगी तथा निहित होने के दिनांक से ठेकेदार उसका असामी हो जायगी और निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दरों से लगान का देनदार होगा तथा भूमि पर, ठेके की शेष अवधि या निहित होने के दिनांक से पांच वर्ष, दोनों में से जो कम हो उस अवधि के लिये, उसी रूप में काबिज रहने का अधिकारी होगा।"

यह सही है कि असामी काबिज रह सकता है लेकिन इसमें राजस्व मंत्री जी गौर करें तो ३० एकड़ वाली गुंजाइश कहीं नहीं है। अगर किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा भी हो तो वह इस विधेयक के पास हो जाने पर भी उस पर काबिज रह सकेगा।

और उसी के साथ-साथ फिर एक ठेकेदार ने अगर दूसरे लोगों को जमीन उठा दी, पट्टा कर दिया। पट्टा कर देने वाले के पास तो यह बात सही है कि ३० एकड़ से अधिक उसके पास नहीं होनी चाहिये लेकिन यहां इसमें कहीं इस बात की गुंजाइश नहीं है कि पट्टेदार हो कौन? हमारा जो पुराना अधिनियम जमींदारी एबालिशन का है उसमें इस बात की गुंजायश है कि अगर एक ही खानदान के कई आदमियों के नाम पट्टा हो जाय तो उन सब को जोड़ कर हम ३० एकड़ की गुंजायश करते हैं। संयुक्त परिवार में कुछ ऐसे खानदान होते हैं जो बाप के नाम, बेटे के नाम, बीबी के नाम पट्टा कर देते हैं और सब को मिला कर अगर वे दो सौ एकड़ करना चाहते हैं, तो फिर हम जरूर इस बात को देखेंगे कि उनके पास ३० एकड़ से अधिक न रहने पावे, लेकिन से विधेयक में इस बात की गुंजायश नहीं है और इस बात की पूरी गुंजायश है कि एक ठेकेदार जिसके पास इस विधेयक के आने से पहले ५०० एकड़ या २०० एकड़ जमीन है यहां तक कि इस विधेयक के आने के पहले जुलाई, १९५५ को भी उसने पट्टा किया था तो उसको हम मान लेगें। जुलाई, १९५५ को उसने जब अपने खानदान वालों के नाम पट्टा कर दिया, अपने बेटे के नाम कर दिया, अपनी बीबी के नाम कर दिया या अपने भतीजे के नाम कर दिया, इस तरह से ३०-३० एकड़ अपने खानदान के ५ आदमियों के नाम पट्टा कर दिया तो माननीय राजस्व मंत्री जी बतला दें कि इस विधेयक में कहां इस बात की गुंजायश है कि उसके पास ३० एकड़ ही रह जायगा बाकी नहीं रहेगा?

श्री चरण सिंह--सारे सूबे में कितने ऐसे हैं जिनके पास ३० एकड़ से अधिक जमीन शहर के अन्दर होगी?

श्री गेंदा सिंह--यह बात दूसरी है कि कोई ठेकेदार ऐसा होगा ही नहीं, जिसके पास ३० एकड़ से अधिक जमीन हो। लेकिन हमें तो विधेयक को इस प्रकार से पूर्ण बनाना चाहिये ताकि इससे गलत फायदा उठाने की गुंजायश न हो। सम्भव है कि ३० एकड़ से अधिक वाले ठेकेदार हों तो उनके लिये इस बात की गुंजायश है कि वे कानून से बचने के लिये अपने दूसरे रिश्तेदारों के नाम तीस-तीस एकड़ या पन्द्रह-पन्द्रह एकड़ बन्दोबस्त कर देंगे। यह जो बात है वह सिद्धान्त की है कि किसी तरह से ज्यादा जमीन लोगों के पास न जाने पावे और जिस बात की बहुत जोरदार सिफारिश माननीय मंत्री जी ने पहले भी की है कि हम आगे जो कानून बना रहे हैं उस कानून के मुताबिक ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे जिससे ज्यादा जमीन लोगों के पास जावे। जब भी बटवारा का विरोध करते हैं तो वे इस बात को कहते हैं कि ऐसा कानून बनेगा, जिससे जमीन धीरे-धीरे अपने आप लोगों के पास से निकल कर चली जावे जिससे बटवारा का कोई कानून बनाने की जरूरत ही न पड़े। उनका ध्यान मैं इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक में इस बात की कहीं गुंजायश नहीं है। आपने कहा कि ३० एकड़ वाले शहर में मिलेंगे भी नहीं। मैं भी कहता हूं कि ३० एकड़ की लिमिट शहर वालों के लिये बहुत ज्यादा है शहर के लिये ३० एकड़ की लिमिट होनी भी नहीं चाहिये। वहां के लिये कम लिमिट होनी चाहिये, १० एकड़ की लिमिट होनी चाहिये। मैं तो १० एकड़ से कम की बात भी मान सकता हूं क्योंकि शहर में जमीन की कीमत ज्यादा होती है।

[श्री गेंदा सिंह]

उस मूल्य को ध्यान में रखते हुए और शहर की बात को ध्यान में रखते हुए, शहर की बेकारी को ध्यान में रखते हुए और वहां मकान वगैरह की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए ३० एकड़ की लिमिट शहर के लिये बिलकुल नहीं होनी चाहिये। यह बहुत ही अनुचित बात है और मैं समझता हूं कि एतराज तलब बात है जिस पर आप फिर से गौर करें।

सिद्धान्त की बात मैं एक और कहना चाहता हूं जैसे इस विधेयक में कहीं यह बात नहीं है कि अगर मालगुजारी अधिक हो गयी है तो जमींदारी एबालिशन होने से पहले मालगुजारी कम करने की कोई भी गुंजायश इस विधेयक में किसी भी जगह नहीं की गयी है। हां, यह बात जरूर है कि अगर मालगुजारी किसी भी तरह से आपस में पुराने मध्यवर्तियों और किसानों के बीच में कम करने का मामला तय हो गया है और उनकी मालगुजारी कम कर दी गयी हो तो इसकी गुंजायश है कि उस मालगुजारी को कम नहीं माना जाय, बल्कि प्रतिकर अधिकारी उसकी निगरानी करेगा और इस तरह से कम की हुई मालगुजारी को बढा दिया जायगा और सर्किल रेट के मुताबिक वह मालगुजारी कर दी जायगी। लेकिन सरकार इस विधेयक के जरिये कहीं भी इस बात की गुंजायश नहीं कर सकी है कि अगर कहीं सर्किल रेट से अधिक मालगुजारी हो तो उसको कम कर दिया जाय।

श्री चरण सिंह--कैसे समझाया जाय कि इसमें है ?

श्री गेंदा सिंह--अगर ऐसी बात होगी तो मैं इस हिस्से का स्वागत करूंगा। एक बात मैं जरूर जानना चाहता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी से कि कहीं इस बात की गुंजायश है कि जो सर्किल रेट से ज्यादा मालगुजारी हो उसको कम किया जाय ?

मालगुजारी के सम्बन्ध में इस वक्त मैं इतना ही कह कर खत्म करता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर पूरी रोशनी डालेंगे कि कहां पर मालगुजारी कम करने की गुंजायश की गई है। इन बातों को कहते हुए अन्त में खासतौर से निवेदन करूंगा कि असल में यह जो जमींदारी अबालिशन हो रहा है वह इसलिए नहीं कि हमारा किसी से बैर है या हमें शहरों में रहने वाले जमींदारों से कोई बैर है और उन से बदला लेना है और न मैं सरकार से ही यह अपेक्षा करता हूं कि वह कोई ऐसी इच्छा रखती है बल्कि यह तो एक हिस्टारिक नेसिसिटी है, वक्त की एक आवश्यकता है कि जमींदारी अबालिशन किया जाय और वह भी इसलिए कि हम जमीन जैसे उपयोगी उत्पादन के साधन को देश के मेहनतकश लोगों के सुपुर्द करना चाहते हैं और मौजूदा व्यवस्था उस रास्ते में एक बाधा मालूम पड़ती है और उसी के लिए यह तमाम व्यवस्था की जा रही है। परन्तु यह जो बिल है इस से हमारी वह मनशा पूरी नहीं होती। पर हम यह सोचते हैं कि हमारी मंशा पूरी न हो लेकिन जो कुछ कांग्रेस की घोषित नीति है वह भी इस से पूरी नहीं होती। इस नागर क्षेत्र जमीदारी अबालिशन बिल से तो वह कांग्रेस की घोषित नीति भी पूरी नहीं होती। उसकी नीति है कि कम से कम ६ वर्ष से जिन लोगों की जोत में जो जमीन है उनको उस का मालिक बना दिया जाय।

श्री कुमारप्पा की ऐग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी ने कहा था कि ६ वर्ष तक जिस ने किसी जमीन को जोत लिया हो तो उस काश्तकार को उस का मालिक मान लिया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने इस में कहीं इस प्रकार की गुंजायश की है ? अगर २० साल से भी अधिक का कोई जोतने वाला है और उसका इन्द्राज लेखपाल के कागज में न हो तो उसको मौरूसी काश्तकार बनाने की कहीं गुंजायश नहीं है। डिमार्केशन

आफिसर को कोई ऐसा अधिकार नहीं है । जब वह गलती पाये प्रतिकर निर्धारण के समय तो वह कुछ जांच पड़ताल कर सकता है, लेकिन इतने से तो काम नहीं चलता। सही तसवीर यह है कि २५ साल पहले के कागजात में काफी परिवर्तन हो गया है और जब से इधर ५-६ साल से लोगों ने जमींदारी अबालिशन की बात सुनी तो उन्होंने एनक्लोजर या चहार दीवारी घेर कर गैरमजरुआ साबित करने के लिये मकानों का क्षेत्र बना रखा है और कहीं-कहीं उसके बीच में खेती भी होती है । उस को वह गैरमजरुआ कहते हैं । ऐसी जमीनों के लिए कोई गुंजायश बिल में नहीं है। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जरूर जाय और सेलेक्ट कमेटी में जाने के साथ-साथ मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें जो गैरमजरुआ जमीन को छोड़ दिया गया है उस पर और रिहैबिलिटेशन व प्रतिकर की बात पर जरूर गौर करने का अधिकार होना चाहिये । यह स्कोप सेलेक्ट कमेटी को होना चाहिए इतना स्कोप बढाकर इसे प्रवर समिति में भेजा जाय ।

हमारे एक साथी ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द वहां इस पर विचार होना चाहिये वह बात ठीक है और मैं समझता हूं कि इस बिल में कुछ देर लगने वाली बात जरूर हुई, क्योंकि जब यह पास भी हो जायगा तब भी सरकार के हाथ में है कि वह इस को किस वक्त नोटीफाई करे और इस तरह से फिर भी समय लग सकता है । इस में डिमार्केशन आफिसर मुकर्रर होगा, वह जांच करेगा और डिमार्केट करेगा और मध्यवर्तियों को उज्रदारी का मौका होगा । और उज्रदारी भी मालूम नहीं कितने समय तक होगी ? उस उज्रदारी के लिये भी मैं सोचता हूं कि गांव के जमींदारों की तरह से शहरों के जमींदार नहीं हैं । गांव के जमींदारों की मैं तारीफ करूंगा कि जहां पर प्रतिकर का निर्धारण हुआ हमारा ऐसा ख्याल है कि गांव के जमीदारों ने एक प्रतिशत भी जाकर उज्रदारी नहीं की है । उन्होंने तो समझ लिया था कि जमींदारी अबालिशन होना ही है और वह हो गया है ....

श्री चरण सिंह--वह कानून की खूबी थी या उनकी भलमनसाहत थी ?

श्री गेंदा सिंह--मैं तो इसलिये भी माननीय राजस्व मंत्री जी की तारीफ करता हूं कि आपने कानून इतना उलझनदार बनाया है जिसको समझने में बिलकुल आसानी नहीं है । ऐसा कानून आपने बनाया कि जिसे न जमींदार समझ सकता है, न काश्तकार और न कम्पेन्सेशन आफिसर समझता है । जिसको हर आदमी कम समझता है यह उनके कानून की खूबी है । जहां मैं पूछता हूं कि भाई जरा मुझे समझा दो, तो वह कहता है कि भाई हमको भी पूरा नहीं मालूम है । जो बड़े बड़े माल के प्रैक्टिस करने वाले मुख्तार हैं उनका भी यह कहना है कि इस चीज को माननीय चौधरी चरण सिंह से समझने की जरूरत पड़ेगी और चौधरी साहब को भी पूरा नहीं मालूम, वह भी कहते हैं कि फलां साहब जानते हैं। तो यह खूबी इस कानून की है । खैर तो उज्रदारी तो वहां नहीं हुई इसलिये कि वहां जमींदारी अबालिशन हुआ और जमींदारी अबालिशन होने के बाद वहां प्रतिकर के बारे में उज्रदारी हो सकती है, लेकिन यहां तो जमींदारी अबालिशन का कानून लागू हो इसके बारे में उज्रदारी की गुंजायश है और इसमें उज्रदारी हुये बिना नहीं रहती। यह शहरी जमींदार जो हैं इनमें वकील भी हैं मुख्तार भी हैं तो यह तो जरूर कहा जा सकता है, और इसमें इस बात के लिये तारीफ भी हो सकती है कि इसमें उलझन ज्यादा है और देर लगाने वाली बातें हैं । जमीदारी अबालिशन कर दी जाय और उसके बाद प्रतिकर निर्धारण करने के मामले में यदि उज्रदारी की बात हो तो उसमें हमें एतराज नहीं है, लेकिन इसमें जो देर लगाने वाली बात है मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी उस पर जरूर गौर करे और मुझे उम्मीद है कि राजस्व मंत्री जी अवश्य गौर करेंगे

[श्री गेंदा सिंह]

कि इसमें देर न होने पावे । सेलेक्ट कमेटी में देर नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि जितनी जल्दी सम्भव हो सके यह बिल सदन में लौट कर आ सके और सचमुच में जमींदारी अबालिशन हो जाय, इसकी गुंजायश माननीय राजस्व मंत्री जी इसमें अवश्य करेंगें, ऐसी मैं आशा करता हूं ।

†श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह हमारे प्रदेश में, बल्कि सारे देश भर में सर्वविदित है कि माननीय, मंत्री जी इस विषय के पंडित हैं और उन्होंने इस प्रदेश में भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में जो कानून बनाया है उससे एक प्रकार का ऐसा रिवोल्यूशन हुआ है जिसको हम बहुत प्रिएज और बहुत ही ऐडवांस्ड भी कहते हैं । इसमें संदेह नहीं है कि देहातों में जमींदारी अबालिशन के बाद हमें ऐसी आशा थी कि नगरों में भी उसी के साथ-साथ जमीदारी अबालिशन का कानून लागू होगा । और इसमें तो माननीय गेंदासिंह के साथ सभी लोग सहमत हैं कि अरबन एरिया में जमींदारी अबालिशन करने में जो देर हुई है उसने हमारे सब को भी और बहुत कुछ सरकार के मंतव्य को भी नुकसान पहुंचाया है । वास्तव में जमीदारी अबालिशन के सिलसिले में जो कानून आने वाले होते हैं उनको दृष्टि में रख कर ही जमीदार लोग पहले देहातों में और अब शहरों में वहां उनसे अपने मुनाफे का पूरा-पूरा इंतजाम पहले से कर लेते हैं । अब तो वे केवल उस मुनाफे का वह हिस्सा ले रहे हैं जिसे वे करीब-करीब छोड़ चुके हैं और निराश हो चुके हैं, इसलिये यद्यपि अब देर और सबेर में कोई विषेश अंतर नहीं रहा लेकिन तिस पर भी मैं जोर देना चाहूंगा कि यह प्रश्न जो रिवोल्यूशन में, प्रगति के मार्ग में, बाधा बना हुआ है, सरकार उसको, उसकी प्रोग्रेस की गति को आगे बढ़ाने के लिये बढ़ रही है और मैं यह आशा करूंगा और निवेदन करूंगा कि इस सिलसिले में देर न हो और अब तो देर होने की गुंजायश भी नहीं है ।

मैं इस बात को मानता हूं कि शहरों में जमीदारी ऐबालीशन के सम्बध में जो कानून बन रहा है वह ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास जायेगा तो इस सदन की ओर से और उस सदन की ओर से जो सुझाव उपस्थित होंगें वे लाभप्रद और आवश्यक होंगें । इसमें मैं कहना चाहूंगा कि देहाती और शहरी क्षेत्र की जमीदारी एबोलिशन के सम्बन्ध में कम्पेनसेशन के बारे में जो अन्दर दिया गया है वह बहुत बड़ा है । देहाती क्षेत्रों के लिये ८ गुना दिया गया है और शहरी क्षेत्रों के लिये १६ गुना दिया गया है । देहाती क्षेत्रों में जमीन की कीमत कम है और शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमत ज्यादा है इससे क्यों अन्तर पड़ना चाहिये ? असल में आज की राजकीय व्यवस्था में सोशल आबजेक्टिव में हम रुपये को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं । बल्कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को महत्व देते हैं । १६ गुने और ८ गुने का जो डबल डिफरेंस है, इसलिये अन्तर आना चाहिये कि शहरी क्षेत्र में भूमि की कीमत अधिक है और देहाती क्षेत्र में कम है । शहरों का स्टैन्ड आफ लिविंग ऊंचा है और देहातों में स्टैंडर्ड आफ लिविंग नीचा है । इसलिये यह अन्तर को बनाये रखना है । यह मैं समझता हूं कि किसी भी दृष्टिकोण से होना नहीं चाहिये । मैं माननीय माल मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो मैं कह रहा हूं उसे मैंने ठीक समझा है तो यह १६ गुने और ८ गुने का अन्तर रहना नहीं चाहिये, क्योंकि एक शहर है और दूसरा देहात है ।

श्री चरण सिंह---मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि हम शहरी क्षेत्र में रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट नहीं दे रहे हैं जबकि वह देहाती क्षेत्र में ८ से २८ गुने तक है ।

श्री पद्मनाथ सिंह---मैंने पहले ही निवेदन किया कि माननीय माल मंत्री इस विषय के पंडित हैं । हो सकता है कि इतनी मायन्यूट बातें मैं न समझ पाया हूं लकिन इसके बावजूद भी यह डिफरेंस ऐसा लगता है कि जो स्टैन्डर्ड आफ लिविंग देहात और शहर में है उनको ध्यान

---

†वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में रख कर यह किया गया है। अगर एसा नहीं है तो सिलेक्ट कमेटी के सामने जब यह बात पेश की जायगी तो मैं समझता हूं कि मेरे दृष्टिकोण को भी लोग सामने रक्खेंगे और इस पर विचार करेंगे।

दूसरी बात ३० एकड़ की है। मैं भी सहमत हूं माननीय नेता विरोधी दल की बात से कि शहरों में जो क्राप होती है वह कैश क्राप होती है और कैश क्राप के लिये ५ एकड़ भूमि भी बहुत अधिक होती है। हमारी यह धारणा बन गयी है कि जितना ज्यादा हमारे पास हो उतना अच्छा है और उस ओल्ड कंसेप्शन से हम सभी प्रभावित हैं। लेकिन ज्यादा उत्पादन तभी हो सकता है जब तक भूमि हो और ज्यादा परिश्रम हो, ज्यादा ध्यान लगाया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि ३० एकड़ की बात में शहरी और देहाती क्षेत्र में अन्तर जरूर पड़ जाता है। जो शहर की ५ एकड़ भूमि में पैदा हो सकता है वह देहात की ३० एकड़ भूमि में पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि यहां भूमि भी अच्छी है और खाद की भी सुविधा है। माननीय मंत्री इस पर स्वयं विचार करने की कृपा करेंगे।

मैं तीसरी बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। कम्पेन्सेशन की बात जब जब माननीय माल मंत्री से आयी है ३० एकड़ तक सीलिंग फिक्स करने के सम्बन्ध में तब तब कांस्टीट्यूशन की बात उठायी गयी है और सदन में बार बार कहा गया कि केन्द्रीय सरकार से कांस्टीट्यूशन को अमेंड करने की सिफारिश की जाय। लेकिन अर्बन एरिया में जमींदारी को एबालिशन करने के लिये जो कानून आ रहा है उसमें यह व्यवस्था की गयी है कि ३० एकड़ से ज्यादा जिसके पास भूमि होगी, ७ वें अध्याय के अनुसार वह उससे अलग समझी जायगी और दूसरों में बांट दी जायगी। इसी तरह से जमींदारी के सम्बन्ध में जो कानून हैं चाहे देहाती क्षेत्र के लिये या शहरी क्षेत्र के लिये, वे सब जगह लागू हो सकते हैं कि विशेष निर्धारित सीमा के ऊपर जो भूमि जिसके पास है वह उससे ले कर और लोगों में बांटी जा सकती है और यदि वह भूमि स्टेट और पब्लिक के इंटेरेस्ट में बांटी जाय तो मैं इसे कमेंडेबिल समझता हूं। मैं इसे विचारणीय समझता हूं कि कम्पेसेशन की बात बहुत दूर तक स्वयं आप से आप हल की जा सकती है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न बड़ा ही बर्निंग सा, मजबूर करने वाला प्रश्न हो गया है। आज कोई भी दल विशेष ऐसा नहीं है चाहे ऊंचे तबके में, चाहे इंन्टेलेक्चुअल्स में, चाहे छोटे तबके में रहता हो जो इस बात पर विचार न करता हो कि एक ऐसी परिस्थिति आ गयी है जहां पर भूमि की सीमा निश्चित रूप से निर्धारित करनी ही होगी। वह चाहे आज की जाय या परसों की जाय। लेकिन करनी ही होगी। यदि करनी ही है तो इस समय के माल मंत्री, जिन्होंने हमारे प्रदेश में बल्कि देश में भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में बड़ा यश और श्रेय प्राप्त किया है, उन्होंने एक क्रान्ति ला दी है, वह इस सम्बन्ध में भी कानून बनायें। इसकी तमाम दिक्कतें दूर हो जायंगी। लेकिन जब करें तो तीस एकड़ की सीमा पर भी विचार करने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि इससे न केवल खेती की उत्पादन शक्ति बढ़ जायगी बल्कि सचमुच एक ऐसा दृष्टिकोण पैदा होगा जिसमें व्यक्ति यह समझेगा कि केवल परिश्रम से अधिक से अधिक पैदा कर सकता है और देश हित में पैदा कर सकता है। तो मैं इस बात में अपनी राय मिलाता हूं कि तीस एकड़ नागर जमींदारी अबालिशन बिल में जो रखी गयी है यह कम होनी चाहिये। दस हो जाय, पंद्रह हो जाय। लेकिन तीस बहुत ही अधिक है।

मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि शहरों में कई ऐसी समस्यायें हैं जो इस बात का तकाजा करती हैं कि यदि जमींदारी शहरों में अबालिश भी हो जाय और कुछ सीमा भी लगा दें तो भी कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, हाउसिंग प्राबलम एक घनघोर सी प्राबलम बन गयी है और एक परेशान करने वाली प्राबलम बन गयी है जिसके लिये हमारे प्रदेश की सरकारें और केन्द्रीय सरकार भी चिंतित हैं और उसके सम्बन्ध में व्यवस्था करने में लगी हुयी हैं। उस सवाल का भी हल इस ऐक्ट में, मैं यह कबूल करता हूं कि इस बिल को मैं पूरे तौर से पढ़ नहीं पाया हूं, मैं नहीं जानता कि इसकी इसमें व्यवस्था है या नहीं, लेकिन जो सरसरी तौर से मैंने देखा उसमें हाउसिंग प्राबलम को ईज करने के लिये विशेष रूप से एक धारा

[श्री पद्मनाथ सिंह]

जोड़नी पड़ेगी ताकि इस संबन्ध में लोगों को सुविधा मिल सके जमीन प्राप्त करने में, और सस्ते दामों में वह सुविधा मिल सके। इसकी ओर भी माल मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न जितना और दिशाओं में महत्वपूर्ण है उतना ही निवास के लिये भी महत्वपूर्ण है। शहरों की बढ़ती हुयी आबादियों में यह प्रश्न कुछ खास तबके के लोगों के लिये एक जीवन और मरण का प्रश्न बन गया है, यह प्रश्न उनके विकास में, समाज और व्यक्ति के विकास में बड़ा बाधक बन रहा है। इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं समझता हूं कि नागर क्षेत्र में जमींदारी विनाश का जो कानून आया हुआ है वह कानून अच्छा ही है और हम उसका स्वागत भी करते हैं।

जो कुछ बातें मैंने निवेदन कीं, मैं उम्मीद करता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में उन पर विचार हो कर वे अपने रूप में आ जायंगी।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस नागर क्षेत्र के सम्बन्ध में जितने भी भाषण हुये वे सब यही संकेत करते हैं कि उनके ऊपर शांतिपूर्वक विचार प्रवर समिति में ही हो सकता है। बड़ी सच्चाई के साथ उस पर दो मत हो सकते हैं और उनमें बहुत वैधानिक प्रश्न भी उपस्थित हो सकते हैं। किसी भी माननीय व्यक्ति ने यह नहीं प्रस्तुत किया कि यह प्रवर समिति को नहीं जाना चाहिये।

जहां तक विधेयक को मैंने देखा है इस विधेयक में जो सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं उनके अनुसार भी धाराओं के जोड़ने में कठिनाइयां हुयी हैं और उनका पथ बहुत ही कंटकाकीर्ण है। मैं उदाहरण के लिये धारा ६ की ओर संकेत करता हूं। धारा ६ में कृषि क्षेत्र के सीमाकरण के सम्बन्ध में एक बहुत ही हल्के शब्दों में संकेत किया गया है। नागरिक क्षेत्र के सम्बन्ध में पूरे का पूरा विधेयक स्वीकार भी कर लिया जाय तो इतना विलम्बकारी पथ आयेगा सीमाकरण के अन्तर्गत, हमारी राज्य सरकार को चाहिये कि कृषि क्षेत्र के सीमाकरण के सम्बन्ध में कोई विशेष रीति से उपाय सोच ले। मैं ऐसा मानता हूं कि लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्दर किसी क्षेत्र के सीमाकरण करने के अन्तर्गत जहां तक कि नकशे में नम्बर्स बने हैं तो विधान के अनुसार वह तो सुगमता से हो सकते हैं, लेकिन जितने क्षेत्रों में मकान बन गये हैं और १०-१२ वर्षों से बने हैं, आबादी के अन्दर हो गये हैं, उनका सीमाकरण करने में एक विधि का प्रश्न उपस्थित होगा। ऐसे ही अनेक प्रश्न उसके अन्तर्गत हैं जिन पर शांतिपूर्वक विचार विस्तार से प्रवर समिति में ही हो सकता है और अनेक ऐसी दिशा की ओर बढ़ गये हैं जिन पर बिना प्रवर समिति में गये हुये हम शांतिपूर्वक विचार नहीं कर सकते हैं। जितना हमारे माननीय वक्ता गेंदासिंह जी ने इस सम्बन्ध में कहा है उसमें बहुत वैधानिकता न रहते हुये भी कुछ बातें ऐसी हैं जो केवल प्रवर समिति में ही विचार की जा सकती हैं। इस विधेयक में भी छाया ली गयी है उस भूमि सुधार से जो हुआ है, लेकिन इस विधेयक का जो पथ है वह दूसरा है, इसको दूसरी दृष्टि से विचार करना है। नाम तो इसका अवश्यमेव है "नागरिक क्षेत्र विनाश भूमि व्यवस्था" पर यह यथार्थता को प्राप्त नहीं हुआ, इस पर भी हमको विचार करना है और बहुत ही गम्भीरता से हमको विचार करना होगा।

अब जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपनी कठिनाई बतलायी है वह भी अपनी एक कठिनाई रखते हैं। आया उन कठिनाइयों के सामने हम प्रगति के मार्ग पर आगे शीघ्रता से जा सकेंगे, इस पर भी हमको प्रवर समिति में ही सुगमता मिलेगी विचार करने की। ऐसे ही अनेक प्रश्न हैं। मैं इस सदन में यह प्रगट करना चाहता हूं कि केवल एक ही इसका उपाय है कि शीघ्र से शीघ्र यह प्रवर समिति में जाय और वहां से फिर इस सदन में आये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक माननीय माल मंत्री द्वारा इस सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं और जो प्रस्ताव माननीय माल मंत्री जी ने प्रवर समिति के पास भेजने का किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

लेकिन कुछ बातें मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं ताकि जिस समय प्रवर समिति में इस विधेयक पर विचार किया जाय तो मैं जिन बातों की तरफ उनका ध्यान खींचना चाहता हूं वे बातें भी विचार में रखी जायं। सम्भव है कि इस विधेयक के समझने में कोई मुझ से गलती हुयी हो, तो मैं माननीय माल मंत्री जी से क्षमा चाहूंगा, लेकिन जो मेरी मुश्किलें हैं मैं उन्हें उनके समक्ष रखना चाहता हूं और इसे मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

पहली बात तो यह है कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक जो अभी एक संशोधित विधेयक पिछले अधिवेशन में उपस्थित हुआ था इस सदन में उसमें, यह बात कही गयी थी कि जो जमीन पर कहीं शिकमी है किसी का या जमींदार की सीर का जो गैर-दखीलकार काश्तकार है वह सब सीरदार बना दिये गये और उसमें मुआविजे की व्यवस्था कही गयी है कि हेरेडिटरी दर से जो किसी भूमिधर की जमीन पर हो तो १० गुना उसे मुआविजा मिलेगा और अगर सीरदार की जमीन पर हो तो २० गुना मिलेगा। इस विधेयक के जरिये से भी जो कोई काश्तकार है, उसकी जमीन पर जो, शिकमी काश्तकार है उसको भी सीरदारी का हक दिया गया है। तो जब खास तौर से हमारे कुछ जिलों में जहां कि इस्तमरारी बन्दोबस्त हुआ है वहां शरह-मुअइयन यानी फिक्स्ड रेट में जिस शिकमी को दिया गया होगा इस विधेयक के जरिये से या जो भी किसी काश्तकार का शिकमी है उसमें जिस जमीन पर वह शिकमी है वह सीरदार बनेगा तो उसके मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं समझता हूं कि नागर क्षेत्र में भी जहां किसी काश्तकार की जमीन पर कोई शिकमी हो और जब वह शिकमी सीरदार बन रहा है तो वहां उसे अवश्य मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिये, वरना जो सुविधा हमने गांव में दी है और गांव में जो नियम इस सम्बन्ध में बनाये हैं उनसे इसमें भिन्नता हो जायगी।

श्री गेंदासिंह--कांस्टीट्यूशन बदल गया। वह तो मजबूरी थी हमारी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मालगुजारी की दर जो धारा २० में दी गयी है उसमें यह लिखा गया है कि जो मालगुजारी पहले से काश्तकार देता आ रहा है वही मालगुजारी सरकार को वह देगा। लेकिन यह तो हमने रूरल एरियाज में नहीं किया। रूरल एरिया में हमने यह किया कि हेरीडेटरी रेट यानी मौरूसी दर के दूने से ज्यादा कहीं सरकार मालगुजारी नहीं लेगी। अगर काश्तकार ज्यादा दे रहा है तो वह घटा कर दूने तक कर दी जायगी। बटाई है तो उसका भी जो टैक्स लिया जायगा तो वह भी हेरीडेटरी रेट्स के अनुसार कम कर दिया जायगा। बहुत से माननीय सदस्यों को इस बातका तजुर्बा होगा, मुझे है कि शहरों में जमीन बहुत ऊंचे दर पर उठी हुयी है। हमारे जौनपुर शहर में और हमारे यहां एक टाउन एरिया है मछलीशहर, वहां जमीन बहुत ऊंचे दर पर उठी हुयी है। दो दो सौ रुपये बीघा पर शिकमी लोग काश्तकारी कर रहे हैं। अगर उनकी दर वही रही तो केवल इतना तो अन्तर जरूर हो जायगा कि अब बजाय जमींदार के सरकार उनसे लगान लेगी लेकिन माल-गुजारी की दर में, जो रूरल एरियाज में किसानों को सुविधा दी गयी है उससे वह वंचित रह जायेंगे। मेरा निवेदन है कि वैसी व्यवस्था यहां भी होनी चाहिये और खास तौर से शहरों में जहां पर कि बहुत बढ़ी हुयी दरों पर यह लगान वसूल किया जाता है।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज बहुत से माननीय सदस्यों के भाषणों से मैंने यह समझा कि वह यह समझते हैं कि शहरों की जमीन ज्यादा कीमती है इसलिये मुआवजा ज्यादा दिया जाय और जब यह विधेयक पिछली बार प्रस्तुत हुआ था तो उस समय भी इस प्रकार की दलीलें दी गयी थीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बिलकुल भ्रम है। यह कोई बेसिस नहीं है जमीन के कम्पेन्सेशन देने का। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप देखें कि यहां भी पक्की निकासी निकाली जायगी यानी जितना जमींदार को फायदा होता है, उस कृषि क्षेत्र में जितनी जमीन उठी हुयी है, उसमें जितनी उसे मालगुजारी मिलती है उसमें खर्चा काट कर जो निकासी होगी उसका १६ गुना या जो भी गुना हो वह कम्पन्सेशन उसका होगा। जमीन की अगर कीमत ज्यादा है, जमीन ज्यादा कीमत पर उठी हुयी है तो उस हिसाब से उसकी पक्की निकासी ज्यादा हो जायगी। तो शहरों

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

की जमीन के ज्यादा कीमती होने या न होने का तो सवाल है ही नहीं। यह कहना कि शहरों में इसलिये ज्यादा देना चाहिये या इसलिये ज्यादा दिया जा रहा है कि वहां जमीन की कीमत ज्यादा है, मैं नहीं समझता कि कहां तक रेलिवेंट है? यह बिलकुल रेलिवेंट नहीं है। तो जो १६ गुना दिया जा रहा है यह मुनासिब है या नहीं यह विचारने की बात है। मैं यह निवेदन करूंगा कि रूरल एरियाज में ढाई सौ से ५ सौ तक के मालगुजार को तो १६ गुना मुआविजा दिया गया है यानी ८ गुना रिहैबिलिटेशन और ८ गुना मुआविजा ढाई सौ से ५०० रुपये तक के मालगुजार को दिया गया है। उससे ऊपर के जमींदार को रिहैबिलिटेशन और मुआविजा मिला कर भी १६ गुना नहीं मिला, बल्कि बराबर कम होता गया है। लेकिन यहां हम १६ गुना दे रहे हैं चाहे वह ५००० का मालगुजार हो चाहे ५०००० हजार का हो। यह क्यों किया जा रहा है यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जो खाली जमीन है अगर वह ली जाती और तब कोई माननीय सदस्य यह दलील देते तो वह अपनी जगह पर बैठ सकती थी लेकिन जब नेट प्राफिट का हम मुआविजा दे रहे हैं तब फिर यह १६ गुना क्यों दिया जा रहा है यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह कहा जा सकता है कि रूरल एरियाज में रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट थी और यहां नहीं है इसलिये हम १६ गुना दे रहे हैं, तब तो यह दलील सही लगती है। लेकिन जब हमने रूरल एरियाज में छोटे और बड़े जमींदार का फर्क रखा तो यह बात भी समझ में नहीं आती कि यहां वह फर्क न रख कर सबको १६ गुना दिया जाय जिसमें कि बड़े से बड़ा जमींदार आ जाता है। यह बात मैं खुद नहीं जानता कि क्या दिक्कत है गवर्नमेंट के सामने, लेकिन जो उसूल हमने रूरल एरियाज में बनाया वही यहां भी होना चाहिये जबकि मैंने खासतौर पर अर्ज किया, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि कीमत का कोई सवाल इसके अन्दर पैदा नहीं होता।

एक और छोटी सी बात है, मुमकिन है मैं समझने में गलती कर रहा हूं लेकिन जो जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम हमने बनाया उसमें जिस जमीन में पेड़ थे वे काश्तकार के बना दिये गये। यहां अगर किसी जमींदार की सीर का गैरदखीलकार काश्तकार है उसमें अगर पेड़ होगा तो वह किसका होगा? आया वह जमींदार का होगा या उस काश्तकार का होगा जिसको हमने सीरदारी का हक दिया है? तो यह चीज भी साफ हो जानी चाहिये ताकि वह पेड़ काश्तकार को मिल जाय और उसमें कोई दिक्कत न हो।

एक खास बात जो माननीय माल मंत्री ने गैर मजरुवा जमीन की बाबत दिक्कत बताई और उस पर माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि वह दिक्कत नहीं होनी चाहिये, गैरमजरुआ जमीन को भी लेना चाहिये और माननीय पद्मनाथ सिंह जी ने भी कहा, तो मेरा कहना यह है कि माननीय माल मंत्रीजी ने यह तो नहीं कहा कि वे लेने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने तो यह कहा कि अगर कोई साफ रास्ता निकल आये तो मैं इस पक्ष में हूं कि ली जाय। जो दिक्कत है वह मजबूर कर रही है। जो गैरमजरुवा जमीन है वह ज्यादा कीमत की है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। वैसे जब रूरल एरिया में जमींदारी विनाश हुआ तो परती बन्जर या गांव की आबादी के अन्दर जो खाली जमीन थी वह सब हमने ले ली। गांव के अन्दर भी आबादी में खाली जमीन का कोई नकशा नहीं है। नक्शा आबादी का दिया हुआ है लेकिन कहां खाली जमीन है और कहां पड़ती जमीन पड़ती है यह पता नहीं चलता है। जैसे गांवों में इसका निर्णय हुआ है वैसे ही होना चाहिये। अदालतें अक्ल से फैसला किया करती हैं। यह पता नहीं चलता कि कितना बड़ा सहन है, कितना अगवाड़ा है और कितना पिछवाड़ा है और कितनी हुदूद, यह कायम नहीं की जा सकती है। लेकिन गांवों में हमने आबादी में खाली जमीनों को ले लिया है, वहां भी कोई उनका नकशा नहीं है, कोई सेटिलमेंट नहीं है, कोई पैमायशी नक्शा नहीं है तो इस दिक्कत को हमने हल किया है। जहां तक कीमत का सवाल है तो गांव में आबादी के अन्दर पड़ती जमीन की कीमत ज्यादा थी। मेरठ जिले में तो बहुत बड़े-बड़े गांव हैं, तो वहां न जाने कितनी खाली जमीन ली गयी होगी। इसकी कीमत इसलिए ज्यादा होती है कि जब जमींदार काश्तकार को मकान वगैरह बनाने के लिये जमीन देता था, तो बहुत रुपया लेता था। लेकिन

खाली पड़ी जमीन से उसको कोई फायदा नहीं होता था। इसी प्रकार जो शहर के अन्दर खाली जमीन है उससे जमींदार को फिलहाल कोई खास फायदा नहीं हो रहा है यानी नेट प्राफिट नहीं होता है। लेकिन हां यह हो सकता है कि फ्यूचर में ज्यादा कीमत उसको मिलने वाली हो और शहर के अन्दर खाली जमीन आगे चलकर ज्यादा कीमत में बिके तो रूरल एरियाज में यही बात वहां का जमींदार कह सकता था कि मैं तो मुआवजे के फेवर में हूं, मिलना चाहिये अगर शहर के अन्दर मिल्कियत सरकार ले लेती है तो फिर कोई जमींदार बेचने नहीं जायगा। जो जिसका मकान है वही उसका बना रहेगा, जो जिसकी जमीन है वह उसकी बनी रहेगी और खाली जमीन की मालिक सरकार हो जायगी। या फिर जिस प्रकार से रूरल एरियाज में जमीन गांव समाज को दे दी गई है उसी प्रकार से शहरों में म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया को दे दी जाय तो खाली जमीन का इंतजाम हो सकता है। खाली जमीन के बाबत यों तो आज भी मुकद्दमे लड़े जाते हैं और अदालतें फैसला किया करती हैं। अगर किसी के मकान की जमीन में कोई दस्तन्दाजी करेगा तो वह आज भी लड़ सकता है और आगे भी लड़ेगा। लेकिन जो खाली परती जमीन है जिसे बैरन कहते हैं, वह तो कानून से ली जा सकती है। कोई नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है, सेटिलमेंट की जरूरत नहीं है। तो यह चीज काबिले गौर है और इसमें कहां तक रुकावट पड़ती है। लेकिन मैं उसूलन समझता हूं कि ऐसी जमीन को ले लिया जाय जैसे और सदस्यों ने भी कहा है। गांव में जो उसूल हमने बरता है उससे हटने की यहां पर जरूरत नहीं है।

मैं समझता हूं कि रूरल एरियाज के जमींदार या शहर के जमींदार में हमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिये और जब हमें डिस्टिंक्शन नहीं करना है तो जो उसूल हमने बरता है भूमि व्यवस्था अधिनियम के जरिये, उसी उसूल को हमें इसमें भी बरतना चाहिए और इस विधेयक के बन जाने पर कुछ धाराओं को लागू कर सकते हैं, जैसे अध्याय ८ और १० को लागू कर दिया है। वैसे इस बात की जरूरत नहीं है कि बड़ा भारी कानून हमें बनाना पड़ेगा। कुछ दफायें तो इसलिये बढ़ाई गयीं कि ठेकेदारों को ३० एकड़ ले लेने का हक होगा। अगर ज्यादा जोत ली है तो फिर जमींदार उसको ले लेगा। जो जमींदारी अबालिशन कानून में देहातों के लिये रखा गया था वही बातें यहां पर रखी गयी हैं। पता नहीं कि माननीय माल मंत्री को यह मालूम है कि नहीं कि यह कैसे हुआ? जहां पर इस प्रकार की काश्त है वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर कहीं पर किसी अरबन एरिया में इस तरह की सूरत नहीं है तो फिर इसमें जो लिखने की मेहनत की गयी है वह कारगर नहीं होगी। मैं ज्यादा समय लेना सदन का उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि इस समय प्रस्ताव प्रवर समिति में जाने का है। वहां पर सब बातें छानबीन करके देखी जायंगी। यह बिल जरूरी सुधार होने के बाद और अच्छे ढंग पर इस सदन के सामने आयेगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इन सुझाओं पर विचार करने की कृपा करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, सन् १९५५ में ५ वर्ष के बाद यह विधेयक फिर इस सदन के सामने आया, इसलिये खुशी तो जरूर होती है, लेकिन ५ वर्ष की देर करने के बाद माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपनी मजबूरी बतलायी कि आज उन्होंने सर्वे नहीं कराया कि कितने जमींदार हैं, उनके पास कितनी जमीन है, कितने ऐसे जमींदार हैं जो शहरों में अपनी जमीन रखते हैं और गांवों में भी जमीन रखते हैं और कितने आदमियों पर यह विधेयक लागू होगा। इन ५ वर्षों के व्यतीत होने के बाद भी माननीय मंत्री जी अंधेरे में हैं और इस सदन को अन्धेरे में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यह अफसोस की बात है। असल में जब हम लोगों की तरफ से जनता के हित में नारा बुलन्द किया जाता है तो सरकार भी उस की नकल करने लगती है। लेकिन सरकार के पास योजना नहीं है इसलिये वह गलती करती चली जाती है। मिसाल के तौर पर अध्यासी लोगों का विश्वास लेने की कोशिश की गयी। एक तरफ तो अध्यासी लोगों को बनाया गया लेकिन दूसरी तरफ हजारों किसानों को बेजमीन कर दिया गया। यहां एक तरफ तो सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जब-जब इस सदन में

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

सुझाव पेश किये गये उस समय हमेशा कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि हमदर्दी लोगों की लेने के लिये हम ऐसा कहते हैं और हर आदमी को रोजी और रोटी देने की जिम्मेदारी सरकार की है और इन बातों को ध्यान में रख कर ही कानून बनाया जाता है, लेकिन इस विधेयक में हम देखते हैं कि सरकार ने कोई आंकड़े इकट्ठे नहीं किये हैं और जिसको माननीय राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सर्वे नहीं कराया है। ऐसी सूरत में ५ वर्ष की देर होने के बाद भी माननीय मंत्री जी क्षमा नहीं किये जा सकते हैं कि वह आज तक सर्वे नहीं करा सके। वह आज इस स्थिति में नहीं हैं कि सदन को सही रास्ते पर चला सकें। ५ साल गुजर गये और मुझे तो सन्देह है कि फिर सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद मुमकिन है कि २, ४ साल और लग जायं।

पिछले वर्ष कांग्रेस पार्टी ने देखा कि देहातों में उनको ४४ फीसदी वोट मिले हैं और टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया और म्यूनिसिपल बोर्ड एरियाज में दूसरी पार्टी मजबूत हो रही है। इन एरियाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनका फेवर हासिल करने के लिये इसमें देर की जा रही है लेकिन फिर भी सरकार ने अभी तक सर्वे नहीं कराया है। इसका कारण यही हो सकता है जो कि मैंने पहले बतलाया कि उन लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की गई। माननीय मंत्री जी ने कहा कि परती जमीन के बारे में उन्होंने सर्वे नहीं कराया है। पहले जब विधेयक इस सदन में पेश किया था, उस में था कि तालाब, सायर और परती जमीन उनसे नहीं ली जायगी और इनको जमींदारों के पास रहने दिया जायगा और खेती करने वाली जमीन ही उनसे ली जायगी। पहले विधेयक में इन सब बातों का साफ-साफ जिकर था। इस विधेयक में खेती करने वाली आराजी सरकार के पास ट्रान्सफर हो जायगी और तालाब, सायर का इसमें जिकर नहीं है। असल में वह भी जमींदारों से नहीं लिया जा रहा है। जैसा मौर्य जी ने कहा कि गांव सभाओं को जमीन दे दी गई थी, इसी तरह से अगर म्युनिसिपल बोर्ड्स को जिनमें बहुत से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स भी हैं, नोटीफाइड एरियाज हैं, अगर उनको परती जमीन दी जाय तो उन्हें प्लानिंग में बहुत सहूलियत होगी। आज उनको इम्प्रूवमेंट के लिये मोहल्ले के मोहल्ले गिराने नहीं पड़ते। लेकिन इसके पीछे कोई योजना है ही नहीं और न सर्वे हुआ है, इसलिये ऐसी बात यहां कही जाती है। द्वारका प्रसाद जी से मैं सहमत हूं कि शहरों में भी बहुतों ने १०० गुना और ५० गुना और २५ गुना लगान पर जमीन उठा दी। अगर यही रेट सरकार ने भी लेना शुरू कर दिया तो यह बड़ी भारी गलती होगी। माननीय मंत्री जी के पास कोई आंकड़े नहीं हैं कि कितनी जमीन है और उनको क्या करना है? मकान मालिकों की समस्या सदन के सामने स्वाभाविक तौर से आजाती है। जिस तरह से आपने देहातों में जमीन तोड़ी तो अब शहरों में ऐसे मकान मालिकों का क्या होगा जो हजारों रुपया किराये का वसूल करते हैं? हमारी पार्टी ने कहा है कि १,००० रुपये से ज्यादा किसी की आमदनी नहीं होनी चाहिये।

श्री चरण सिंह—कौन सी पार्टी?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—सोशलिस्ट पार्टी। यह सन् ३४ से काम कर रही है और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तो बाद में बनी है और उसने हमारे ही नारे अपनायें हैं।

तो अगर कोई आदमी सिर्फ किराये से ही १० हजार रुपया माहवार वसूल करता है तो क्या यह उचित नहीं होगा कि उसके लिये एक हजार रुपये माहवार के मकान छोड़ कर बाकी मकान ले कर म्युनिसिपल बोर्ड को या टाउन एरियाज को दे दिये जावें? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। दूसरी तरफ किरायेदारों की समस्या है।

श्री चरण सिंह—मुझे एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना है। वह यह है कि मकानों पर हकूक लेने के सिलसिले में बहस इस समय बेताल्लुक है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जैसे जमीन के मालिक को लैन्डलार्ड कहते हैं वैसे ही मकान के मालिक को भी लैन्डलार्ड कहते हैं। ऐसे भी मकान हैं जिनमें २५, ३० साल से किरायेदार रहते हैं और वे मकान की कीमत से कई गुना किराया दे चुके हैं, तो वे मकान किरायेदारों को दे देने चाहिये।

मुआवजा के बारे में काफी बहस हुई है। १९५० के ऐक्ट के मुताबिक़ हम नामीनल मुआविजा दे सकते थे। बाद में सेलेक्ट कमेटी बनी, जिसने १२ गुना किया और अब मंत्री जी ने १६ गुना मुआविजा तय किया। यह भी हमारी सरकार के लिये एक पहेली है। ४९७ में से केवल ११२ आदमी अपोजीशन के हैं और बाक़ी कांग्रेस पार्टी के हैं, तो जो ४, ५ बार विधान बदल दिया गया है तो मुआविजे के लिये भी विधान बदला जा सकता है। १८० करोड़ में से केवल २१ करोड़ रुपया सरकार वसूल कर सकी है और किसानों का लगान माफ नहीं किया गया। यह कौन सा न्याय है कि एक तरफ तो १२ आदमियों का परिवार जिसके पास २ बीघा जमीन नहीं हो और उस के बच्चे तक मजदूरी करें और दूसरी तरफ यह कि निजाम को हजारों रुपया रोज दिया जाय?

श्री चरण सिंह--फिर निजाम की बात आ गयी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--राजा साहब अयोध्या को ले लीजिये जिनको आप १५, २० लाख रुपये का मुआविजा देने की बात करेंगे। यह कौन सी दलील है कि मुआविजे के लिये कांग्रेस पार्टी विधान में परिवर्तन नहीं कर सकती, इसलिये इतना मुआविजा देना जरूरी है। परिवर्तन आपने किया भी तो यह कह दिया कि कोर्ट्स मुआविजा तय नहीं करेंगी? मैं तो समझता था कि माननीय मंत्री जी ४, ५ गुना रखेंगे लेकिन वह १२ गुने से भी १६ गुना हो गया। तो मैं ऐक्यूज करता हूं कांग्रेस पार्टी को कि वह दुरंगी नीति खेलती है और वह बड़े और मालदार आदमियों का फ़ेवर करती है और विधान की आड़ लेकर गरीब जनता को परेशान करती है। हम चाहते हैं कि छोटे जमींदारों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट दी जाय और एक योजना बनायी जाय ताकि सब के लिये रोटी और मकान की व्यवस्था हो। जब विधान सब के लिये एकसा है तो किसी के पास इतना अधिक धन नहीं होना चाहिये कि और लोग भूखों मरें और नंगे रहें।

इन शब्दों के साथ मैं यह तो चाहता ही हूं कि यह सिलेक्ट कमेटी में जाय लेकिन अगले इलेक्शन तक न टाला जा कर अगले नवम्बर में हमारे सामने उस की रिपोर्ट आ जानी चाहिये।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--मैं चाहता हूं कि मैं लाउड स्पीकर पर न बोलूं क्योंकि मुझसे कुछ दोस्तों ने कहा था कि इस पर वे मुझे ठीक समझ नहीं पाते हैं। मैं काफी जोर से बोलूंगा ताकि मुझे सब ठीक सुन सकें।

अधिष्ठाता--आप लाउड स्पीकर पर ही बोलिए। अब उम्मीद की जाती है कि आवाज ठीक आवेगी।

श्री जोरावर वर्मा--मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। माननीय शुक्ल जी माननीय मुख्य मंत्री के स्थान से बोल रहे हैं। तो क्या उनकी तरफ से भाषण दे रहे हैं?

श्री सीताराम शुक्ल--इतनी कम उम्र में आपको यह नहीं दिखलायी दिया कि माननीय मुख्य मंत्री का स्थान कहां है और मैं कहां से बोल रहा हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। क्या माननीय शुक्ल जी इस समय डिप्टी मिनिस्टर होने जा रहे हैं?

अधिष्ठाता--न वह डिप्टी मिनिस्टर और न मिनिस्टर होने जा रहे हैं। वह सिर्फ भाषण देना चाहते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---मेरी बात का सही जवाब आप ने दे दिया। मैं चीफ़ मिनिस्टर नहीं, लेकिन आप का दोस्त जरूर बनना चाहता हूं। इस बिल के सिलसिले में सब से पहले मैं माननीय मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक को पेश किया है। उसके साथ ही साथ मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी को भी धन्यवाद देता हूं।

श्री चरण सिंह---तो मेरा धन्यवाद वापस ले लो।

श्री सीताराम शुक्ल---आपने एक अच्छा बिल पेश किया है इसलिये आपको उसके लिये धन्यवाद दिया, और उन्होंने मुखालिफत अच्छी की इसलिये उनको मुबारिकबाद दी। गो कि विरोधी पार्टी के नेता माननीय गेंदा सिंह जी हैं लेकिन जो तहेदिल से मुखालिफत होती है वह कहां है? सोशलिस्ट पार्टी के लोग कहते हैं कि उनकी लाल टोपी उतर गयी है, अब वे कांग्रेस से सुलह करना चाहते हैं तब, जब कि दिल में मुहब्बत तो हो जबान से कहां तक लड़ाई हो सकती है। अपोजीशन का मजा ही जाता रहा। इसलिये माननीय त्रिपाठी जी का तहे-दिल से शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने कस के मुखालिफत किया और विरोधी वही है जो अधिक विरोध करे तथा मित्र वही है जो अधिक से अधिक सहायता करे।

अब मैं विषय पर आता हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब जमींदारों की हालत को देखा जाता है, उनके करेक्टर को उनके कामों को, देखा जाता है तो यही दिल में नहीं आता कि उनकी जमींदारी छीन ही ली जाय बल्कि यह भी दिल में आता है कि उनका सब कुछ छीन लिया जाय। जमींदारी जाने के बाद बहुत से जमींदार तो तकलीफ में पड़ गये लेकिन कुछ जमींदार ऐसे हैं जो ऐश कर रहे हैं। भले जमींदार घाटे में हैं और शरारती ऐश कर रहे हैं। धर्म और धर्मादा वगैरह के सिलसिले में कुछ सन्तों और महन्तों को जो मुआविजा मिला है उससे वे चैन की जिन्दगी बसर कर रहे हैं और भले साधू और फकीर तकलीफ में हैं। मगर लोग बुराई ही अधिक देखते हैं, भलाई कम लोग देखते हैं। इसलिये इस बिल के आने में कोई ताज्जुब नहीं है। यह सरकार तो सब की और बच्चे-बच्चे की भलाई करना चाहती है, कुछ जमींदारों से बदला लेने के लिये, उनको सताने के लिये यह बिल नहीं ला रही है। इससे वह लोगों की गरीबी को दूर करना चाहती है, विषमता को दूर करना चाहती है।

इसी के सिलसिले में इसमें जो लूप होल अर्थात् हानिप्रद बातें हैं उसके विषय में मैं हाउस और गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नीयत अच्छी होते हुये भी कहीं ऐसा न हो कि गरीबों को नुक्सान हो जाय। इसलिये इस पहलू की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रवर समिति में भी इस पर विचार होगा। अगर मेरी बात ठीक हो तो उस पर गौर फरमाया जाय। हमारे माननीय त्रिपाठी जी ने बहुत सी कमी को पूरा कर दिया। जहां तक किसानों की भलाई का ताल्लुक है जल्दी से जल्दी उनको आराम देने की कोशिश कीजिये, उसमें किसी को भी मतभेद नहीं हो सकता। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी उन लोगों में गजब की गरीबी है, आज भी वे तकलीफ की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। उनकी गरीबी दूर करने के लिये ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिये। लेकिन यह मैं आपसे अर्ज करता हूं कि विरोधियों को खुश करने के लिये आप कदम न बढ़ावें। जैसा त्रिपाठी जी ने कहा कि बहुत से काम बड़े बेढंगे तरीके से होते हैं, गलत तरीके से होते हैं, यह नहीं होना चाहिये, वह नहीं होना चाहिये क्योंकि विरोधी किसी सूरत से खुश नहीं हो सकते। उन्हें किसानों की भलाई करना मद्देनजर नहीं है, गरीबी दूर करना उनका उद्देश्य नहीं है बल्कि कुर्सी पर बैठना उनका उद्देश्य है। आप कुछ भी कीजिये, कोई सूरत निकाल कर उसका विरोध वे जरूर करेंगे। तो अगर आप उनकी बातों को इसलिये मानते जायेंगे कि उन्होंने कहा है कहीं पब्लिक की राय और ओपिनियन खिलाफ न हो जाय और हमारी कुर्सी कहीं छिन न जाय इसलिये उनकी सारी बातें आप मान लें, तो भी उनको संतोष नहीं होगा।

"न जातु कामः कामनामुपभोगेन शाम्यति।
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते॥

काम से काम की तृप्ति नहीं हुआ करती। आप यज्ञ करते हैं और उसमें जितनी आहुति आप डालेंगे अग्नि और तेज होती जायगी, बढ़ती जायगी। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप लोगों की बातों पर जरा गम्भीरतापूर्वक गौर करें। सब से पहले विरोधियों ने यह अवाज उठायी कि गांधी बड़े आदमी हैं, वह बिड़ला हाउस में जा कर ठहरते हैं, मोटर पर चलते हैं, वह जमींदारी को नहीं खत्म करा सकते। लेकिन अगर हम पावर में आ जायेंगे तो जमींदारी को नाश कर देंगे। सब्जबाग दिखलाये गये, मुल्क में किसान ज्यादा हैं, तो उन्होंने देख लिया कि जमींदारी टूट गयी लेकिन :—

"दिल भर के न देखा था कि होने लगी रुसवाई।"

हमने कहा कि हम जमींदारों को मुआविजा देंगे तो उसका भी विरोध होने लगा। आचार्य नरेन्द्र देव जी की अध्यक्षता में जो सब कमेटी बैठी थी उसने इस बात की सिफारिश की थी कि मुआविजा दिया जाय। लेकिन जब जमींदारी तोड़ दी गयी और मुआविजा दिया जाने लगा तो कहा जाने लगा कि वाह, यह क्या बात है कि जमींदारों को मुआविजा दिया जाय। इस बात की बड़ी मुखालिफत होने लगी कि मुआविजा देना मुनासिब नहीं है। एक फरमान यह निकला कि किसी के पास तीस एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिये। जब यह भी कर दिया जायगा तब फिर हमारे भाई फरमायेंगे कि मकान भी बटने चाहिये। उनकी मांग बढ़ती ही जायगी, क्योंकि असन्तोष बढ़ाना और यह आवाज लगाना तो बहुत आसान है, कि हम जाकर मजदूरों से कहें कि तुम्हारी मुनासिब मजदूरी इतनी है, इसलिये इतनी ही लेनी चाहिये। बहुत आसानी से इस बात को कहा जा सकता है कि ये जो पूंजीपति, मिल मालिक हैं ये ज्यादा पैसा पैदा करते हैं इसलिये इनसे तुमको ज्यादा मजदूरी लेनी चाहिये लेकिन यह कहना बहुत मुश्किल है कि जितनी मिल की आमदनी होगी उसी के हिसाब से मजदूरी मिलनी चाहिये। यह तो कहा जा सकता है कि ये जो मिल वाले और ज्यादा पैसे वाले हैं वे मजदूरों से ज्यादा पैसा पैदा करते हैं लेकिन उनको मजदूरी कम देते हैं। परन्तु कांग्रेस सरकार अपनी सरकार है, यह जो भी काम करती है खूब छान-बीन कर करती है लेकिन हुजूरवाला, माफ करें, मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि सिर्फ किसानों की भलाई ही उनका उद्देश्य नहीं है, वह तो सबकी भलाई करना चाहती है।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र ने एक लफ्ज भी अब तक जमींदारी एबालिशन बिल के ऊपर नहीं कहा है।

अधिष्ठाता—माननीय सदस्य से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप बिल के ऊपर ही भाषण दें तो अच्छा होगा बजाय इसके कि यहां पर कोई सरमन दिया जाय।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हुजूरवाला का ध्यान मुआविजे के सिलसिले में दिलाते हुए जो परती जमींनें पड़ी हुई हैं उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। इस पर मैं आऊं या नहीं? आप ने कुछ बातें अपनी तकरीर में कही हैं।

अधिष्ठाता—मुआविजे के ऊपर आप तकरीर करें लेकिन स्ट्राइक और महात्मा गांधी इन तमाम चीजों से तो अपनी तकरीर को बचा दीजिये।

श्री सीताराम शुक्ल—अगर महात्मा गांधी जी को छोड़ दिया जायगा तब तो मुल्क ही छट जायगा। महात्मा गांधी की बदौलत ही तो आप यहां की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि जो बटवारे की बात है.....।

श्री जगन्नाथ मल्ल—अमीनुद्दौला पार्क में शुक्ल जी की स्पीच हो तो अच्छा रहेगा।

श्री सीताराम शुक्ल—इसलिये मैं कहता हूं कि आज जितनी भी कोशिश उनको मनाने की करते जायंगे, उनकी मांग बढ़ती ही जायगी। जितना ही प्रयत्न विरोधियों को प्रसन्न

[श्री सीताराम शुक्ल]

करने की आप करेंगे उतना ही उनकी मांग बढ़ती जायगी क्योंकि दिमाग में तो है कुर्सी और जबान पर है संशोधन इसलिये इन लोगों में आपस में भी फूट पड़ती जा रही है। कल तक तो लोहिया साहब आप के साथ थे और आज वह आपको बुरा कहते हैं और आप लोग उनको बुरा कहते हैं, तो यह सब कुर्सी का झगड़ा है, वह सोशलिस्ट पैटर्न की बात करते हैं। जब वह खुश करने की.....

श्री चरण सिंह—आप बिल पर ही क्यों नहीं बोलते।

अधिष्ठाता—आप अगर चेयर को ही एड्रेस करें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री सीताराम शुक्ल—खुश करने की जितनी ही कोशिश करेंगे, मांगे बढ़ती जायंगी। देखना यह है कि मुनासिब क्या है, उचित क्या है? उचित काम से ही आप हाउस को और जनता को खुश रख सकते हैं और आप की हुकूमत बनी रह सकती है। यह जमींदारी विनाश मेजारिटी को खुश करने के लिये ही हुआ है। आपने देखा कि कितने ही मुकदमे हुए, कार्यवाहियां हुईं लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि फिर भी लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं। गोरखपुर में एलेक्शन हुआ और किसानों की ही मेजारिटी के वोट आपके खिलाफ गए। अभी वोट पड़े थे कानपुर में वहां भी मेजारिटी खिलाफ गयी। कहा जा सकता है कि उक्त स्थानों में हारे परन्तु कई स्थानों में जीते भी, परन्तु पहले तो जीते थे अब तो जीते जहां जीते, लेकिन जहां नहीं जीते कुछ स्थानों में विजय हुई, यह हवा का क्या रुख बतलाता है? इसलिये मेजारिटी को खुश करने की कोशिश के बजाय इंसाफ को खुश करने की कोशिश करना चाहिये। देखना चाहिये कि ठीक क्या है, उचित क्या है और हमें क्या करना चाहिये क्या नहीं करना चाहिये। चूंकि कागजात ठीक नहीं हैं इसलिये शहरों की पर्ती जमीनों को लेना ठीक न होगा, यह मुनासिब नहीं है। आपने कह दिया लेकिन इसका नतीजा यह होगा और मुकदमें चलेंगे, क्योंकि जब लोगों को मालूम होगा कि जमींनों के कागजात दुरुस्त नहीं हैं तो वे लोग दूसरों की जमीन पर कब्जा कर के अपनी जमीन बनाने की फिक्र में हो जायेंगे। इससे झगड़े बढ़ जायंगे और बदमाशों के दिल बढ़ जायंगे कि किसी मालिक का नाम तो कागज में है ही नहीं इससे कब्जा कर लो। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इसमें जल्दी न की जाय और थोड़ी और देर हो जाय तो हर्ज नहीं। जांच पड़ताल करायी जाय। जिनके पास मकान नहीं है उनकी जमींन छोड़ दी जाय, बाकी का ले लिया जाय। कहा जाता है कि अधिक मुआविजा देना पड़ेगा। देना पड़ेगा तो आपको दाम भी ज्यादा मिलेंगे। यह बात नहीं है कि अकारण अधिक मुआवजा ज्यादा देना पड़ेगा। अगर देना पड़ेगा तो उस जमीन के दाम भी तो आपको ज्यादा मिलेंगे। इसलिये जो जमीन पड़ती पड़ी है, जो खेती के काम की नहीं है उसको भी लेने की मेहरबानी फरमाई जाय। अगर उसके काजगात दुरुस्त नहीं हैं तो वह पहले ठीक कराये जायें और उसके बाद इस प्रश्न पर विचार किया जाय। आपने देखा कि नियत अच्छी थी, हमारी सरकार की नियत साफ थी, जमींदारों से पैसा लेकर खेती की तरक्की में, नहरें खुदवाने में और अपनी स्कीमों में लगाया। लेकिन उसमें भी काफी भूलचूक हुई और काफी पैसा ठेकेदारों वगैरह में बंट गया और वह नहरों और कुओं पर कम व्यय हुआ। जहां पर पैसा लगाने के लिये दिया जाता है वहां पर सरकार की इच्छा रहते हुए भी कम पहुंचता है। इसलिये ऐसी कोशिश न की जाय कि नियत ठीक होने के बावजूद सरकार जो चाहती है वह न हो पाये। पहले था कि किसान भी पैसा कमा कर धनी हो सकता था, वह भी मोटर पर चढ़ सकता था, लेकिन अब आपने ३० एकड़ की कैद लगा दी और आपने अब उसकी गरीबी की गारंटी कर दी कि तुम्हारे पास अब सफेद कपड़े न होंगे। जमींदारों के पास तो आज जमींदारियां चली जाने के बाद भी मोटरें हैं, बंगले हैं लेकिन काश्तकारों के लिये गारन्टी हो गई कि तुम्हारे पास मोटर नहीं हो सकती क्योंकि ३० एकड़ की खेती करने वाला किसान मोटर नहीं रख सकता

इसलिये मेहरबानी करके ऐसे काम न कीजिये कि नियत अच्छी होने के बाद भी काश्तकार को नुक्सान पहुंचे। किसी को दरिद्र बना कर तो विषमता मिटाना बहुत आसान काम है। गरीब बन कर तो आप विषमता मिटा सकते हैं लेकिन बेहतर तो यह है कि गरीब को धनी बना कर विषमता मिटाइये।

"नशा मिला कर गिराना तो सबको आता है।
मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी।"

आप का उद्देश्य है गरीबों को धनी बनाना। तो कोशिश कीजिये कि जो नंगे पैर हैं उनको पहनने के लिये जूते मिलें और जो जूते पहने हुये हैं उनको साइकिलें मिल जायं। मेरा तो निवेदन यह है कि मेहरबानी करके ठंडे दिल से गौर फरमाइये। अगर आप सही प्रचार करें तो गलतफहमी से डरने की जरूरत नहीं कि मुनासिब मुआवजा भी क्यों दिया जा रहा है। आप शहरों में जमींदारी तोड़िये और केवल मजलूआ नहीं, सब लीजिये लेकिन जो मुनासिब मुआविजा हो वह दीजिये। ऐसा नहीं कि जैसा आज हो रहा है। जहां मैंने कुछ जमींदारों की शिकायत की कि मुआवजे का वे ऐसा दुरुपयोग और मिसयूज करते हैं वहां दूसरी तरफ उनके कष्ट भी सुन लीजिये। इसी दारुल शफा में एक साहब आये और कहा कि नौकरी लगा दो बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने कहा भाई मैं तो सिफारिश करता नहीं मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, तुमको काम मिल जायगा। वे बोले सीताराम! सुन लो और कान खोल कर सुन लो। मैं परेशान हूं मैं बे टिकट ट्रेन पर जाकर बैठूंगा रास्ते में पकड़ा जाऊंगा और जेल पहुंच जाऊंगा वहां पर तो खाना मिलेगा लेकिन इसमें सरकार की बदनामी होगी। तुम सरकार के एक पुर्जे हो कोशिश करो और वह व्यक्ति कौन था? वह था जिसने कांग्रेस को मंगनी मोटर दी थी उस वक्त, जब कि उनको किराये की सवारी पर बैठना भी अंग्रेज सरकार ने रोक दिया था। रायबरेली की बात है सन् १९३२ की उसने दे दी मोटर और जब एस० पी० ने पूछा कि तुमने मोटर दे दी तो उसने कहा नहीं मैंने तो फलां के हाथ बेंच डाली। इस तरह से हमारी हेल्प और सहायता करने वालों की हालत आज है। इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि मुनासिब मुआविजा दीजिये।

एक सदस्य—कितना?

श्री सीताराम शुक्ल—इतना कि जिसमें वे सफेद कपड़े पहने रह सकें, मैं तो त्रिपाठी जी की बात से सहमत हूं कि जिनके पास ज्यादा पैसा है.....

श्री गेंदा सिंह—तो आप त्रिपाठी जी के साथ चल रहे हैं?

श्री सीताराम शुक्ल—जो तेज चलता है उस के साथ जायं या आप के। तो अर्ज कर रहा हूं कि जमींदारी दो तरह से छीनी जा सकती है। एक तो इन पैसे वालों के जिम्मे अवैतनिक काम कर दीजिये। अगर ये आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाये जा सकते हैं तो आनरेरी मुंसिफ, जज, प्लानिंग अफसर भी बन सकते हैं जो कि आप का बहुत सा काम कर सकते हैं। उन लोगों से भी अच्छा जो लोग कि तनख्वाह लेकर के करते हैं। क्योंकि कुछ लोग रोटी के लिये नौकरी करते हैं और वे लोग कागजी खानापूरी कर के फर्जी काम करते हैं और दस्तखत कागजों पर हो जाते हैं। आप अवैतनिक अफसर बना कर उनसे कहिये कि तुम इतना इतना फलां फलां काम कर दो। वहां के किसी पैसे वाले को तहसीलदार बनाइये, किसी को सब इन्स-पेक्टर बनाइये तो मैं कहता हूं कि वह इस पैसे पर फर्जी काम करने वालों से अच्छा बहुत अच्छा काम करेंगे और अगर ऐसे लोग नहीं मिलते हैं तो उन पर सरकार टैक्स भी लगा सकती है। जितना चाहे, हजार दो हजार, लाख दस लाख आप तय कर लीजिये और फिर उसके ऊपर सब आय ले लीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई मुखालिफत नहीं है, लेकिन जिन्होंने दिल खोल कर काम किया है, मदद दी है और आज भी सहायता दे रहे हैं आप उनको कैसे भूल

[श्री सीताराम शुक्ल]

जाते हैं। भला राजा महेन्द्र प्रताप जी को कौन बुरा कहेगा। उनके आज-कल के फैसले गलत हो रहे हैं यह हो सकता है, लेकिन यह भूला नहीं जा सकता कि यह वही जमींदार राजा है जिसने २७ हजार रुपया प्रति-वर्ष आय की जमींदारी एक दिन देश के हित में दान कर दी थी। इस वक्त आप कह सकते हैं कि राजा महेन्द्र प्रताप क्या कह रहे हैं, जात-पात का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और वह जज्बात उभाड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी भारी कुर्बानी की है। ३१ साल मुल्क के बाहर रहे और जब आये तो आज पैसा नहीं रहा, जमींदारी न रही। संस्कृत का श्लोक है कि :--

"तानीन्द्रियाण्य विकलानि देव नाम, सा बुद्धिप्रतिहता वचनं यदेव।
अर्थोष्णाविरहितः पुरुष स एव अन्यक्षणेन भवतीति विचित्रमंतत्।

वही इंद्रियां, वही अच्छी बुद्धि, वही आदमी और वही खून लेकिन जब पैसे की गर्मी नहीं रहती तो एक क्षण में क्या से क्या हो जाता है? इसलिये गलतियां होती हैं। अतः मेरी गुजारिश है जो भले आदमी हैं, पैसे वाला है जैसे घनश्यामदास बिड़ला या जमुनालाल बजाज। क्या उनकी आप मुखालिफत करेंगे? कोई जेल गया, किसी ने जुर्माना दिया, किसी ने वोट दिया, किसी ने पैसा दिया, किसी ने मशविरा दिया और इन सारी ताक़तों ने मिल कर आजादी हासिल की। बन्दूक की गोली चली और शेर मार दिया तो क्या केवल उस गोली ने शेर को मार दिया है? शेर को मारा है, हरगिज नहीं क्योंकि यदि बारूद न होती तो गोली चलती ही नहीं और शेर मरता ही नहीं। इसलिये देश भक्तों ने गोली का काम किया और उनके सहायकों ने बारूद का काम किया है।

श्री जोरावर वर्मा—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। माननीय सदस्य अपनी आत्मकथा कह रहे हैं या इस बिल पर बोल रहे हैं।

अधिष्ठाता—(श्री सीताराम शुक्ल से) आप जारी रक्खें।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं अपने भाइयों की बात बतला रहा हूं, जिन्होंने कुर्बानी की, जब शायद आप पैदा भी नहीं हुये थे जिनकी बदौलत आज तिरंगा झंडा फहरा रहा है। ऐसे देशभक्तों की सहायता होनी चाहिये किन्तु जो खुदगर्ज हैं, ऐश पसन्द हैं उनका पैसा जितना हो जल्दी छीनना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, हमारे प्रदेश में जब से जमींदारी के खात्मे की बातचीत चली तब से लोगों की यह मांग हुई कि देहाती और शहरी दोनों रकबों की जमींदारी खत्म की जाय और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा देहात का जमींदारी कानून तो बहुत पहले पास हुआ लेकिन नागर क्षेत्र जमींदारी का एक बिल सन् ५० में इस सदन में पेश किया गया था और कुछ कठिनाइयां उनके सामने थीं जिससे ५ साल बीत जाने के बावजूद भी वह बिल आजतक पास न हो सका। इसलिये यह दूसरा बिल उन्होंने इस सदन के सामने पेश किया है उसके लिये मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं लेकिन मुझे दुःख है कि जो आशायें लोगों को थीं, इस बिल को पढ़ने के बाद मैं देखता हूं कि कुछ उसमें कमी रहती है। हमने जब देहात की जमींदारी खत्म की तो उसके साथ-साथ जमींदार के पास जितनी भी बंजर भूमि थी जो उसकी काश्त में नहीं थी उस सबकी मिल्कियत सरकार के पास आई, मगर इस बिल के अन्दर हम देखते हैं कि वह जमीन जो खेती के अन्दर नहीं है उसको छुआ तक नहीं गया। इससे साफ जाहिर है कि इस कानून के अन्दर इतना अन्तर तो है ही। इस अन्तर की क्या वजह है इसको बताते हुए माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि एक वजह तो यह है कि हमारे पास लैंड रेकार्ड्स नहीं है। सन् ३२ के बाद इन हिस्सों में कोई सेटिलमेंट नहीं

हुआ। दूसरे इनकी कीमतें बहुत हैं और दिक्कत यह है कि हर जिले, हर तहसील में जमीन की कीमत में काफी अन्तर है और भिन्नता है। मैं नहीं जानता कि यह दलील कहां तक उचित है पर यदि यह मान लिया जाय कि देहात के अन्दर जो बंजर जमीन है उसकी कीमत खेती की जो जमीन है उससे कम है और यहां पर जो परती भूमि है उसकी कीमत जो कृषि के अन्तर्गत जमीन है उससे अधिक है। अगर हम इसको मान भी लें, तो मान्यवर, जहां तक मुझको याद पड़ता है उस जमींदारी अबालिशन के कानून के अन्दर सिद्धान्त यह था कि जिस जमीन में जमींदार का हक नहीं है या जिससे वह कुछ उत्पादन नहीं करता उसको रखने का उसको कोई अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि यह सिद्धान्त वहां ठीक था तो कोई वजह नहीं है कि वह सिद्धान्त नागर क्षेत्रों के लिए ठीक न हो। यदि यह कहा जाय चूंकि इसकी कीमत ज्यादा है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जब हमारे सामने एक सोशलिस्ट पैटर्न का ध्येय है तो हमको इस बात को आज तय करना है कि क्या जो कीमती चीजें लोगों के स्वामित्व में हैं उनको हम ले लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। सवाल उठता है कि अगर आप कीमती चीजों को लेते हैं तो आपको ज्यादा कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। लेकिन जो अभी आपके विधान में संशोधन हुआ उसके अन्दर कोई उन्होंने कम्पेन्सेशन का स्टैंडर्ड नियत नहीं किया है। उसमें यह है कि आप जो चीज लेंगे उसका कम्पेन्सेशन आपको देना चाहिए। ठीक भी है, लेकिन यह मुआविजा क्या होगा यह राज्य विधान सभा या केन्द्र की जो पार्लियामेंट है उसको इस बात का अधिकार होगा कि वह इस बात का निर्णय करे कि क्या उचित कम्पेन्सेशन होगा। इसलिए मुझको इसमें कोई कठिनाई दिखायी नहीं पड़ती।

दूसरी दिक्कत मुझको यह दिखायी पड़ती है कि आपने इस बिल में लिखा है कि कृषि भूमि तथा परती भूमि का डेमार्केशन होगा यानी खेती के अन्दर जो जमीन है और जो खेती के अन्दर नहीं है उसको माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि उसके अन्दर बड़ी कठिनाई का सामना होगा। आपने इसमें लिखा है कि रेकार्ड आफ राइट्स जो होगा वह यूनाइटेड प्राविन्सेज लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत होगा। जैसा अभी माननीय रामलखन जी ने संकेत किया था इसका मतलब यह है कि रेवेन्यू कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन होगा वह उसको कर सकती है। लेकिन उसके साथ-साथ जैसा कि उन्होंने बताया भी कि हाईकोर्ट की कुछ ऐसी रूलिंग्ज हैं कि आबादी के अन्दर सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन होता है और रेवेन्यू कोर्ट्स का नहीं होता है। वजह उसकी यह है कि उसकी भूमि की डेफीनीशन में आबादी नहीं आती। इसलिए जैसा कि उन्होंने बताया इसमें विधि और विधान की दिक्कत है और वह हमारे सामने आयेंगी। दूसरी चीज यह भी है कि जब आपके पास कोई रेकार्ड्स नहीं है तब अगर जमींदारों ने जो चालाकियां की हैं तो आज इस स्टेज पर यह मालूम करना कि कौन सी जमीन अन-कल्टीवेटेड है और कौन सी कल्टीवेटेड है यह बड़ा मुश्किल है। जब कि देहातों में सेटिलमेंट आपरेशंस चलते रहते हैं। लगातार कुछ पीरियड के बाद, उसमें कुछ न कुछ गलतियां निकलती रहती हैं, इसको हम मानते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि २३ साल से जिसका कोई सेटिलमेंट न हुआ हो, उसमें बहुत काफी दिक्कत पेश आयेगी और मुझे अन्देशा है कि जमींदार साहबान अपनी चालाकी से उन जमीनों के अगर कुछ शिकमी हों भी तब भी वह पटवारी से मिल गये होंगे और उनका कोई रेकार्ड नहीं रखा गया होगा, मुझे पूरा अन्देशा है कि वह सब जमीनें अनकल्टीवेटेड लैण्ड के अन्दर शामिल कर दी जायंगी। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

दूसरी चीज बाजार के सम्बन्ध में है। देहाती क्षेत्रों में जो बाजार बाग में नहीं आते थे या जो भूमिधरी में नहीं थे उनको आपने गांव समाज में वेस्ट किया। आज हम जानते हैं कि टाउन एरियाज में, नोटिफाइड एरियाज में और म्यूनिसिपैलिटीज में बड़ी-बड़ी बाजारें लगती हैं जिनकी हजारों रुपये की आमदनी होती है और बहुत

[श्री नवलकिशोर]

मुमकिन है कि उनका इन्दराज अनकल्टीवेटेड लैण्ड में आ जाय और जब आ जायगा तब तो आप उनको छू नहीं सकते। तो यह कठिनाई स्पष्ट दिखायी पड़ती है। देहात में जो जमींदार थे उनके बाजार आपने ले लिये और गांव समाज या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिये। लेकिन यह वही चीज शहरों में छूट जाती है। इसके अलावा एक और कमी सामने आती है। हमारे सामने हाउसिंग प्राब्लम है। हम जानते हैं यह बड़ी भारी दिक्कत घरों और मकानों की हमारे सामने है। यदि सरकार ने अनकल्टीवेटेड लैण्ड के अन्दर अपनी प्रोप्राइटरशिप बनायी होती जैसा कि कल्टीवेटेड लैण्ड के अन्दर रखी है तब इस बिल के अन्दर यह आशा की जा सकती थी कि वह जमीनें सरकार कोआपरेटिव बेसिस पर या इंडिविजुअल्स को उचित कीमत पर दे देती और मकानात बन जाते और जो हमारी हाउसिंग प्राब्लम है कुछ हद तक आसानी से हल हो जाती। अब अगर इसमें यह छूट दे दी कि जो कीमत चाहे जमींदार ले सकता है, तो अगर डिमांड और सप्लाई की बात आप मानें तो काफी कीमतें बढ़ सकती हैं। इसलिए हम जो चाहते हैं कि मध्यम तथा निम्नश्रेणी के लोगों को मकानात उचित कीमतों पर मिलें तो उसके लिए आवश्यक है कि आपको अनकल्टीवेटेड लैंड्स भी जमींदारों से ले लेनी चाहिये। माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में यह कहा कि हमारी नीति ऐसी है और इच्छा होते हुए भी चूंकि हमारे सामने कठिनाइयां थीं, इसलिए ऐसा नहीं किया और यदि कोई माननीय सदस्य कोई ऐसी बात उनको बता सकें या सुझाव दे सकें जिससे कि वह ऐसा कर सकें तो वह शायद तैयार हो जायंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया। तो मैं भी आप से यह बात माने लेता हूं कि मेरे पास भी इसका कोई रेडीमेड साल्युशन तो है नहीं जो मैं आपके सामने दे दूं, लेकिन मैंने आपके द्वारा उनका ध्यान इस ओर इस आशा से आकर्षित किया कि जब कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जाय तब वह और हमारे वह साथी जो उसमें हों वह इस ओर अपना ध्यान दें।

एक चीज इस सम्बन्ध में मुझे कम्पेन्सेशन की बाबत कहनी है। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि वह उसूलन तो कम्पेन्सेशन को ठीक नहीं समझते, मैं मान्यवर, उसूलन कम्पेन्सेशन को देना ठीक समझता हूं। एक चीज जरूर महसूस करता हूं कि यह जो १६ टाइम्स नेट असेट के ऊपर वाली बात है सो यह अधिक रखा गया है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि देहात के अन्दर ८ से २८ गुना तक रखा गया है, मगर यहां १६ गुना रखा है। तो ढाई सौ से पांच सौ रुपये तक की मालगुजारी के जो जमींदार थे उनको तो १६ टाइम्स दिया गया है।

श्री चरण सिंह---नहीं, १८ टाइम्स है इसमें।

श्री नवल किशोर---खैर, १८ गुना दिया गया है, मगर उससे अधिक मालगुजारी के जो थे उनको १६ गुना दिया और उससे अधिक को उससे कम बैठा। मगर आपने यहां १६ गुना रखा है, छोटे को भी और बड़े को भी। एक कठिनाई भी है, इसमें ग्रेडेशन में आपको दिक्कत भी पड़ती। यह भी ठीक है कि जो अरबन एरियाज के अन्दर जमीनें हैं उनकी कीमत अधिक रहती है बमुकाबिले उन जमीनों के जो कि देहात के अन्दर होती हैं। यह भी कुछ हद तक ठीक है कि जो जमीनें म्युनिसिपल एरियाज में होती हैं उनमें कैश क्राप, तम्बाकू, गन्ना वगैरह काफी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ऐसा विचार है और सम्मति है कि अगर आप इस कम्पेन्सेशन को कुछ और कम कर सकें तो वह ज्यादा उचित और इक्विटेबिल होगा।

इन शब्दों के साथ और अधिक न कह कर मैं माननीय मंत्री जी का जो प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय, उसका समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रातःकाल से मैं इस सदन के विरोधी दल के नेता को और सोशलिस्ट पार्टी के लीडर को और अपने हाउस के आनरेबिल मेम्बरों को सुनता रहा, लेकिन आज मैंने माननीय गेंदा सिंह जी को इंडाईरेक्ट में जमींदारों की वकालत करते हुए देखा जो कि शहर में बसते हैं। चेयरमैन महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं कि आज भी शहरों में, जैसा कि आपने फरमाया कि शहर में कोई बेगार वगैरह नहीं ली जाती, आज भी हमारे शहर में ६ पैसे दिन पर काम लिया जा रहा है। मैं उन माननीय जमींदार साहब का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐश्योर्ड हूं और हाउस को एश्योरेंस देता हूं कि आज भी ६ पैसे रोज पर बेगार और काम लिया जा रहा है।

श्री गेंदा सिंह--नाम लेने में क्या हर्ज है? मुकदमा चले उनके ऊपर।

श्री शिवनारायण--मान्यवर मैं कहता हूं कि वहां पर, हाउसिंग प्राब्लम इज बेरी अक्यूट। इट कैन बी साल्व्ड बाई ऐबालिशिंग लैंडलार्डिज्म इन टोटो"। तो जमींदारी "इन टोटो" अबालिश होनी चाहिये, वैसा नहीं हो रहा है। आपका कानून मौजूद है इस प्रान्त में, जिसमें हमने ५ करोड़ तक की आबादी की जमीन की जमींदारी को एबालिश किया है। अगर आप उन परती जमीनों की जमींदारी एबालिश नहीं करना चाहते हैं तो इस बिल की कोई जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसी जमींदारी एबालिशन बिल से जो हमारे सूबे में पहले से लागू है, उसी से यह सब भी एबालिश की जा सकती थी और आप शहरों की खाली जमीन को यों ही पड़ा रहने दीजिये। अध्यक्ष महोदय, माननीय सीताराम जी शुक्ल ने ठीक ही कहा कि सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिये। गांव के जमींदार जो थे वे तो आपकी बेगार करते थे और शहरों में तो उनके पास बिजनेस है, थियेटर है, कम्पनी भी चल रही है और जमींदारी भी है। आज म्युनिसिपैलिटी अपना टैक्स भी लेती है और जमींदार का डंडा भी चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल जो सिलेक्ट कमेटी में जा रहा है इस सम्बन्ध में, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तीन मर्तबा यह जो वापस हुआ इसको ध्यान में रख कर वह ऐसे मेम्बर कमेटी में रखें, कि जो स्टडी करते हों, उन्हीं पहले वाले मेम्बरों को न लें। ऐसे मेम्बरों को रखें कि जो कानून में वास्तव में सहयोग दे सकें, उसकी जो मान्यता है उसे पूरा करा सकें। यह बिल जो इस प्रकार बारबार यहां से आता और जाता है इससे हाउस की बदनामी होती है।

मैं पुनः मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज शहर के लोग इन्तजाम कर रहे हैं, जो गरीब झोपड़ियों में बस रहे हैं, जो किराये के मकानों में रह रहे हैं और जितना उस मकान का दाम है उससे ज्यादा किराया दे चुके हैं, वह इन्तजाम कर रहे हैं, लेकिन जमींदार का डंडा चल रहा है। मैं रोज शहरों में देखता हूं। मेरे यहां एक रामदेव साहू हैं, उनके मकान के पास एक खंडहर मिला हुआ है। वह कहते हैं कि वहां रात को, आपकी इजाजत से मैं अर्ज करूंगा, चोर और लुच्चे बसते हैं, शराब और ताड़ी पीते हैं और वहां क्या-क्या नहीं होता। तो मैं यह कहूंगा कि सरकार इसको अपने हाथ में ले ले। अपने पंजे को काफी मजबूत करे तो बड़ा सुन्दर हो जाय और इससे हमारे शहरों में जो गरीबों का एक बड़ा प्राबलम् है वह हल हो जायगा। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि बस्ती में करुआर बाबा के स्थान पर हरिजनों की बस्ती सड़क पर है, लेकिन वहां जमींदार का डंडा रोज चलता है कि आज तुम्हें हटा दिया जायगा, कल हटा दिया जायगा। मैं उन्हें आश्वासन देता रहा हूं कि शीघ्रातिशीघ्र चौधरी चरण सिंह की कृपा होगी और शहरों में भी एबालिशन होगा। वह स्वाती नक्षत्र के बूंद की तरह से इन्तजार कर रहे हैं। "यहि आश अटक्यों रह्यो, अलि गुलाब के मूल। ह्वै हैं फेर बसन्त ऋतु इन डारन वे फूल।" लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी यह आशा पूरी होने वाली

[श्री शिवनारायण]

नहीं है। आपके जो पटवारी हैं उनके खातों में कितनी ही जमीन ऐसी परती लिखी हुई हैं कि जिन पर खेती लहलहा रही है। आप फरमा रहे हैं कि हमारे यहां रेकार्डिंग नहीं है, मैं कहता हूं कि शहरों में एक-एक गरीब के यहां भी रसीदें मौजूद हैं। मैं माननीय माल मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि सरकारी अफसरों ने ठीक आंकड़े नहीं दिये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको जो अपनी जमीन की पैमाइश करनी है, नाप करनी है उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर सरकार चाहे तो यह काम आसानी से हल हो सकता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार सचेत रहे तो यह काम हो सकता है, आसानी से पूरा हो सकता है। यह सरकार सोशलिस्ट पार्टी और पी० एस० पी० के लोगों को चौराहे पर ढोल पीटने से रोक सकती है और उनकी यह जुमलेबाजी को व्यर्थ कर सकती है। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि अगला इलेक्शन आने के पहले हम इसको एबालिश कर लेंगे। यह मैं समझता हूं कि १५ दिन के अन्दर सिलेक्ट कमेटी से ठीक होकर आ जायगा और मैं समझता हूं कि नवम्बर के महीने में हम इसको पास कर लेंगे और फिर इसको हम पास करके जल्दी ही शहरों में लागू कर सकेंगे।

अन्त में मैं अपने मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि एक बड़ी चीज जिस पर लोग आशा लगाये हुए थे वह इस सदन के सामने लाये। ३ साल और ५ साल की शिकायत लोगों को है परन्तु काम बहुत ज्यादा है, देश में और बहुत से काम करने हैं। लेकिन जब यह पास हो जायगा तो अगली पंच वर्षीय योजना में शहरों में भी बहुत काफी डेवलपमेंट हो जायगा।

१६ गुना मुआविजा की बाबत मैं यह कहना चाहता हूं कि एक सी चीज होनी चाहिये, यह नहीं कि शहर के लिये कुछ और गांव के लिये कुछ। टोडरमल ने और शेरशाह ने भी इस मुल्क में बड़े इन्तजाम किये। उनके विषय में रिकर्ड मौजूद हैं और माल मंत्री जी उनको भी पढ़ सकते हैं। जहां तक मुआविजे का सम्बन्ध है तो वह तो विधान की २३वीं धारा के अनुसार हम किसी की जायदाद बिना कम्पेन्सेशन दिये ले ही नहीं सकते। जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उसका एक विधान है, हम बिना किसी विधान के नहीं हैं। हम अपने विधान के मातहत काम कर रहे हैं। लेकिन उचित व्यवस्था होनी चाहिये जिससे सरकार की बदनामी न हो। राजप्रमुख तक को हम हटा रहे हैं। उधर वाले कहते हैं कि वाह साहब, आप हटाते नहीं हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट की चाल स्नेल की है, वह उतावली नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली हालत नहीं लाना चाहती कि इस देश में बलवा हो। अधिष्ठाता महोदय, आप भी एक बड़े घर से आये हैं। आप जानते हैं कि हमने सब जमींदारों को उसकाया नहीं। जब सब ने कहा, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, नेहरू जी और पन्त जी ने कहा कि जमींदारी खत्म हो कर रहेगी तब इस गवर्नमेंन्ट ने जमींदारी खत्म की और ८ अगस्त, सन् ४७ के बजाय सन् १९५२ में पास किया। मैं उसका जवाब अपने विरोधियों को दे रहा हूं जिन्होंने कहा कि ५ साल में यह बिल लाये हैं। इसलिये लाये हैं कि लोगों का विरोध शांत हो जाय और जब विधेयक इस सदन में आये तो खट से पास हो जाय। यह कोई घपले की नीति नहीं है, हमारी नीति बहुत साफ है, हम शान्तिमय ढंग चाहते हैं, देश में बगावत नहीं उत्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि हमको प्रोग्रेस करना है। हिन्दुस्तान आज शान्ति का मन्त्र दुनिया को दे रहा है। मैं चाहता हूं कि जब हमारा बिल सिलेक्ट कमेटी से आये तो बहुत सुन्दर आये। हम अपने लीगल एडवाइजर्स से कहना चाहते हैं कि वे ऐसा बिल बनायें जिससे स्टेट गवर्नमेंट और उनकी इज्जत हो। जैसे गेंदासिंह जी जब बोल रहे थे तो वह राजा साहब की तरफ देख रहे थे लेकिन वह थे नहीं तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप तेज प्रताप जी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वे हाई कोर्ट जायंगे। लेकिन हाईकोर्ट जाकर क्या करेंगे ? मैं तो अपने लीगल एडवाइजर्स से कहना चाहता हूं कि नाप तौल कर ऐसा बिल

बनाया जाय कि जिससे कोई गड़बड़ी न हो सके। अन्त में मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि फुल एबालिशन होना चाहिये वरना नेकनामी नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाय और वहां से ठीक हो कर आये।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज माननीय मंत्री जी ने जब यह प्रस्ताव रखा कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय और उस सम्बन्ध में जो भाषण दिया तो मुझे उनके भाषण से बड़ी निराशा हुई क्योंकि उनका भाषण आज ऐसा मालूम हुआ कि उनका हृदय उस भाषण के साथ नहीं है। एसा मालूम पड़ता था कि वे स्वयं ही निश्चित नहीं हैं कि यह बिल कहां जाय। अगर वह कहीं यह बता दिये होते कि हम इन कारणों से सिलेक्ट कमेटी को यह बिल भेजना चाहते हैं तो अधिक अच्छा होता और मैं समझता हूं कि लोग इसमें अधिक समय नहीं लेते।

अधिष्ठाता महोदय, अगर इस बिल के 'शीर्षक' को पढ़ा जाय और 'उद्देश्य और कारणों' को पढ़ा जाय तो पूर्व और पश्चिम की बात मालूम होती है। जैसा कि थोड़ा सा संकेत 'मिश्र जी' ने किया था कि इसका शीर्षक उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिये था। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस बिल के शीर्षक और उद्देश्य को पढ़ना चाहता हूं कि शीर्षक में क्या है और उद्देश्य में क्या है ? माननीय मंत्री जी ने स्वयं दबी जबान से अपना भाषण दिया, क्योंकि उन्हें स्वयं निश्चित नहीं था कि यह नागर क्षेत्र जमींदारी का बिल है या नहीं। इसका शीर्षक है कि "उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५" अब मैं उद्देश्य के दूसरे खंड की पांचवीं लाइन के बाद पढ़ना चाहता हूं और वह इस प्रकार है "जिन क्षेत्रों में भवन बने हुए हैं अथवा जहां खेती नहीं की जाती उन क्षेत्रों के कब्जे अथवा अधिकारों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना इस विधेयक का उद्देश्य नहीं है। ऐसे पट्टेदारों की कठिनाइयां दूर करने के लिये जिन्होंने भवन निर्माण के लिये किसी दिनांक विशेष के पश्चात् भूमि के पट्टे लिये हैं किन्तु जिन्होंने उस भूमि को कृषि प्रयोजनों के लिये अस्थायी रूप से उठा दिया है, विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे पट्टेदार अपने शिकमी काश्तकार को बेदखल कर सकेंगे और भवन निर्माण के लिये भूमि का उपयोग कर सकेंगे।"

अधिष्ठाता महोदय, समझ में नहीं आता कि आखिर इस उद्देश्य का क्या मतलब है। जो देहाती जमींदार थे और जो शहरी जमींदार हैं तो यह सौतेली माता का सा व्यवहार क्यों है ? वहां पर देहात में जो चाहे मौरूसी काश्तकार हो, चाहे शिकमी हो, अगर कोई दूसरा काश्तकार उसकी भूमि पर काश्त करने लगा है और उसका कब्जा है तो उसको यह अधिकार दे दिया गया है कि वह सीरदार होगा और इसके लिये एक दिनांक भी निश्चित किया गया है। लेकिन इस बिल में मंत्री जी ने मन्तव्य साफ कर दिया है कि अगर किसी आदमी ने भूमि को पट्टे पर लिया है मकान बनाने के लिये और किसी दूसरे को अस्थायी तौर पर कृषि के लिये दे दिया है तो उसे अधिकार होगा कि उससे वह भूमि छीन ले। मैं पूंछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है ? कम से कम दो दृष्टियों से देहात और शहरों को क्यों देखा जा रहा है ? मैं समझता हूं कि इस प्रकार की नीति देश में या प्रदेश में कम से कम एक भावना को चरितार्थ नहीं कर सकेगी बल्कि दो प्रकार की नीतियां मालूम पड़ती हैं और इसे देश के लिये अच्छा नहीं कहा जा सकता है।

माननीय मंत्री जी ने अपनी मजबूरी दिखाई है कि इसको जल्दी क्यों नहीं ला सके। उन्होंने बतलाया कि सन् १९३२ में कुछ ऐसा होने वाला था कि शहरों में सेटिलमेंट नहीं होगा। इस कारण रिकार्ड्स ठीक नहीं हैं। यह बिल १९५० में आया था और अब ५ वर्ष तक यह बिल के ही रूप में है और मैं समझता हूं कि यदि मंत्री जी की ऐसी ही कृपा दृष्टि रही तो १९६० के पहले यह बिल पास नहीं हो सकेगा। इस प्रकार की भ्रामक पालिसी से यह समझ में नहीं आ सकता है कि आखिर हमारी सरकार का या मंत्री जी का इसे प्रवर समिति में देने का उद्देश्य क्या है ? क्या वह चाहते हैं कि

[श्री जोरावर वर्मा]

प्रवर समिति इसे सौंप कर जैसा कि १९५० में हुआ था, उसी प्रकार से सुपुर्द कर दिया जाय और जब दूसरा इलेक्शन आये तब इसको सदन के सामने लाया जाय, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें उन्होंने कोई समय नहीं रखा है कि दो महीनों में या १९५५ में या १९५६ के शुरू में प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर सके। इसलिये यह चीज संदेहपूर्ण है। वास्तव में इसका क्या अर्थ है? इतनी खोजबीन करने के बाद भी वह इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाये कि रिकार्ड ठीक हासिल हो सकता है या नहीं।

अधिष्ठाता महोदय, मुझे तो यही मालूम होता है कि "खोदा पहाड़ निकली चुहिया।" सन् १९४६ में कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी थी और जब देहाती क्षेत्रों की जमींदारी के विनाश का प्रश्न आया था तो उसी समय नागर क्षेत्र की जमींदारी के सम्बन्ध में भी प्रबन्ध कर देना चाहिये था कि रिकार्ड अगर ठीक नहीं है तो वह दुरुस्त किये जायं। जब माननीय मंत्री जी २०-२२ हजार पटवारियों को इसलिये अलग कर सकते हैं कि उन्होंने अपना काम बन्द कर दिया या गलत रिकार्ड बनाये तो क्या वह यह व्यवस्था नहीं कर सकते थे कि शहरों की तादाद जो इने गिने हैं उनके रिकार्ड को शीघ्र तैयार कराया जाय? सन् १९४६ में वह यहां आये थे और अब सन् १९५६ आ रहा है। इस १० साल के दौरान में वह रिकार्ड तैयार करा सकते थे, लेकिन हमारी सरकार इस मामले में उदासीन है। या यह हो सकता है कि जैसा कि शुक्ल जी ने कहा कि सरकार अब कुछ ऐसे काम कर रही है जिससे कानपुर और गोरखपुर के एलेक्शन में हार गयी है। वह यह समझती है कि कहीं ऐसा न हो कि शहरों में कांग्रेस के खिलाफ वातावरण तैयार हो जाय। इसलिये वह इस कानून में संशोधन नहीं लाना चाहती है और इसी वजह से इस बिल को पास करने में विलम्ब कर रही है। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर यह हुआ क्यों? यह सरकार की उदासीनता है जिसमें सिवाय इसके और कोई बात नहीं हो सकती है। हम इस बात को समझते हैं कि जो सरकार कम से कम समय में, थोड़े समय में बहुत बड़े-बड़े काम कर सकती है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का प्रबन्ध कर सकती है, वह इने गिने शहरों के रिकार्ड तैयार न कराये तो यह एक हास्यास्पद बात मालूम होती है। शहरों के लिये उसकी नीति ऐसी मालूम पड़ती है और इसी वजह से शहरों में जमींदारी खत्म करने के प्रति उसकी उदासीनता है। वह यह समझती है कि गांव में जमींदारी खत्म करने से वहां के बड़े-बड़े लोग नाराज हो गये हैं। अगर वह शहरों के अन्दर भी जमींदारी खत्म कर देगी तो वहां के लोग भी नाराज हो जायेंगे, क्योंकि शहरों के अन्दर पूंजीवादी लोग ज्यादा रहते हैं और उनकी जमींदारी है। उनको जमींदारी के खात्मे से धक्का लगेगा। इसी कारण से इस बिल को शीघ्र सदन में नहीं ले आना चाहती है और इसी वजह से वह आंकड़ों की आड़ में टालने का बहाना करती रही है और इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का विचार कर रही है। इसमें क्या अन्तर है? इसके विषय में माननीय मौर्य जी और नवलकिशोर जी ने काफी प्रकाश डाल दिया है कि गांव और शहर के काश्तकारों में क्यों अन्तर किया जा रहा है। आखिर वही अधिकार उन किसानों को जो शहरों में रहते हैं क्यों नहीं दिये जा रहे हैं जोकि देहात के क्षेत्र के कृषकों को दिये गये हैं। अधिष्ठाता महोदय, उन्होंने यह कहा कि जो बिल हमने वापस लिया है उससे इस बिल में काफी इम्प्रूवमेंट किया गया है। यह हो सकता है कि उनकी दृष्टि से सुधार हुआ हो लेकिन जो इसके अन्दर अच्छी बातें थीं, उनको छीन लिया गया है। जहां तक मैंने देखा कि पोखरों और इसी तरह की और चीजों को इसमें से निकाल दिया गया है, उनको जमींदारों के पास छोड़ दिया गया है। परती जमींन की बात इसमें विचित्र तरीके से रखी गयी है। गांवों में जो परती जमींन थी वह सार्वजनिक जमींन होने के नाते गांव सभा को दे दी गयी है, लेकिन शहरों के अन्दर जो परती जमींन है उसके बारे में यह है कि उस पर जो जमींदार होंगे उनके पास ही छोड़ दी गयी है,

ऐसा क्यों है ? उनके बारे में सरकार ने यह बहुत बड़ा पक्षपात किया है। जो भावना सरकार की, या जो सरकार का दृष्टिकोण देहात के जमींदारों के साथ रहा है मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी वही दृष्टिकोण शहर के जमींदारों के साथ शहरी जमींदारी अबालिशन के सम्बन्ध में रखेंगे ताकि देहात की जनता कम से कम इस बात को समझ जाय कि उनके शहरी किसान भाइयों के साथ भी न्याय किया गया है .....

श्री चरण सिंह—मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी तक माननीय सदस्य ने यही बतलाया कि बदनियती के अलावा इस बिल में कुछ नहीं है। अब वह जरा सोचकर बतलायें कि इसमें कोई नेकनियती भी है या नहीं ?

अधिष्ठाता—क्या माननीय सदस्य ने 'बदनियती' लफ्ज का इस्तेमाल किया है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, उन्होंने एलेक्शन को हार जाने की बदनीयत से यह बिल लाना बतलाया तो क्या उनको इसमें कोई नेकनीयती भी नजर आती है ?

श्री जोरावर वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मैंने सुना नहीं कि माननीय मंत्री जी ने क्या कहा है ?

अधिष्ठाता—मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य को सरकार पर पूरा भरोसा है और यकीन है।

श्री जोरावर वर्मा—जो कम से कम अर्थ निकलता है इसमें शक नहीं है कि उसमें यही भावना निकलती है कि देहात के जमींदारों के साथ जो बातें की गयी हैं वह शहर के जमींदारों के साथ नहीं की जा रही हैं। मुआवजे के बारे में इसमें उस प्रकार से नहीं रखा गया है कि बड़े जमींदारों को कम मिलेगा और उससे भी बड़े जमींदार को और कम मिलेगा। इसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि बहुत से सदस्यों ने कहा कि देहाती क्षेत्र में यह निश्चय कर दिया गया है कि अब कोई आदमी ३० एकड़ से ज्यादा भूमि प्राप्त नहीं कर सकेगा। इस बिल में इस बात की ओर कोई संकेत नहीं है कि यहां भी यह व्यवस्था होगी या नहीं। माननीय मंत्री जी ने सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव किया है। इसलिये मैं समझता हूं कि अधिक समय न लेकर मैं उनसे यह निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी यह बिल सदन के सामने आ जाना चाहिये और अगर मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय तो मैं तो यह प्रस्ताव करूंगा कि दिसम्बर के पहले प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में आ जाना चाहिये।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह प्रश्न जो हमारे सामने उपस्थित है बहुत ही गम्भीर है। प्रातः काल से इस विधेयक पर दोनों ओर से बहस हो रही है कुछ संशोधन के साथ सबने इस बिल का स्वागत ही किया है। जुलाई सन् ५२ से हमने देहाती क्षेत्रों की जमींदारी विनाश के कानून को कार्यरूप में परिणित कर दिया है। परन्तु शहरी क्षेत्रों में जमींदारी मौजूद है जिसका बहुत बुरा फल हो रहा है और इसके कारण कांग्रेस की व्यवस्था पर आलोचनायें होती रहतीं हैं। उन बातों में यद्यपि तथ्य नहीं है परन्तु कहने के लिये लोगों को मौका होता था कि शहरों में किसी कारण विशेष से जमींदारी रखी गई है। इस विधेयक को प्रस्तुत करके सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और माननीय मंत्री जी इसके लिये बधाई के पात्र हैं। सन् ५० में जो विधेयक लाया गया वह कुछ कठिनाइयों के कारण वापस ले लिया गया। ५ वर्ष के बाद यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसकी बहुत सी बातों से तो हम पूर्णतया सहमत हैं मगर उसके उद्देश्य और कारण में जो यह कहा गया है कि "जिन क्षेत्रों में भवन बने हुए हैं अथवा जहां खेती नहीं की जाती उन क्षेत्रों के कब्जे अथवा अधिकारों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना विधेयक

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

का उद्देश्य नहीं है," इस हिस्से से बहुत से माननीय सदस्यों को विरोध है। मैं समझता हूं कि ऐसी भूमि भी इस बिल की सीमा से बाहर नहीं होनी चाहिये। हम मानते हैं कि कठिनाइयां हैं। मुआविजे की कठिनाइयां आ सकती हैं और यह कहा जा सकता है कि शहरों की जमीन का मूल्य बहुत है उन्हें अधिक मुआवजा देना पड़ेगा। परन्तु यह मानने को हम तैयार नहीं हैं कि इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। हमारा कर्त्तव्य है कि जो कठिनाई आये उसे हम दूर करेंगे और उस समस्या को हल करेंगे। इसमें बहुत कुछ 'लूपहोल' रह जाता है बहुत सी जमीन जो मजरूआ आराजी है उस पर भी यह प्रयत्न किया जायगा कि उसे भी परती दिखला दिया जाय और यह कहा जाय कि वह मजरूआ नहीं है ताकि वह इस कानून के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो जाय। इस शंका को माननीय मंत्री जी दूर करने का प्रयत्न करेंगे हम समझते हैं कि इस नियम के रहने से मुकदमेंबाजी बढ़ेगी और गलत इन्दराजात कराने की लोगों की प्रवृत्ति होगी। नतीजा यह होगा कि जिस चीज को हम कम करना चाहते हैं, सरकार का यह उद्देश्य है कि मुकद्दमेंबाजी कम हो। इस लूपहोल के रह जाने का नतीजा यह होगा कि किस्म-किस्म के मुकदमें चलेगें, करप्शन के केसेज पैदा होंगे और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। प्रवर समिति में यह विधेयक जा रहा है अतः इस समय ब्योरेवार कोई बात कहने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि एक-एक खंड प्रवर समिति में बहस होगी, उसमें संशोधन उपस्थित होंगे, जहां तक होगा विधेयक को ठीक करने का प्रयत्न किया जायगा। इस तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें जो कमी रह गयी है उसको दूर करने का प्रयत्न अवश्य किया जायगा।

दूसरी बात मुआवजे के संबंध में है। विरोधी पक्ष की तरफ से कहा गया कि १६ गुना मुआविजा दिया जायगा मंत्री जी ने कहा कि किन्हीं केसेज में १८ गुना भी मुआविजा दिया जायगा। १६ गुना जो इस विधेयक में रक्खा गया है वह ज्यादा नहीं है। कुछ सम्मानित सदस्यों ने कहा कि मुआविजा अधिक है, अधिक कदापि नहीं है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि जो शहरों की जमीन है उसका मूल्य देहाती क्षेत्रों के जमीन से बहुत ज्यादा है इसलिये जो १६ गुना मुआविजा दिया जायगा वह बिलकुल ठीक ही है।

दूसरी बात ठेकेदारों के संबंध में है। ३० एकड़ की अन्तिम संख्या उनके लिये निर्धारित की गयी है। मैं समझता हूं कि यह संख्या अधिक है। अपनी तरफ की बात को मैं जानता हूं कि पूर्वी जिलों में ३० एकड़ जमीन शहरी क्षेत्रों में बहुत कम लोगों के पास है इसलिये ३० एकड़ की संख्या रखना मैं समझता हूं ठीक नहीं है, उसको जहां तक हो सके कम किया जाना चाहिये। मैं इस विधेयक पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इसमें त्रुटियां बहुत सी है इस समय ब्योरे में जाना तथा सदन का समय लेना व्यर्थ होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और आशा है कि प्रवर समिति शीघ्र से शीघ्र इसका निर्णय करके सदन के सामने इस विधेयक को प्रस्तुत करेगी।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, मुझे खेद है कि मैं प्रस्तुत विधेयक के लिये माननीय मंत्री जी या सरकार को बधाई नहीं दे सकता जिसका कारण यह है कि वह विधेयक कुछ बातों में इस बात का द्योतक है कि यह पहले वाले जमींदार विनाश अधिनियम से पीछे रह गया है, जब कि उसे पहिले अधिनियम से आगे जाना चाहिये था। अधिष्ठाता महोदय, मैं ही नहीं बल्कि इस प्रान्त के अनेक लोग यह आशा लगाये बैठे थे कि नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक के आने में सरकार की ओर से इसलिये देरी हो रही है कि उसके द्वारा वह वर्तमान जमींदारी विनाश अधिनियम से आगे जाना चाहती है। परन्तु मुझे दुख है कि इसमें सरकार उससे पीछे गयी है जैसा कि आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान अनेक माननीय सदस्यों ने दिलाया है और इसमें बड़ी मोटी सी बात यह है कि जब हम एक बार एक सिद्धान्त इस सदन के द्वारा यह निश्चित कर चुके हैं कि हमें किसी भी प्रकार की भूमि पर, जो जमींदारों के उपयोग में नहीं आ रही है, उनके कब्जे में नहीं छोड़नी है, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि

हम नागर क्षेत्र के जमींदारों की परती भूमि पर क्यों अधिकार छोड़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में दो दिक्कतें बतलायी है। मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि जो बात मैं कह रहा हूं माननीय मंत्री जी उसको अनुभव नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि वे भी मुझसे आगे की बात सोचते हैं लेकिन मैं उनको यह आशा दिलाता हूं कि जितना आगे वह सोचते हैं, यह प्रान्त उस मामले में उनके साथ है। पूरे प्रांत के विशेष कर नगरों के लोग यह आशा लगाये हुए थे कि उस विधेयक द्वारा विशेष अधिकार लोगों को मिलेंगे जिनके द्वारा नगरों की घनी आबादी और गृहहीनों की समस्या हल होगी। मैं यह भी नहीं कहता कि इस सरकार की दृष्टि में आज शहरों की घनी आबादी और गृहहीन लोगों की समस्या नहीं है। सरकार को यह अवसर मिला कि इस विधेयक के द्वारा खाली जमीनों को और उन खंडहरों को जो एक प्रकार से खाली भूमि के समान हैं प्रतिकर देकर हासिल करती और शहर में बसने वाले गृहहीनों और गंदे घरों में रहने वाले समाज के उन श्रमिक लोगों को जीवनदान देती। आज शहर में बसने वाले मजदूर और दूसरे अनेक लोगों के मकानों की दशा ऐसी है कि जिसको देखने के बाद दया आती है। जैसा मेरे बहुत से माननीय साथियों ने कहा कि लोग सड़कों पर पड़े हैं, बड़े-बड़े कुटुम्ब को लेकर, छोटी-छोटी कोठरियों में अपना जीवन बिता रहे हैं, फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि जब एक अवसर सरकार को मिला है तो फिर खाली जमीनों को केवल इसलिये कि कुछ विशेष कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, और कुछ और समय रेकर्ड्स तैयार कराने में लगेगा इस अवसर को छोड़ रही है।

अधिष्ठाता महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि माननीय मंत्री जी ने इस समय में प्रयत्न किया कि वह आंकड़े हासिल करें और लगातार इस कोशिश में भी रहें, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वह चाहे थोड़ा समय और ले लेते लेकिन फिर से उसके आंकड़े तैयार करा सकते थे जिससे इस विधेयक के द्वारा कुछ लोगों को थोड़ा बहुत आराम तो पहुंचता और हम आगे बढ़ते, समाजवादी ढांचे के लिये कोई कदम उठाते, लेकिन यह विधेयक बतलाता है कि सरकार ने कोई ऐसी खास बात नहीं की है जैसी कि आशा की जाती थी। यह ठीक है कि इसके उद्देश्य और कारणों में इस बात की व्यवस्था नहीं है परन्तु समाज इस बात के लिये तैयार है और यह सदन भी इस बात की मांग कर रहा है। यों तो शुक्ला जी जैसे महान् व्यक्तियों की बात तो नहीं कहता कि जिन्हें अपने उन साथियों का बहुत ध्यान है जो करोड़ों किसानों पर अत्याचार और जुल्म करते थे, उनको छोड़ कर करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाया है और मांग की है कि हमें इस विधेयक में कुछ और आगे बढ़ना चाहिए था। हम आगे बढ़ सकते थे उन जमींदारों के अधिकारों को लेने में जिन्होंने अपनी जमींदारी की जमीन पर लोगों को मकान बनाने की इजाजत दे दी है। उस पर लोगों के मकान बने हैं, जो लोग उनमें रहते हैं उन्होंने अपना सामान और कीमत लगाई है, लेकिन आज जमींदार उनसे उस जमीन के नाम पर ही मकानों का किराया लेते हैं।

हमारे जिले में कई ऐसे कस्बे हैं जहां जमीदारों ने वहां के गरीब लोगों को घर बनाने के लिये जमीनें दे दीं लेकिन किराया उनसे घरों का ले रहे हैं, और केवल किराया ही नहीं बल्कि माननीय शिवनारायण जी ने कहा वे उनको आज भी अपना आसामी कह कर पुकारते हैं और वे अपने वही अधिकार समझते हैं जो जमींदारी विनाश के पहले जमींदार अपने किसानों पर समझते थे। वह उनसे बेगार लेते हैं और यहां तक कि उनकी औरतों से लिपाई-लिहसाई तक का काम कराना अपना अधिकार समझते हैं। उन किरायेदारों से वे त्योहार वगैरह के मौके पर नजराने तक लेते हैं। एक ओर तो हमने जमींदारी विनाश करके देहातों में जमींन बड़े-बड़े लोगों से लेकर किसानों को दी और केवल काश्तकारों को ही नहीं बल्कि उस गांव के रहने वाले भूमिहीन मजदूरों को भी सार्वजनिक भूमि और सम्पत्ति में समान अधिकार दिये और दूसरी ओर शहरों में बसने वाले भूमिहीन मजदूरों और गृह विहीनों को इस बिल में कोई चीज सरकार की ओर से नहीं दिलाई जा रही है।

[श्री मही लाल]

अधिष्ठाता महोदय, दूसरी बात मैं असमानता की कहता हूं कि मुआवजे में जहां हमने देहात के जमींदारों के लिए एक सिद्धान्त बनाया था वही सिद्धान्त यहां भी होना चाहिए था। यह कहना कि कोई विशेष व्यक्ति हैं जिनकी जमीदारियां शहरों में हैं और वे देहातों में नहीं थे या देहातों में हैं शहरों में नहीं थे, ऐसी बात नहीं है । कुछ ऐसे बड़े जमींदार हैं जिनकी देहातों में भी जमींदारी थी और शहरों में भी उनके मकानात हैं, उनकी जमींदारियां हैं और उनके खाली बन्जर पड़े हैं, एक सी स्थिति है, एक से अधिकार रखते हैं, फिर मुआवजा उनको अलग अलग दिया जाय यह एक विषमता है जिसको मिटाना हमारी सरकार का एक मुख्य कर्त्तव्य है, और लगातार हमारी सरकार उनको मिटाने में प्रयत्नशील रही है और प्रत्येक क्षेत्र में जो भी कदम हमारी सरकार का उठता है वह विषमता को मिटाने की ओर ही उठता है। इस लिए आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मेरी दूसरी प्रार्थना है कि यह विभिन्नता जो प्रतिकर में की गई है, यह नहीं होनी चाहिए क्योंकि नागर क्षेत्र के जमींदार विशेष अधिकार नहीं रखते हैं। उनके लिये प्रतिकर देने में कोई नया सिद्धान्त अपनाया जाय हमें यह शोभा नहीं देता और मैं इस बात को मुनासिब भी नहीं समझता । मैं ही नहीं बल्कि कोई भी प्रगतिशील विचाराधारा का व्यक्ति आज इस बात के लिए तैयार न होगा कि इस तरह से कुछ लोगों के साथ अधिकारों में विषमता रखी जाय ।

श्री चरण सिंह—जो सुझाव आप दे रहे हैं, उससे तो मुआवजा और बढ़ जाता है, मैं तो और कम दे रहा हूं ।

श्री महीलाल—मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि शहरों में जो बड़े जमींदार हैं, जिस तरह से देहातों में बड़े जमींदारों को कम मुआविजा दिया है उसी तरह से शहरों के बड़े जमींदारों को कम मुआविजा दिया जाय और वहां के छोटे जमींदारों को ज्यादा प्रतिकर दिया जाय। वह आपका एक सिद्धान्त होना चाहिए और उसी के आधार पर आपको निर्णय करना चाहिये। अगली बात बाजारों की है जिसकी तरफ माननीय नवल किशोर जी ने ध्यान दिलाया है । उसके सम्बन्ध में मैं अपनी एक स्पष्ट राय रखता हूं कि बाजार किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं रहने चाहिये, उनकी आमदनी सीधे समाज या सरकार में पहुंचनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं ज्यादा न कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि जिस तरह से भी हो उनको शहरों में रहने वाले गृहविहीन मजदूरों की आज की दशा को ध्यान में रखते हुये इस प्रकार की व्यवस्था विधेयक में करानी चाहिये और मैं समझता हूं कि जब सरकार की ओर से ही यह विधेयक आया है तो यदि सरकार चाहे उसमें व्यवस्था हो भी सकती है ।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो बिल हमारे सामने उपस्थित है उसको देख कर बड़ी प्रसन्नता होती है । जब जब जनता के सामने ऐसे समाचार आते हैं कि शहरों के अन्दर जमींदारी खत्म होने जा रही है तो उनको बड़ी भारी खुशी होती है। पहली अप्रैल सन् ५५ को जब माननीय मंत्री जी की तरफ से माल विभाग की एक विज्ञप्ति निकली की शहरों में जो नजूल की जमीन है उस पर जमींदारी विनाश कानून लागू किया जायगा तो जनता ने उनको गलतफहमी से यह समझा कि पूरी म्युनिसिपैलिटी की नजूल की जितनी जमीन है उन सब पर यह कानून लागू हो जायगा और उसने बड़ी खुशी मनाई, पब्लिक मीटिंग की। जब कि यह कानून अभी पास भी नहीं हुआ तब उन्होंने इतनी खुशियां मनाईं और उसके अन्दर इतने जल्से भी कर डाले। तो जनता को बहुत उतावली है इस कानून को पास करने के लिये। जनता महसूस करती है कि देहातों में तो जमींदारी खत्म हुई शहरों में नहीं हुई और उसका बुरा नतीजा यह हुआ है कि जो जमींदारों के जुल्म हैं तो सब हैं ही मुकदमेंबाजी बहुत बढ़ गई है। बहुत से भाइयों ने १० गुना जमा किया लेकिन आज जमींदारों ने मुकदमें दायर किये कि साहब यह जमीन टाउन एरिया के अन्दर है, म्युनिसिपैलिटी के अन्दर है लेकिन उनके मुकदमें लटकते चले जा रहे हैं और आज तक उनका कोई फैसला नहीं है। इसी तरह से शहरों के जो काश्तकार हैं उनकी एक विशेष परेशानी है। उनके

ऊपर लगान दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। ज्यों-ज्यों समय गुजरता चला जा रहा है त्यों-त्यों जमीन की कीमत बढ़ती चली जा रही है और काश्तकार भी अपना नुकसान महसूस करता है, कि जमीन निकलती जा रही है और जमींदार भी महसूस करता है कि उसकी जमीन की कीमत अधिक होती जा रही है और उसको अधिक मुआविजा मिलना चाहिये। इस लिये जनता की ख्वाहिश यह है कि यह कानून जल्द से जल्द पास हो।

इसके अलावा एक ख्वाहिश यह भी है कि शहरों के अन्दर जितने प्रकार की जमींदारियां हैं और देहातों के अन्दर जितने प्रकार की जमींदारियां हैं उन सब का प्रबन्ध एक ही कानून के द्वारा हो तो बहुत सरलता उत्पन्न हो जाय। आज तो कई प्रकार के कानून से जमीनों का शासन हो रहा है। हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार के पास जो कैन्टूनमेंट और दूसरी जमीनें हैं उनको छोड़ कर प्रदेशीय सरकार के नियंत्रण में जितनी जमीनें हैं चाहे वह म्युनिसिपैलिटी की, नजूल की जमीन ही या जमींदारों के पास की जमीन हो सबका शासन एक ही कानून के द्वारा हो तो व्यवहार में सरलता उत्पन्न हो जायगी और जो नाना प्रकार की एनामलीज हैं और उससे जो नाना-प्रकार की तकलीफें हैं उनसे लोगों को छुटकारा मिल जाय। हमारे यहां फैजाबाद में एक मदरसा म्युनिसिपैलिटी है। वहां की जनता ने यह दरख्वास्त दी है कि जमींदारी विनाश होने का यहां पर फायदा उठाया जा रहा है और यहां जमींदारी खत्म करने में बड़ी देर हो रही है, इसलिये यहां के जो काश्तकार हैं उनका लगान बढ़ने के साथ-साथ बहुत से काश्तकारों को बेदखल किया जा रहा है और उनको बेदखल करने के लिये जमींदार लोग मजबूर कर रहे हैं। एक जमींदार ने एक काश्तकार को बेदखल करने के लिये एक अजीब तरीका निकाला। वे चाहते थे कि यह काश्तकार इस जमीन से बेदखल हो जाय, लेकिन काश्तकार ने अपना नाम लेखपाल से लिखवा लिया। उसने देखा कि कोई सूरत नहीं है, उन्होंने म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन से प्रार्थना की मेरी जमीन ले ली जाय पब्लिक यूटिलिटी के लिये यानी खाद बनाने के लिये एक्वायर कर ली जाय। जमीन एक्वायर कर ली गई लेकिन म्यूनिसिपैलिटी ने कम्पोस्ट बनाने का वहां कोई इन्तजाम नहीं किया और वह जमींदार उस पर फिर से काबिज हो गया। इस तरह के हथकंडे अपनाये जाते हैं। ज्यों-ज्यों विलम्ब हो रहा है त्यों-त्यों जनता की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। इसलिये कानून को जल्दी से जल्दी लागू करने के लिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इसके साथ-साथ यह भी प्रार्थना करता हूं कि सब कानून चाहे वह गवर्नमेंन्ट स्टेट के सम्बन्ध में हों या नजूल की जमीन के बारे में उन सबको खत्म करके एक शहरी जमीन के लिये कानून बना दिया जाय। एक एडवोकेट साहब हैं गुप्तार घाट मांझा के। उनके पास हजारों बीघा जमीन है लेकिन वह महकमे माल को लगान देते हैं, न नजूल को लगान देते हैं, न कैन्टूनमेंट को लगान देते हैं और पता नहीं कि उनकी जमीन किसके नक्शे में है। कई प्रकार के कानून हैं इसलिये कोई कह नहीं सकता कि वह जमीन किसके मातहत है। इसलिये अगर सब कानून समाप्त करके शहर का जमींदारी विनाश कानून ऐसा बनाया जाय कि उसके अन्दर दूसरे सब कानून समाप्त हो जायं, और देहात के लिये केवल देहात का जमींदारी विनाश कानून रह जाय तो जनता की जो तकलीफें हैं वह सब दूर हो जायंगी। शहर में जो नजूल की जमीनें हैं अगर उस पर यह कानून लागू नहीं होता तो फिर जनता की तकलीफें बढ़ती हैं।

आज जो मौजूदा क्राउन ग्रान्ट्स ऐक्ट है वह इतना दकियानूसी है कि उससे जनता को बड़ी परेशानी होती है। पट्टे की मियाद खत्म होते ही ५० फीसदी लगान बढ़ जाता है, प्रीमियम की बोली बोली जाती है। लिहाजा मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कानून इतना व्यापक बनना चाहिये कि सभी प्रकार के भूमि सम्बन्धी कानून समाप्त हो कर देहात का जमींदारी विनाश कानून और शहर का जमींदारी विनाश कानून भूमि के नियंत्रण के लिये रखे जायं और ऐसा न होना चाहिये कि नजूल का प्रबन्ध स्वायत्त शासन करे और बाकी जमीन माल विभाग के हाथ में रहे, ऐसा करने से गड़बड़ी होती है। अगर नजूल के जमीन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अधिकारियों के हाथ में है उसमें कुछ गड़बड़ी वहां के अधिकारी करते हैं तो उनका ट्रान्सफर भी नहीं हो सकता अगर उसे माल विभाग में मिला दिया जाय तब भी कुछ सहूलियत

[श्री मदनगोपाल वैश्य]

हो सकती है और इससे जनता की तकलीफें रफा हो जायगी। इन शब्दों के साथ में प्रार्थना करता हूं कि यह कानून जल्दी से जल्दी पास किया जाय ताकि जनता की तकलीफें दूर हों।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बिल को प्रस्तुत करते हम माननीय मंत्री जी के भाषण को मैंने बड़े गौर से सुना। बीच-बीच में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का जो जवाब उन्होंने दिया उसको भी मैंने बड़े गौर से सुना। उन्होंने माननीय जोरावर वर्मा जी से जो प्रश्न किया था कि इस बिल में बेइमानी की ही सब बातें हैं या ईमानदारी की भी बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसमें माननीय मंत्री जी की बहुत सी बातें खूबी की और ईमानदारी की भी हैं। सबसे बड़ी ईमानदारी की बात तो यह है कि सदन में अब तक अपने प्रिय लेखपालों के सम्बन्ध में जब भी किसी तरह की शिकायत विरोधी या ट्रेजरी बेंचों की तरफ से की गयी, तो उसका विरोध माननीय राजस्व मंत्री जी ने किया और उनके समर्थन में बड़ी-बड़ी दलीलें दीं। लेकिन आज नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश के कानून को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि आज उनके लेखपाल भी असमर्थ हैं, उनका माल विभाग भी असमर्थ है। नागर क्षेत्र की जमीन का लैंड रेकार्ड उनके पास ठीक-ठीक नहीं है और चूंकि लैंड रेकार्ड ठीक-ठीक नहीं है इसलिए ईमानदारी से माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम असमर्थ हैं कि जमींदारी विनाश में हम उनके अधिकार स्वत्व को खारिज कर सकें। और यह माननीय मंत्री जी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि चूंकि नागर क्षेत्रों में जमीनों की कीमत अधिक है देहाती क्षेत्रों से इसलिए हमें अधिक मुआविजा देना पड़ेगा और चूंकि अधिक मुआविजा की रकम देनी पड़ेगी इसलिए हम नागर क्षेत्र में वह जमीन जो परती है उनके स्वत्व को हम समाप्त नहीं करने जा रहे हैं, उनके स्वत्व से उनको निकालने नहीं जा रहे हैं। ये बातें माननीय मंत्री जी ने बड़ी ईमानदारी से इस सदन में इस बिल को प्रस्तुत करते समय अपने वक्तव्य में कहीं। जिनको हमारे मित्र वर्मा जी भूल गये।

श्रीमन्, इस बिल के सम्बन्ध में बहुत भाषण माननीय सदस्यों के हुए।

अगले दिन का कार्यक्रम

अधिष्ठाता—अब आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे। लेकिन उठने से पहले मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं इस सदन को।

मुझे यह सूचना सदन को देनी है कि कल सबसे पहले उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९५५ ई० जैसा कि वह विधान परिषद् से पास हुआ है उस पर विचार किया जायगा और उसे पास करने का प्रस्ताव लाया जायगा। इसकी वजह यह है कि यह जो अमेंडमेंट बिल है यह एक आर्डिनेंस पर बेस करता है और इसमें वक्त की भी जरूरत है। २३ अक्तूबर तक इसे पास हो जाना है वरना आर्डिनेंस की मियाद खत्म हो जायगी। इसलिए कल यह विधेयक पहले लिया जायगा और इसके खत्म होने के बाद फिर जो आपका कार्यक्रम है वह जारी रहेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१० अक्तूबर, १९५५।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११७ एल० ए०—१९५६—७९६।